

ANNUAL REPORT 2022-23

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)

VISSION STATEMENT

“To become a preferred and trusted brand in national & international market for authentic agro-horticultural produce of the North Eastern Region of India”

MISSION STATEMENT

“To provide a comprehensive marketing solution to the farmers and entrepreneurs associated with agro-horticultural sector of the eight states of the North Eastern Region of India”

BOARD OF DIRECTORS

<u>Chairman</u>	: Shri Saurabh Endley
<u>Managing Director</u>	: Commodore Rajiv Ashok (Retd)
<u>Directors</u>	: Shri. Rajendra Prasad Gurung Shri Rajan Rohia Shri. M. Iboyaima Meitei Shri. Umesh Kumar

<u>Company Secretary</u>	: Shri. Sanjiv Kumar Rai
<u>Statutory Auditors</u>	M/s M.Borar & Company, Chartered Accountants, Guwahati
<u>Bankers</u>	: State Bank of India , Union Bank of India, United Bank of India, Axis Bank, UCO Bank, Syndicate Bank Punjab National Bank.
<u>Registered office</u>	: 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S. Road, Guwahati-781005, Assam.

FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN

Dear Members,

During the past year, your Corporation has performed exceptionally, as the Corporation has achieved the highest ever turnover with sizeable profits. With the implementation of the revival plan approved by the Government of India in the year 2021, the entire business and administrative approach of the Corporation has been revamped, to align it with the market-based global approaches and initiatives of the Govt. of India for economic growth. From strengthening the project division to forming dedicated division for skill and capacity building programmes, number of new initiatives have been undertaken during last the financial year. The primary focus of all these initiatives, is to have comprehensive growth of farmers of the region and sustainably restructure the business model based on the revival plan and achieve the targets set therein.

In the physical performance front, during the year, NERAMAC has implemented a number of projects on behalf of the Government, and some major achievements include: formation of 53 FPOs across NER, supply of Agri-inputs and planting materials of worth more than 90.00 Cr., set up of first dragon fruit juice processing plant in Mizoram, Plantation of bamboo in 900 hq. area in the three districts of Assam and opening of retail stalls under One-Station-One Product initiative. The implementation of the Revival Package of 77.45 Cr. (*Rs. 17.00 Cr. fund-based support and Rs. 60.45 Cr. non-fund-based support*) progressed as per the approved revival plan and was monitored and periodically reviewed by the Administrative Ministry.

As far as the financial performance of the Company is concerned, during the last financial year, as mentioned, your Corporation has generated the highest ever total revenue of Rs.110 Crore with net profit of Rs. 1.89 Crore. Revenue generated during the year is 312% higher than the previous year. Profit ratio of the Corporation during the year is 3.88 % as compared to loss (17.71) % during FY 2021-22 and loss (44.77) % during FY 2020-21. Earning per share is Rs. 120/- and net worth of the Company turns positive Rs. 4.73 Cr.

NERAMAC believes in compliance with guidelines laid down for Corporate Governance, to ensure long term success and transparent sharing of information on the affairs of the Company with the Stakeholders. For 2021-22 NERAMAC was rated 'EXCELLENT' by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance for complying with the Guidelines on Corporate Governance and the for the FY 2022-23 NERAMAC also scored 'EXCELLENT' Rating.

During the year, fund support for revival of Cashew Processing Plant at Agartala was granted from NEC. For the Integrated Ginger Processing Plant at Byrnihat, a private party was selected for O&M through transparent selection process. Presently, both these plants are operational.

This year marked the first chapter of success, post implementation of revival plan. This, I am sanguine, would lay the foundation to achieve better connect with the beneficiaries, and long-term sustainability of business.

Sd/-
Angshuman Dey
Chairman

CONTENTS

S.L. No.	REPORTS/STATEMENTS	PAGE NO.
1	NOTICE OF THE 41 ST ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING	6-8
2	DIRECTORS REPORT	9-22
3	CORPORATE GOVERNANCE REPORT	23-29
5	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	30-36
6	MANAGEMENT REPLY TO STATUTORY AUDITORS REMARKS	37-47
7	MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF C&AG	48
8	COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	49-50
9	CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE	51-52
10	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT	53-66
11	FINANCIAL STATEMENT AND NOTES TO ACCOUNTS	67-98

NOTICE

Notice is hereby given that the **41st Adjourned Annual General Meeting** of **NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD** is to be held on **Monday, the 23rd September, 2024** at the registered office of the Company at **9, Rajbari Path, G.S. Road, Guwahati-781005, Assam** at **11:00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following unfinished business of the **41st Annual General Meeting**:

ORDINARY BUSINESS:

ITEM NO.1: TO RECEIVE, CONSIDER AND ADOPT THE AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST MARCH, 2023 AND DIRECTOR'S REPORT AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT THEREON AND THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA(C&AG):

The Members will be requested to pass the following resolution with or without modification as Ordinary resolution.

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statement as on 31st, March, 2023 together with the Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors thereon and Comments of the C&AG thereon be and is hereby received, considered and adopted”

**By Order of Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Sanjiv Kumar Rai
Company Secretary**

Encl: Attendance Slip

**Date: 03.09.2024
Place: Guwahati**

NOTE

- 1. THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (“MCA”) HAS, VIDE ITS CIRCULAR NO. 09/2023, DATED SEPTEMBER 25, 2023, READ TOGETHER WITH CIRCULARS DATED APRIL 8, 2020, APRIL 13, 2020, MAY 05, 2020, JANUARY 13, 2021, DECEMBER 08, 2021, DECEMBER 14, 2021, MAY 05, 2022 AND DECEMBER 28, 2022 (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “MCA CIRCULARS”), PERMITTED CONVENING THE ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM/MEETING”) THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”), WITHOUT THE PHYSICAL PRESENCE OF THE MEMBERS AT A COMMON VENUE. IN ACCORDANCE WITH THE MCA CIRCULARS, PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 (“THE ACT”) READ WITH RULES MADE THEREUNDER, THE AGM OF THE COMPANY IS BEING HELD THROUGH VC/ OAVM. THE DEEMED VENUE FOR THE AGM SHALL BE THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY.**
- 2. LINK AND OTHER DETAILS FOR CONNECTING THROUGH VC MODE WILL BE SHARED SEPARATELY OVER REGISTERED EMAIL IDS.**
- 3. AS PER THE AFORESAID GENERAL CIRCULAR FACILITY FOR APPOINTMENT OF PROXY AS PRESCRIBED UNDER SECTION 105 OF THE COMPANIES ACT, 2013 WILL BE NOT AVAILABLE FOR THE GENERAL MEETING CONDUCTED THROUGH VC OR AOVN. HOWEVER, IN PURSUANT TO SECTION 112 AND SECTION 113 OF THE COMPANIES ACT, 2013, REPRESENTATIVES OF THE MEMBERS MAY BE APPOINTED FOR THE PURPOSE OF PARTICIPATION AND VOTING IN THE MEETING.**
- 4. THE ATTENDANCE OF THE MEMBERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC MODE WILL BE COUNTED FOR THE PURPOSE OF RECKONING THE QUORUM UNDER SECTION 103 OF THE ACT.**
- 5. FOR ANY QUERY/CLARIFICATION RELATING TO CONNECTION THROUGH VC/OAVM PLEASE CONTACT COMPANY SECRETARY at cs@neramac.com OR CALL +91-9954172236.**

To

1. The President of India.

**Shree Shantanu, Joint Secretary to the Govt. of India.
Ministry of Development of North Eastern Region,
Vigyan Bhawan Annexe, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011, Delhi.
Email: shantanu97@nic.in**

2. The Secretary,

**North Eastern Council.
NEC Secretariat, New office Complex,
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya,
Email: sect-nec-meg@nic.in**

3. The Deputy Secretary,

**North Eastern Council
NEC Secretariat, New office Complex
Nongrim Hills, Shillong-793003, Meghalaya
Email: muong.gangte@gov.in**

4. To All Members of the Board of Directors at their registered email ids

**5. To M/s M.Borar& Co., Statutory Auditors for the FY 2022-23 @
mborarco@gmail.com**

DIRECTOR REPORT

DIRECTORS' REPORT

To
The Members,
M/s North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd
Rajbari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam.

Your Directors take the opportunity to presenting the 41st Annual Report of the Company along with the audited financial statement for the financial year 2022-23.


1. FINANCIAL PERFORMANCE

The financial performance of the Company based on the audited accounts for the financial year 2022-23 produced hereunder:

Particulars	2022-23 (Rs.)	2021-22 (Rs.)
Revenue from operations	9,66,627,000	26,142,0000/-
Other income	1,35,426,000	5,497,000/-
Total Revenue	1,102,053,000	2,66,917,000/-
Operation Expenses	104,90,09,000	2,47,598,000/-
Administrative Expenses	3,16,25,000	41,799,000/-
Finance Cost & Depreciation	2,495,000	23,453,000/-
Total Expenses	108,31,29,000/-	3,12,850,000/-
Profit before Extraordinary & Exceptional items	1,89,24,000/-	(45,934,000/-)
Exceptional items	2,49,95,000/-	-
Extraordinary items	(11,25,000/-)	(380,000/-)
Profit for the year (Before tax)	4,27,94,000/-	(46,314,000/-)
<u>Tax expenses</u>		
Current tax	0.00	0.00
Deferred tax	0.00	0.00
MAT	69,07,618/-	0.00
Profit after tax	35,886,382/-	(46,314,000/-)

2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY'S AFFAIR WORKING DURING THE YEAR/ STATE OF COMPANY'S AFFAIR.

During the year under review, your Corporation has generated highest ever turnover of Rs. 110 Crore and posted profit after a decade of Rs. 1.89 Crore. Profit with exceptional and extraordinary items stand at Rs. 4.27 Crore. Revenue from business operations stands at Rs. 96.66 Crore, which is 269% higher than the previous year revenue.



Your Corporation has earned higher revenue against the revenue generation target of Rs. 64.00 Cr. set for the FY 2022-23, in the approved Revival Plan. Financial and manpower restructuring under the revival plan and adoption of market oriented business approach and focus on the implementation of the Government project are the major contributors in the earning of higher revenues with profits.

HIGHLIGHTS OF MAJOR ACTIVITIES DONE DURING THE YEAR

a. Market linkage of Agri-horti produces: Market Linkages of more than 56 MT of agri-horti produces like Pineapple, Carrots, Black rice, Cashew, Ginger, King Chilli, Cinnamon, Black Pepper, Turmeric Powder, Red Chilli, Arbi etc. was provided under its umbrella brand '**NE Fresh**'. Minor exports to Europe, Bangladesh and Bhutan.

b. NERAMAC has product basket of 80+ products in the retail segment.

- i. A kiosk has been opened at ICP Agartala (Indo-Bangladesh border).

- ii. Opening of 23 stalls under One Station One Product (OSOP) with the North Frontier Railway was initiated. Stalls at Guwahati and Kamakhya Railway station were made functional during the year.

c. Supply of Agri-inputs and planting materials on behalf of State Governments - Vermi compost, Bio-Fertilizers, Rhizomes, Agro shade net etc is ongoing.

d. Implementing Agency.

- i. **Formation and Promotion of FPOs in NER** under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India. 53 FPOs has been registered out of allotted 55 in the year 2021 despite COVID-19 pandemic. Formation of **200 new FPOs was allotted by the MoFW&A during the year.**
- ii. **Bamboo Plantation Project of State Bamboo Development Agency (SBDA), Govt. of Assam:** 900 ha of plantation in the three district of Assam has been undertaken in the first of the three year project.
- iii. **G.I. Registration of Agri-Horti produces of North East Region:** 13 products of the NER have been GI registered and 7 are in the in process.
- iv. **Horticulture Value Chain through Food Processing in Mizoram:** The first Dragon Fruit juice processing plant is being set up in Mizoram by NERAMAC as Implementing Agency. This will also process Banana.

e. Skill Development & Livelihood Training.

During the financial year, NERAMAC has started a dedicated wing for Skill Development & Livelihood training. Some of project initiated/undertaken during the year are tabled below:

<u>Project</u>	<u>Sponsoring Agency</u>	<u>Project Type</u>	<u>No of Trainees</u>
Technology Up-gradation	NBCFDC, Gol	Entrepreneurship Development Programme & Tool Kit Distribution (Bee Keeping) at Changlang District, Arunachal Pradesh	60

Skill Development Training under PM-DAKSH	NSFDC, Gol	Conduct Skill Development Training in Goalpara, Kamrup (R) & Barpeta	900
Skill Development Training under PM-DAKSH	NBCFDC, Gol	Conduct Skill Development Training in Darrang, Baksain Assam and Dhalai in Tripura	90

f. Events.

- Participated in the Annapurna Food Expo at Mumbai
- Organised International Buyer-Seller meet at Aizawl.
- Participated in International Buyer-Seller meet at Gangtok.

3. ANNOUNCEMENT OF REVIVAL PACKAGE BY GOVT. OF INDIA

Govt. of India on 16th August, 2021 announced Revival package of Rs. 77.45 Crore for NERAMAC. The package consists of the following components:

- a. Fund Based Support:** Fresh infusion of Rs. 17.00 Cr. as grant to be released in 2 instalments during FY 2021-22 and 2022-23, roughly in 2/3rd : 1/3rd ratio, for following activities:

Heads	Rs. in Cr.
Funds for VRS for Regular Employees	4.96
Working Capital Support	6.36
Supporting the operations	2.20
Computer & ERP System, E-commerce portal	2.23
Other statutory dues, committed and current liabilities	1.25
Total	17.00

b. Non-based support:

Heads	Rs. in Cr.
Conversion of outstanding Govt. of India loan (as on 31.03.2021) into equity shares of the Company	28.23
Writing off of interest and penal interest calculated upto 30.09.2021 on outstanding Govt. of India loan	32.22
Total	60.45

- c. **Increase in authorised share capital of the Corporation from Rs. 10.00 Cr. to Rs. 60.00 Cr.** in order to accommodate the conversion of the outstanding long-term borrowings into equity.

4. IMPLEMENTATION OF THE REVIVAL PACKAGE DURING THE YEAR :

- a. Under fund based support of Rs.17.00, NERAMAC received two-third amount of Rs. 11.33 Crore for the FY 2021-22 in February, 2022 and remaining one-third fund of Rs. 5.67 Crore in March 2023.
- b. Scheme for the Voluntary Retirement of 21 regular employees of the Corporation was approved by the Board of Directors in its 141st Meeting held on 10.03.2022. The approved scheme was floated on 01.04.2022 inviting application from the eligible employees for VRS. Total 20 application received and w.e.f. 31.05.2022 all of them given voluntary retirement under the Revival package.
- c. ERP with Procurement Module, Inventory Module and HR Management implemented w.e.f. August, 2022.
- d. E-commerce portal 'NE Farm Hub' launched on 14.12.2023.
- e. Payment of Statutory dues & committed liabilities: Rs. 1.12 Cr. paid as on the date of this report.
- f. Under non-fund based support, outstanding Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore was converted into equity shares of the Company pursuant to section 62(4) of the Companies Act, 2013 w.e.f. 26.11.2021 and authorized capital of the Company is also stand altered and increased from Rs.10.00 Cr. to Rs. 38.23 Cr. pursuant to section 62(6) of the Companies Act, 2013.
- g. In compliance with the revival package announced by the Govt. of India, authorized share capital of the Company has been further increased from Rs. 38.23 Cr. to Rs. 60.00 Cr. pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013 with the approval of the members in the 39th Annual General Meeting held on 30.11.2021.
- h. With respect to the writing off of interest and penal interest of Rs. 32.22 Cr. The amount has been transferred to 'Reserve & Surplus'

5. DIVIDEND

Though the Corporation has earned profit during the financial year. However, the Corporation has accumulated losses of Rs. 63. 34 Cr as on 31.03.2023, therefore the Board of Directors do not recommend for any dividend for the FY 2022-23. In this respect, your corporation has also obtained exemption from DIPAM, Ministry of Finance for payment of minimum dividend as per the guidelines prescribed by the DPE.

6. TRANSFER TO GENERAL RESERVE

Though the Corporation has earned profit during the financial year. However, the Corporation has accumulated losses of Rs. 63. 34 Cr. as on 31.02.2023, therefore no amount proposed to be transferred to General Reserve.

7. SHARE CAPITAL

During the year under review there was no change in the authorised share capital of the Company. The authorized share capital was Rs. 60.00 Crore as on 31.03.2023 divided into 6,00,000 equity share of Rs. 100/- each.

However under the revival package, the authorised share capital of the Company was increased from Rs. 10,00,000/- to Rs. 3,82,300,000/- on 26.11.2021 pursuant to section 62(6) of the Act, on conversion of Rs. 28,230,000/- outstanding Govt. of India loan into equity share capital. Later on 30.11.2021 based on the approved revival plan, the authorised share capital further increased from Rs. 3,82,300,000/- to Rs. 600,000,000/- pursuant to section 61(1)(a) of the Companies Act, 2013.

There was also no change in the paid up share capital of the Company, during the year under review. The Paid-up share capital was Rs. 35.85 Crore as on 31.03.2023 divided into 3, 58,500 of Rs. 1000/- each.

However, under the revival package during FY 2020-21, upon conversion of Rs. 28, 23,00,000/- of outstanding Govt. of India loan into equity share capital. 2, 82,300 equity shares were issued to the Govt. of India on 26.11.2021 as per section 62(4) of the Companies Act, 2013. Therefore paid-up share capital of the Company increased from Rs. 7,62,00,000/- to Rs. 35,85,00,000/-.

8. COPY OF ANNUAL RETURN

Copy of Annual Return for the FY 2022-23 hosted at www.neramac.com/annual-return

9. DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR RESIGNED DURING THE YEAR.

Your Company being a Public Sector Enterprise, all appointments and cessations in the Board of Directors are made by the Govt. of India only.

During the year under review following appointments/cessations made in the Board of Directors of your Company

Commodore Rajiv Ashok (Retd) was appointed as the full time Managing Director vide Ministry of DoNER order no. NERAMAC-15/21/2017-O/o DIR (NERAMAC) dated 11.04.2022 w.e.f. 03.07.2022 for period of five years from the date of joining or till attaining the age of superannuation or until further order, whichever is earliest in the pay scale of Rs. 22500-600-27300. He was appointment on recommendation of the Public Enterprise Selection Board (PESB).

Consequent on appointment of full time Managing Director w.e.f. 03.07.2022, appointment of Shri Manoj Kumar Das, DGM (NEDFi) was ceased as Managing Director, Addl. Charge w.e.f. 02.07.2023.

10. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD AND ITS COMMITTEE

The disclosures have been made under the Corporate Governance report annexed to this report as **Annexure A.**

11. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186

The Company has not granted any Loan and provided no guarantee and made no investment under section 186 of the Act during the year.

12. PARTICULARS OF CONTRACT AND ARRANGEMENTS WITH THE RELATED PARTIES UNDER SECTION 188

During the year under review, the Company has not entered into any contract and arrangement covered under section 188 of the Act.

13. CHANGE IN THE NATURE OF THE BUSINESS, IF ANY

During the reporting period, there was no change in the nature of the business.

14. NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR.

During the year under review, no company became or ceased to become the subsidiary, joint venture or associate of NERAMAC Ltd.

15. MATERIAL CHANGES IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR UNDER REVIEW AND THE DATE OF REPORTING.

No such material changes occurred affecting the financial position of the Company between the end of the financial year under review and the date of reporting.

16. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE ACT

The Company have not accepted or renewed any deposited covered under chapter V of the Act.

17. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDER PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

During the year under reporting, no significant and material order passed by any Regulators or courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

18. RISK MANAGEMENT SYSTEM

During the year under review, the Board of Directors in its 147th meeting held on 24.03.2023 approved the Risk Management Policy. The approved policy has been implemented w.e.f. 17.05.2023. Copy of Risk Management Policy available at the website of the company at <https://www.neramac.com/codes-and-policies>

As per the approved policy, a Corporate Risk Management Committee (CRMC) has been constituted w.e.f. 17.05.2023. The committee is headed by Managing Directors and the HODs are the member of the Committee. The CRMC is *inter-alia* responsible for identifying the areas of risks, assess the status of risk management in the Company, recommend the mitigation

measure, report to the Audit Committee of the Board on the areas on concerns.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has internal financial control system is in place. All financial decisions are taken centrally at the head office with the approval of the Competent Authority. Laid down financial Guidelines of the Govt. of India are duly adhered.

Internal Audit are conducted every year and the report of the Internal Auditors reviewed by the Audit Committee of the Board.

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the financial year under reporting, as the turnover/net worth/net profit of the Company were below the threshold limit as prescribed under section 135 of the Act, hence the clause is not applicable to the Company.

21. CORPORATE GOVERNANCE

A Corporate Governance Report prepared in accordance with Guideline on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises (DPE) enclosed as **Annexure A**

22. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

In accordance with the DPE Guidelines on Corporate Governance, 2010, Management Discussion and Analysis Report is forming integral part of this report and annexed as **Annexure B**.

23. STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY FOR THE FY 2022-23

M/s M.Borar & Co., Chartered Accountants, Guwahati were appointed by the Comptroller & Auditor General of India as the Statutory Auditors for the FY 2022-23 as per section 139 of the Act.

QUALIFICATION OF AUDITORS REPORT

The Auditors report contains few adverse remarks, qualifications, each of such remarks/qualifications of the Statutory Auditors has been duly replied by the Management and the management reply is annexed as **Annexure-C**

24. COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA AUDIT

The comptroller & Auditor General (C&AG) has conducted supplementary Audit under section 143(6)(a) of the financial statements for the year ending 31.03.2023.

25. DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS UNDER SECTION 149(6)

The Independent Directors have given declarations that they meet the criteria of Independence as laid down under section 149(6) of the Companies Act, 2013.

26. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Conservation of Energy

Your Company at it level has adopted best practices for conservation of energy.

Technology absorption

There were no such events of technology absorption during the reporting financial year.

Foreign exchange earning and outgo

The Company during the reporting financial year does not have any foreign exchange and outgo

27. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

NERAMAC constantly put best efforts for promotion and implementation of 'Hindi' as official language as per the directives of the Official Language Department, Ministry of Home Affairs. NERAMAC ensures to achieve the targets set for use of 'Hindi' in official communications for 'Region C'.

NERAMAC quarterly organise internal Hindi workshops for its employees and also participate in such workshops organized by the Central Govt. Dept./PSUs in the region. Hindi learning through 'Aajka Shabd' for employees are being displayed on Display Boards daily. Hindi *Pakwada* (Fortnight) also organized during the year from 14th September to 28th September. During the week, competition like 'Tippani Lekhan' (Note sheet writing), 'Patra lekhan (Letter

writing), *Kavita lekhan* (Poem writing) etc. was organized and prize was distributed to the winners.

NERAMAC received certificate for implementation of official language by the TOLIC (PSUs), Guwahati.

28. VIGILANCE MECHANISM AND IMPLEMENTATION

NERAMAC promote effective vigilance administration and ensure zero tolerance approach towards corrupt and unethical practices. Guidelines prescribed by the DPE and CVC for prevention, control and detection of the corrupt/unethical practises are implemented time to time.

Shri Iboyaima Meitei, Advisor, Horticulture, NEC and Board Member, NERAMAC has been appointed as part time Chief Vigilance Officer (CVO) of NERAMAC w.e.f. 20.12.2020 by the Ministry of DoNER.

Vigilance Awareness week was observed during the reporting period from 31.10.2022 to 06.11.2022 with theme “Corruption free India for a developed Nation”.

During the Vigilance Awareness Week, NERAMAC organized Pledge taking Ceremony and Slogan writing competition for employees.

During last five financial years no cases reported under CVC.

29. MECHANISM UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT (RTI), 2005:

NERAMAC has established RTI mechanism as prescribed under the Act. Company Secretary has been designed as the Central Public Information Officer (CPIO) and the Managing Director as the First Appellate Authority.

Mandatory disclosures as prescribed under section 4(1) of the RTI Act, 2005 are available on the website of the Company at <https://www.neramac.com/files/mandatory-disclosures.pdf>

Number of Applications/appeal received and disposed off during the year:

No. of Application received (Direct & Forwarded from other PA)	No. of Appeal received	Disposed off as on 31.03.2023	
		RTIs	Appeals
26	12	25	12

30. PURCHASE MADE FROM GOVERNMENT E-MARKET (GEM) PORTAL:

During the year under review goods worth Rs. 6.86 lakh purchased from GeM and services of Rs. 1.06 Cr. availed from GeM.

31. CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31.03.2023:

<u>Ser</u>	<u>Creditors</u>	<u>Amount Claimed</u>	<u>Liabilities Provided</u>	<u>Contingent Liabilities</u>	<u>Legal status</u>
1	Sobhayaga Advertising, Kolkata	1990,000/-	1,262,000/-	7,28,000	Sub-judice
2	M/s Harvel Agua Pvt Ltd	3,998,093/-	1,224,000/-	27,74,093/-*	Sub-judice
3	M/s R&Z Distributor	8,004,000/-	0.00	8,004,000/-	Sub-judice
4	Ratnagiri Impex Pvt Ltd	41,492,000/-	18,725,000/-	22,767,000/-	Sub-judice
5	AIDC lease rent for Multi-Fruit Processing Unit of Silchar- Plant handed over on 20.10.2020.	3,646,000/-	0.00	3,646,000/-	No legal case pending.
TOTAL		58,666,000/-	24,857,000/-	37,919,093/-	-

32. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The Company did not employ any such person whose particulars are required to be given under Rule 5(2) and (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Management Personnel) Rules, 2014.

33. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION , PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has constituted the Internal Complaint Committee in the manner as prescribed under section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

During the year under review, no complaint was reported relating to the sexual harassment of women at workplace.

34. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under Section 134 of the Companies Act 2013, the Directors hereby confirm that:

- i. in the preparation of the annual accounts for the Financial year ending 31st March, 2023, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- ii. the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31st March, 2023 and of the profit or loss of the Company for that period ;
- iii. the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- iv. the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- v. the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

35. MAINTENANCE OF COST RECORDS

Provisions of section 148(1) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company hence no cost records are maintained.

36. DETAILS OF FRAUD REPORTED BY THE AUDITORS UNDER SECTION 143(12)

There was incidence of fraud occurred/reported during the financial year under review.

ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors take this opportunity to express their gratitude to the shareholders, Ministry of DoNER, North Eastern Council, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and other Ministries and State Governments and other Government Agencies who have maintained trust and lend their support to NERAMAC. Your Directors also place on record their sincere thanks and appreciation to Company's Bankers for their assistance, co-operation and encouragement and to the Dealers, Business Associates for their continuing support and unstinting efforts and to the Employees of the Corporation in ensuring efficient performance during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

**Sd/-
M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500**

**Date: 27.03.2024
Place: Guwahati/Shillong**

ANNEXURE-A

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

Your Company's philosophy on Corporate Governance strive to meet its business objectives efficiently and accomplishing its responsibility towards its stakeholders. Your Company believes that Corporate Governance is not just complying with regulatory requirements but also to create highest standards of transparency in its every endeavour. In our commitment to practice sound governance principles, we are guided by the following core principles:

- ✓ Transparency
- ✓ Commitment
- ✓ Accountability
- ✓ Ethical conduct
- ✓ Safeguarding Stakeholders' interests

2. BOARD OF DIRECTORS & THEIR COMMITTEES

The Board of your Company consists of six members, the Board has the pool of such Directors each of them either having expertise in the field of core business of the Corporation or in the management and Governance. Therefore the Board has been perfectly constituted for efficient operation of the Corporation.

A. Board of Directors

i. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of One Functional Director, two Government Directors and two Non-Official Directors/Independent Directors and one representative from the North Eastern Council with a total of six Directors in the Board as on 31.03.2023. However the maximum tenure of six years of both the Independent Director expired. Request has been made to the Administrative Ministry for appointment of new Independent Directors.

ii. Number of Board Meeting

During the Financial Year 2022-23, the Board of Directors Meeting was held six times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	142 nd Board Meeting	11/07/2022

2.	143 rd Board Meeting	17/08/2022
3.	144 th Board Meeting	27/09/2022
4.	145 th (Emergent) Board Meeting	25/10/2022
5.	146 th (Emergent) Board Meeting	23/12/2022
6.	147 th Board Meeting	24.03.2023

Following is the list of Directors of the Company showing their categories and also attendance in the Board Meeting of the Company:

Ser	Name	Category	Date of Appointment	No of Board meetings held	No of Board meetings attended
1	Shri Saurabh Endley	Nominee Director	27/07/2018	06	05
2	Comde Rajiv Ashok (Retd)	Executive	03/07/2022	06	06
3	Shri Rajendra Prasad Gurung	Independent Non-Executive	12/09/2013	06	06
4	Shri. Rajan Lohia	Independent Non-Executive	12/09/2013	06	00
5	Shri. Mangsatabam Iboyaima Meitei	Nominee Director (NEC Representative)	11/11/2013	06	04
6	Shri Umesh Kumar	Nominee Director	20/10/2021	06	05

iii. Appointment of new directors

During the year under review, Commodore Rajiv Ashok (Retd) was appointment as full time Managing Director w.e.f. 03.07.2022 by the Ministry of DoNER on recommendation of the PESB.

Brief on qualification and experience:

Retired Indian Navy Officer, M.Phil. (Defence & Strategic Studies), M.Sc. (Security & Development), M.Sc. (Defence & Strategic Studies), M.Sc. (Diving Technology), B.Sc. (Meteorology & Oceanography). NERAMAC is his first PSU appointment.

iv. Code of Conduct

The Company is committed to conducting business in accordance with the highest standard of business ethics and complying with applicable laws, rules and regulations.

v. Remuneration

Our Company being a Central Public Sector Undertaking, the appointment, tenure and remuneration of Directors are decided by the President of India (delegated power to Ministry of DoNER). Hence, the Board does not decide remuneration of the Directors. Independent Directors are paid only sitting fees for attending the Board Meetings. Rs. 1500/- for each Board of Directors and its Committee Meeting.

Remuneration to the Executive Directors is fixed by the Administrative Ministry. During the year, Remuneration paid to Cmde Rajiv Ashok (Retd), Managing Director is detailed below:

Name of Director	Salary & Allowances (Rs.)
Cmde Rajiv Ashok (Retd)	28,04,532/-

B. COMMITTEES OF THE BOARD

In order to carry out the responsibilities & decision making smoothly and in prudent manner, the Board has constituted an Audit Committee which is headed by an Independent Director of the Board having expertise and of experience in the field of finance, legal, accounts, marketing, etc.

3. AUDIT COMMITTEE

Audit Committee has been constituted as per the DPE guidelines on the Corporate Governance. All the members of the committee are financially literate and have decent accounting or related knowledge.

A. Terms of Reference

The terms of reference of the Audit Committee is in consistency with the DPE Guidelines and other statutory requirements, the gist of terms of reference is as follows:

- The Audit Committee has power, to investigate any activity, seek information from any employee and to obtain outside legal or other professional advice when ever consider fit and proper by the Committee.

- b. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
- c. Recommending the Board, the fixation of audit fees and other payments payable to Auditor for other services rendered by him.
- d. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval.
- e. Reviewing, with the management and performance of statutory and internal auditors, and adequacy of the internal control systems and internal audit function, if any, including staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage.
- f. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- g. To review the functioning of the Whistle Blower mechanism, in case the same is existing.
- h. To review the follow up action on the audit observations of the CAG audit.
- i. The Audit Committee is empowered to review the Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations, statement of significant related party transactions, submitted by management, internal audit reports relating to internal control weaknesses, etc.

B. Composition

The Audit Committee is headed by Shri.Rajendra Prasad Gurung as the Chairman who is also an Independent Director. During the reporting financial year the Audit Committee consists of three members, two of them are the Independent Directors and One Non-executive Government Nominee.

C. Meetings

During the Financial year 2022-23 the Audit Committee four times on the following dates:

Ser	Number of Meeting	Date of Meeting
1.	27 th Audit Committee Meeting	23/05/2022

2.	28 th Audit Committee Meeting	16/08/2022
3.	29 th Audit Committee Meeting	19/10/2022
4.	30 th Audit Committee Meeting	20/03/2023

List of audit committee members along with their attendance in the meetings held:

Ser	Name of the Member	Designation in Committee	Category	Attendance
1	Sh. Rajendra Prasad Gurung	Chairman	Independent Director	4/4
2	Umesh Kumar	Member	Govt. Nominee	4/4
3	Shri. Rajan Lohia	Member	Independent Director	1/4

4. GENERAL BODY MEETINGS

A. Annual General Meeting

The details of the last three AGMs held are as follows:

Ser	Year	Date of AGM	Day & Time	Venue	Details of Special Resolution, if any
1.	2019-20	01.07.2021	Monday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	To revise the fees of Statutory Auditors for the FY 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
2.	2020-21	30.11.2021	Tuesday, 11:00 A.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	To approve the increase in the authorised share capital of the Company from Rs. 38.23 Cr. to

					Rs. 60.00 Cr.
3.	2021-22	27.09.2023	Tuesday, 04:00 P.M.	Registered Office i.e. at 9, Rajbari Path, Ganeshguri, G.S.Road, Guwahati through VC mode.	Nil

- i. *Due date for AGM for the FY 2019-20 and 2020-21 extended by the Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs to 31.12.2020 and 30.11.2021 respectively because of the COVID-19 Pandemic.*
- ii. *AGM for the FY 2019-20 was called on 31.12.2020, however due to the want of quorum the meeting was adjourned to the same day in the next week at the same time pursuant to section 103 of the Companies Act, 2013. Hence the meeting was held on 01.07.2021.*

B. Extra-ordinary General Meeting.

No Extra-Ordinary meeting was held during the reporting year.

5. **DISCLOSURES**

There were no transactions of material nature with the promoters or Directors or the Management etc, which have potential conflict with the interest of the Company at large. The Company has been particular in adhering to the provisions of the laws and guidelines of regulatory authorities.

6. **MEANS OF COMMUNICATION**

The Financial Results & other information about the Company are available on its website www.neramac.com .

7. **AUDIT QUALIFICATIONS**

The qualification of the Statutory Auditors in its report has been duly replied by the Management and has been attached as **Annexure - C** to this report.

8. COMPLIANCE WITH THE DPE GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

NERAMAC comply with the guidelines on Corporate Governance laid down by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance. NERAMAC was rated 'EXCELLENT' by the DPE for the FY 2021-22 for complying with the prescribed guidelines.

9. DISCLOSURES AND COMPLIANCE

- a. During the Financial year under review, there were no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of company at large.
- b. During the year, no expenses were incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.
- c. Administrative and office expenses as a percentage of total expenses were 2.91% during the year.
- d. The Company has framed Whistle Blower Policy to report about unethical behavior, actual or suspected fraud. During the year under review no personnel has been denied access to the Audit Committee.

10. WHISTLE BLOWER POLICY

The Company framed the ***"Whistle Blower Policy"*** for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud, or violation of the company's General guidelines on conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available at the website of the Company at www.neramac.com.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

**Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

**Sd/-
M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500**

**Date: 27.03.2024
Place: Guwahati/Shillong**

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT**1. Industry Structure & Development:**

Agriculture being the predominant business of the region, NERAMAC is playing vital role to support and grow the said business to the maximum reach. Particularly the horticulture sector of the region constitutes the major portion of the business and huge potential for growth. The agro-climatic conditions of the North-Eastern Region (NER) is favourable for production of good quality Agri-Horti produces like Pineapple, Jackfruit, Orange, Lemon, Chilli, Ginger and some exotic fruits like kiwi, Passion Fruit and Dragon Fruit.

North Eastern Region accounts for 72.3% of the area under pineapple production and 54.5% of India's pineapple production. NER accounts for 10% of the India Orange Production. Out of the total jackfruit production in the Country about 23.6% is contributed from the two north eastern State of Assam and Tripura, Tripura with 300,000 MT of production is the second largest producer in the country. India is the largest producer of Lemon, the NER produces nearly 226 thousand tons which is around 9% of the India's total lemon production. Ginger is the Key agricultural crops that is grown in almost all eight states of NER, together the region accounts for 24.1% of India's ginger production. NER is famous for its Naga King Chilli and Cherry pepper. The cultivation of Bhut Jholokiya is mainly practiced in Manipur and Assam. Arunachal Pradesh is the highest producer of kiwi in India producing around 6000 MT followed by Nagaland which is producing 2400 MT.

Despite huge potential there are number of challenges, which hinders the growth of Industry like remoteness of farm lands, hilly terrain, lack of proper infrastructure, lack of post-harvest management facilities, cluster based farmers, underdevelopment facilities for fruits and vegetables markets.

With the Intervention of number of programmes/schemes launched by the Government of India many of above mentioned problems are being addressed and NERAMAC under such programmes/schemes playing essential roles to elevate the Agri-Horti sector of the NER.

NERAMAC intervene in the Agri-Horti sector of the region through following business verticals for holistic growth of the sector:

- a. **Bulk Marketing of Agri-Horti produces:** Fresh Agri-Horti produces in bulk are sourced from FPOs/Farmers grow and marketed.
- b. **Retail Sale of Agri-Horti produces:** Processed and value added Agri-Horti products are marketed under retail segment.

- c. **Agri-Business:** Supplies agri-inputs and planting implements to State Governments.
- d. **Implementing Agency for Government Projects;** Functioning as Implementing Agency under 'Formation and Promotion of 10000 FPOs' of Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Bamboo Plantation Project of State Bamboo Development, Assam are the major one.
- e. **Skill Development & Livelihood training:** Capacity building and livelihood generation in Agri-Horti and related sector through skill development programmes & livelihood training.
- f. **Event Management:** Organising and participating in exhibitions/events/buyer-seller meet for promotion of Agri-Horti produces of the region.

2. Strengths and weakness

The Corporation has presence and is operating in all eight states of the region and procuring the locally grown produces and working in collaboration with the State Governments, FPOs/FPCs, entrepreneurs and SHGs creating widespread linkages in different corners of the region. The Corporation has vast experience in operating in the agro-horti sector of the region and also acting as the nodal agency in implementing the Central Government schemes and programmes.

Lack of post harvest management facilities of its own, remoteness of the clusters and hilly terrain, very few organised Mandis and no large sized processing plants.

3. Opportunities and threats

Number of untapped opportunities is present in the Agri-Horti sector of the region. As the region is emerging as the organic basket, the corporation has all possibilities to become the market leader in organic food sector. Whereas, under the "Act East policy" of the Government, new ventures can be explored and export promotions can be encouraged.

The potential threats are existence of the middle man and participation of Corporate Groups and local entrepreneurs in the marketing of agri-horticultural produce of the region, high cost of maintaining the supply chain due to geographical remoteness and lack of infrastructure in the region, unpredictable price fluctuation of agro-commodity and chances of early damages of the produces procured as being the highly perishable in nature as lack of proper back-end infrastructure to maintain and preserve the produces.

4. Outlook:

Rapid urbanization and fast growing economy has escalated the demand for 'Ready to Serve', organic and healthy food items in the country. Processing and value addition of the Agri-horti produces is the best mode to satisfy the huge demand of such markets. As NERAMAC is doing innovation and development in its retail segment, it is very much required that such efforts should be scaled and continued to capture the ever growing future markets. On the other hand, 'Ready to Serve', concept has created the demand for trained and skilled manpower in food processing industry and related ancillary jobs, strong focus should also be made to encourage and develop skilled manpower in NER and also support entrepreneurs of the region, involved in food processing and skill development. Whereas, number of Govt. schemes launched in the recent times, to favour the revival of the defunct processing plants as well as fresh investment for setting up of one, NERAMAC should explore such schemes for possible support, to revive its defunct plants and expand its operations in the processing sector. NERAMAC should also strategize and take advantage of cluster based farming and marketing, as far as sourcing of bulk quantities are concerns either for fresh marketing or processing. When it comes to Agri-Horti sector of NER, NERAMAC holds vast experience in the sector, this gives extra edge to NERAMAC in project implementation/conducting studies for on behalf of Government and its organizations. Agriculture and its allied activities still holds major stake in the economy of the region, therefore right and timely efforts of NERAMAC for the growth of Agri-Horti Sector has significance in the growth of the economy of region.

5. Risks & Concerns:

High volatile market of Agri-horti produces and less shelf life of the products is one of the major risk factor in this sector of business. In the absence of fixed mechanism for rates of Agri-horti produces, the rates are highly fluctuating, which impact the profitability to a large extent. Whereas the high logistics cost because of the remoteness of the farm gate and the hilly terrain also cuts the profit margins of the procurement operations.

6. Performance:

The Corporation has earned revenue of Rs. 96.66 Cr. from business operations and total revenue of Rs. 110 Cr., which is four times higher than the previous total revenue of Rs. 26.69 Cr. The Corporation has also registered net profit of Rs. 1.89 Cr. after a decade. Net profit with exceptional and extraordinary items stand at Rs. 4.27 Crore and profit after payment of MAT stand at Rs. 3.58 Cr.

7. Product-wise Performance

SL NO	PRODUCTS	2022-23		2021-2022	
		QTY	VALUE (RS)	QTY	VALUE (RS)
1.	Large Cardamom	1392 kg	7,18,928.00	9049.19 kg	35,59,914.00
2.	Fresh Ginger	25204 kg	4,06,144.00	4275.00 kg	51,300.00
3.	Black Pepper	24947 kg	1,13,44,434.00	30180.9 kg	105,12,265.00
4.	Black Rice	2214 kg	2,75,767.88	2551.60 kg	366943.00
5.	Dry Turmeric flakes	-	-	1000 nos.	1,33,300.00
6.	Fresh Pineapple	12689 kg	2,73,455.00	13846 nos.	2,51,353.00
7.	Fresh Watermelon	-	-	21600 kg	1,94,400.00
8.	Maize/Corn	-	-	50000 kg	9,39,749.00
9.	Sesame	-	-	796 kg	83,611.00
11.	Black mustard seeds	-	-	1550 kg	89,100.00
12.	Cinnamon	2500 kg	3,09,523.00	1000 kg	39,458.00
13.	Cashew nuts	15985 kg	17,30,989.00	50 kg	20,476.00
14.	Fresh Carrot	12094 kg	3,17,401.02	-	-
15.	Fresh Taro	1500 kg	32,500.00	-	-
16.	Kew Pineapple	6533 kg	1,23,901.00	-	-
17.	Green Chilli	1000 kg	40,000.00	-	-
18.	Supply of Agri-inputs to State Govt. (Seeds & Fertilizers)	-	9,49,742,836.00	-	2,40,524,378.00
20.	Processed Food Items		4,114,049.00		3,665,843.00
	Total (Rs)		96,94,29,928.00*		2,60,432,116.00

**Including Inter-Branch Sales of Rs. 3,302,726/-*

8. Internal Control System & their adequacy:

The Company formed the Audit Committee as a sub-committee of the Board of Directors on 13/12/2011 after the Ministry of DoNER has reconstituted the Board of Directors. Company has appointed Internal Auditor to put its best endeavour to strengthen the internal control system to ensure adequate control.

There is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Financial Powers are centralised at the Head office. The Audit Committee and the Internal Auditors put in their best endeavour to strengthen the internal control system time to time.

9. Approval of Revival Package by Govt. of India:

- a. Process for a fresh revival package initiated in March 2015 based on recommendation of Task Force of DPE (During the negotiation meeting of MoU).
- b. In 2015-2017, NEDFi was entrusted by the MoDONER to prepare a revival plan for the organization. Part I and Part-II of the report were examined at the Ministry. The report of NEDFi recommended for revival of NERAMAC by infusing fresh fund and conversion of outstanding Govt. of India loan into equity and writing off the interest and penal interest and VRS for the 50% of its regular employees.
- c. The report of the NEDFi validated by the IIM, Shillong in the year 2018. The validation report recommended for review of the existing value chain, adoption of new initiative like facilitating contract farming, e-commerce, GI promotion etc. Introduction of VRS, Infusion and fund management working capital, salary and administrative expenses. Recommended one time interest free loan to be paid within five years. No further investment to be made into the processing plants. They should either be handed over to other parties to run with profit sharing agreement, or in absence thereof be divested off.
- d. Thereafter the proposal was reviewed by the Committee of Secretaries consisting of Secretary, DoNER, Secretary, DPE and Secretary DIPAM.
- e. Action plan for revival of NERAMAC was prepared by NEDFi in January, 2021. The Action Plan recommended for fund based support of Rs. 17 Crore and Non-Fund based support of Rs. 60.45 Crore.
- f. Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) approved the Revival proposal of NERAMCA on 16th August, 2021. The package consists of Rs. 17 Crore fund based support for business operations, implementation of ERP and E-commerce Portal and paying off the committed liabilities. Non-fund based support of Rs. 60.45 Crore in the form of conversion of outstanding

Govt. of India working capital loan of Rs. 28.23 Crore into the equity share capital and writing off the Interest and Penal Interest of Rs. 32.22 Crore. Non fund based support will help in financial restructuring of the Company and to achieve positive net worth in the years to come.

10. Status of Processing Plants

- a. **Fruit Juice Concentration Plant, Nalkata, Tripura** :The Fruit Juice Concentration Plant at Nalkata, Tripura was commissioned in year 1988. Since 2012 the plant was non-operational as incurring losses due to Single product line operation. Options are being explored to revive the plan under Government schemes or through PPP mode.
- b. **Ginger Processing Plant, Byrnihat, Meghalaya**: The unit with a capacity of processing 5 MT of ginger per day started operating from 2002-03 to cater the needs of ginger growers of North East. The plant was non operational since 2012 due to Obsolete Technology and fund Constraint to upgrade the technology. However recently the plant has been handed over to private partner selected through open tender process for Operation & Management (O&M). Infrastructural development work by the O&M operators for running the plant is in progress. The plant is expected to get operational by mid April 2024.
- c. **Cashew Processing Unit, Agartala, Tripura** :_The unit was commissioned in 1994 to cater to the cashew growers of Tripura. The plant was closed by Pollution Control due to smoke in roasting section under the stricture of Pollution Control Board of Tripura. However with the financial support of Rs. 57.50 lakh from NEC, the plant has been revived. After renovation the plant commissioned operation on 18.09.2023. The new plant has the processing capacity of 500 kg of raw cashew per day.
- d. **Cashew Processing Plant, Mancachar, Assam**: Construction of the Cashew nut Processing Plant was initiated in the year 2009 with capacity to process 4 MT of Raw Cashew per day. 95% of the construction was completed by 2013-14, but could not be commissioned. Delay in disbursement of fund resulting in escalation of project cost and time over run. Options are being examined to commissioned the plant under schemes of Govt. of India or through PPP

11. Construction of Market Complex at Six Mile, Guwahati.

Construction of first phase of NEC funded Marketing Complex has been completed in January, 2023. The building is designed as Green Building Project and State-of-the -Art Landmark Buildings in the region. Construction for first phase consist of B+G+4 (Commercial Building) and B+G+1 (Guest House) started in September, 2020. M/s Hindustan Prefab Ltd was the Project Management Consultant for the project.

**For and on behalf of the Board of Directors
NERAMAC Ltd**

Sd/-

**Cmde Rajiv Ashok (Retd)
Managing Director
DIN: 09598427**

Sd/-

**M.Iboyaima Meitei
Director
DIN: 08220500**

Date: 27.03.2024

Place: Guwahati/Shillong

ANNEXURE-C

MANAGEMENTREPLYTOTHEREMARKSOFTHESTATUTORYAUDITORS(2022-23)

SI No	Observation					Reply by Management
1	<u>Old & Obsolete stocks</u>					Noted. Damaged/expired stocked are being verified. Necessary steps will be taken based on the verified report with approval of the Competent Authority/ Board of Directors.
	S I .	Item	Location	Qty	Value	Remarks
	1	Large Cardamom	Z/o Nagaland	100kg	92290	Purchased in 2016-17.
	2	Chilly Pickle	FJCP Nalkata	54nos	6210.00	10 years above
	3	Chilly Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	244 nos	9760.00	
	4	Chilly Pickle (400 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	103 nos	7004.00	
	5	Jackfruit Pickle	FJCP Nalkata	313nos	34430.00	
	6	Jackfruit Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	55 nos	2145.00	
	7	Jackfruit Pickle(400gms Bottle)	FJCP Nalkata	109 nos	7303.00	
	8	Mango Pickle	FJCP Nalkata	23nos	2320.00	
	9	Mango Pickle (200 Gms Bottle)	FJCP Nalkata	219 nos	8103.00	
				Total	169565.00	

	<p>As per 'AS-2' Inventories are to be value at cost or Net Realizable Value, whichever is less, taking into account the damaged stocks, if any, as per physical verification report. Scrutiny of records revealed that the physical status of the above items was not obtained from respective units before valuation and the same were valued at historical cost. As mentioned above, most of the items are perishable in nature which cannot be utilized for its real purpose after elapse of time.</p> <p>Thus, as per prudence practice of accounting, provision should have been made against these inventories to reflect true & fair view of the financial statements. Non provision of the above has resulted in overstatement of inventories and understatement of Loss for the year by Rs.1.69 lakh</p>															
2	<p><u>Inventories</u></p> <p>a. Physical verification of stock was done as on 31-03-2023 for Agartala Unit and Assam Six Mile Godown. Zonal Office Assam</p> <p>b. There is mismatch in physical inventory and stock as per books of accounts. Although the cost or NRV of actual inventory is not available, so the amount of difference between the physical stock and the stock maintained in the books cannot be quantified.</p> <p>c. As there is difference between the physical stock and stock as per books of accounts, so it is not possible for us to certify that the value of closing stock as per Books of Accounts stand true and correct. Actual difference cannot be quantified as actual value not available for physical stock.</p>			ERP system has been implemented w.e.f. 01.04.2023 with Inventory Management Module. Facility of Unique Id is part of Inventory Management Module to avoid discrepancies in reconciliation.												
3	<p><u>Pending Debtors</u></p> <table><tr><th>S N</th><th>Name of Unit/Party</th><th>Amount Rs.</th><th>Remarks.</th></tr><tr><td>1</td><td>Director of Horticulture, Khanapara, Zonal Office, ASSAM</td><td>1,94,11,040/-</td><td>More than 5 years old</td></tr><tr><td>2</td><td>M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi, FJCP, Nalkata</td><td>4,14,754/-</td><td>More than 5 years old</td></tr></table>			S N	Name of Unit/Party	Amount Rs.	Remarks.	1	Director of Horticulture, Khanapara, Zonal Office, ASSAM	1,94,11,040/-	More than 5 years old	2	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi, FJCP, Nalkata	4,14,754/-	More than 5 years old	Old and unsettled debtors are being scrutinised by the Management for settlement/provisioning.
S N	Name of Unit/Party	Amount Rs.	Remarks.													
1	Director of Horticulture, Khanapara, Zonal Office, ASSAM	1,94,11,040/-	More than 5 years old													
2	M/s Prime Edible (P) Ltd, New Delhi, FJCP, Nalkata	4,14,754/-	More than 5 years old													

	Total		1,98,25,794/-		
	The above table shows that an amount of Rs.198.25 lakh was due from various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years. Non provision of the above resulted in overstatement of trade receivables by Rs. 198.25 lakh with understatement of provision as well as Loss for the year by similar amount.				
4	Pending Creditors				Old and unsettled creditors are being scrutinised by the Management for settlement/provisioning.
	Sl No	Location	Amount		
	1	HEAD OFFICE	40,88,482.05		
	2	ZONAL OFFICE, ASSAM	1,88,47,144.04		
	3	ZONAL OFFICE, AGARTALA	1,14,15,097.00		
	4	KOLKATA UNIT	4,46,47,377.64		
	5	ZONAL OFFICE SIKKIM	9,03,350.90		
		Total	8,01,88,505.63		
	The above table shows that an amount of Rs 801.89 lakh was due to various parties which was outstanding for a period exceeding 5 years.				
5	Fixed Assets				Noted for compliance.
	a. As per Ministry of Company Affairs notification dated 11.10.2018, Schedule III to the Companies Act 2013 has been amended to replace "Fixed Assets" with the words "Property, Plant and Equipment". The Balance Sheet as on 31.03.2023 has not used the words "Property, Plant and Equipment".				
	b. Depreciation on fixed assets wrongly calculated as wrong block is taken into consideration for some of the assets leading to booking of lower depreciation and overvaluation of assets by Rs. 1,24,837.17 resulting in higher profit for the FY 2022-23.				These items of Assets are taken as part of building structure (Other than factory building). Hence 60 years of useful life has been considered.
	Asset	Dep Charged in Books	Actual depreciation to be charged	Difference in depreciation	
	Building	5,80,774.00	580808.54	34.54	
	Office Equipment	29,642.00	2,10,986.65	1,81,344.65	

	<table><tr><td>Computers</td><td>85,401.00</td><td>1,16,170.85</td><td>30,769.85</td></tr><tr><td>Electricals</td><td>71,289.00</td><td>0</td><td>-71,289.00</td></tr><tr><td>Furniture</td><td>67,176.00</td><td>63,147.62</td><td>-4,028.00</td></tr><tr><td>Electrical Equipment's</td><td>14,830.00</td><td>0</td><td>-14,830.00</td></tr><tr><td>Plant & Machinery</td><td>5258.00</td><td>8084.97</td><td>2826.97</td></tr><tr><td>Vehicles</td><td>63,702.00</td><td>63,710.54</td><td>8.54</td></tr><tr><td></td><td>9,18,072.00</td><td>10,42,909.17</td><td>1,24,837.17</td></tr></table>	Computers	85,401.00	1,16,170.85	30,769.85	Electricals	71,289.00	0	-71,289.00	Furniture	67,176.00	63,147.62	-4,028.00	Electrical Equipment's	14,830.00	0	-14,830.00	Plant & Machinery	5258.00	8084.97	2826.97	Vehicles	63,702.00	63,710.54	8.54		9,18,072.00	10,42,909.17	1,24,837.17	
Computers	85,401.00	1,16,170.85	30,769.85																											
Electricals	71,289.00	0	-71,289.00																											
Furniture	67,176.00	63,147.62	-4,028.00																											
Electrical Equipment's	14,830.00	0	-14,830.00																											
Plant & Machinery	5258.00	8084.97	2826.97																											
Vehicles	63,702.00	63,710.54	8.54																											
	9,18,072.00	10,42,909.17	1,24,837.17																											
	<p>c. Excess depreciation is charged for some of the assets due to wrong block amounting to Rs. 46,725.00 resulting in undervaluation of profit by same amount.</p> <p>d. NERAMAC is having vehicle TATA Manza since 2011. Purchase cost of the same was Rs.6,00,957/- salvage value as on 31-03-2023 is Rs.30,048/- Operating cost of the vehicle is beyond economical as the upkeepment cost for the last 5 years is Rs.8,42,919/- and parts are also not available as Tata Manza was discontinued in 2015.</p>	The condemnation report obtained from MVI. With the approval of the Board of Directors in its 150 th Board Meeting, the vehicle was auctioned on 05 March 2024 at price of 30,000/- .																												
6	<p>Grant related</p> <p>Grant of Rs 16,00,000.00 was sanctioned by NEC for awareness program in FY 2017-18 but total expenditure amounts to Rs 17,75,547.00 balance amount Rs 1,75,547.00 (17,75,547-16,00,000) is still lying under grants (dr. balance) which needs to be adjusted.</p>																													
7	<p><u>Prior period Items</u></p> <p>As per para 15 of As-5 Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies-"The nature and amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that their impact on the current profit or loss can be perceived."</p> <p>Profit & Loss account has been debited /credited with the following items:</p> <table><tr><td>Particulars</td><td>Debit</td><td>Credit</td></tr><tr><td>Adani Airport Holding Ltd</td><td>34,195.00</td><td>-</td></tr><tr><td>Airport Authority of India (Deposit)</td><td>1,01,377.00</td><td>-</td></tr></table>	Particulars	Debit	Credit	Adani Airport Holding Ltd	34,195.00	-	Airport Authority of India (Deposit)	1,01,377.00	-	Noted for compliance.																			
Particulars	Debit	Credit																												
Adani Airport Holding Ltd	34,195.00	-																												
Airport Authority of India (Deposit)	1,01,377.00	-																												

	Shankar Nath (Foundation Day, Agartala)		5,560.00	-			
	Electricity Bill (Secretariat Stall, Agartala)		5,256.00	-			
	Bank Charges		43,344.85				
	Bank Interest			18,954.00			
	Dynatek		3,950.00				
	Advance A/c (Bijoy Sarma)		12,000.00				
	Digi Printers		6,596.00				
	Z.O SIKKIM(CL)		1,298.00				
	ZO Dilli Hat Unit (SC)		1,992.00				
	Z.O ASSAM(CL)		1,35,572.00				
	Z.O A.P (Advance Aganst Sales)		885.00				
	GRANT SIX MILE BUILDING PROJECT		32,17,124.00				
	Revival Grant			2,28,4027.00			
	SBI, AGARTALA BR		10,816.00				
	PUNJAB NATIONAL BANK-1907002100013327			6,000.00			
8	Interest on Fixed Deposits:				Noted. The difference will be adjusted under head 'Prior Period Adjustment' in FY 2023-24.		
	Account Number	Bank	Principal Amount	Interest Accrued		Interest accounted for	Short accountin g of

						Interest	matured)	
		32355985 984	SBI	1,19,465	8,240	-	8,240	-
		32423260 531	SBI		2,116	1,976	140	-
		36339183 017	SBI	10,08,000	37,039	36,370	669	-
		36339174 400	SBI	30,00,000	1,10,307	1,08,313	1,994	-
		36339184 124	SBI	7,50,000	27,576	27,078	498	-
		39921081 827	SBI	19,15,428	82,263	81,113	1,150	-
		39921082 140	SBI	6,18,254	26,187	25,821	366	-
		40824351 320	SBI	4,35,00,00 0	18,02,151	16,80,236	1,21,915	-
		40824351 761	SBI		64,658	91,552	-	26,894
		40824444 873	SBI		1,63,650	1,90,038	-	26,388

	40824444 421	SBI	50,00,000	2,32,816	2,26,463	6,353	-	
	40824350 825	SBI		1,06,685	1,51,061	-	44,376	
	41064901 868	SBI	75,60,936	2,80,498	1,76,652	1,03,846	-	
	41357856 368	SBI	58,89,645	1,25,417	12,542	1,12,875	-	
	Total		6,93,61,72 8	30,69,603.	28,09,2150	3,58,046	97,658.00	
	Interest on FD was not booked as per interest certificate. Resulting in short accounting of interest by amount Rs. 3,58,046. Also for STDR which got matured during FY 2022-23, excess accounting of interest was done by Rs. 97,658.00.							
9	<u>Suspense Account:</u> a) Suspense account of Rs. 4,68,920 is standing in current liabilities of HeadOffice – Assam account. b) Unnamed creditor amounting to Rs. 4,50,000 is standing in Agartala Zonal Office books.							a. Amount of Rs. 1.76 lakh already settled and remaining amount is being verified for settlement from Suspense account. b. Noted. Correction will be made in Accounts for FY 2023-24.
10	<u>Revival Grant:</u> The company has transferred the non-fund based support of Rs.32.33 Cr. of interest and penal interest (Calculated upto 30.09.2021) on the outstanding Govt. of India loan of Rs.28.23 (upto 31.03.2021) under head capital grant – non fund based support under “Reserve & Surplus” based on opinion obtained from the Tax Professional. In this regard, the company has also submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as working capital grant							Noted.
11	<u>Bank Account (BRS):</u>							Noted. Adjustments made in the accounts for FY 2023-24.

	<table><tr><th>Bank</th><th>Particulars</th><th>Chq No</th><th>Chq Date</th><th>Amount</th></tr><tr><td>SBI Commercial Branch – 10566983457</td><td>Registration Fees</td><td>413748</td><td>31-01-2020</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Baksa Beekeepers &Agro Producer Co Ltd</td><td>413819</td><td>16-09-2020</td><td>3,570.00</td></tr><tr><td>SBI New Guwahati Branch</td><td>Zonal Office Assam</td><td>805740</td><td>19-04-2021</td><td>1,440.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>495167</td><td>29-12-2021</td><td>27,999.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>38,009.00</td></tr></table>	Bank	Particulars	Chq No	Chq Date	Amount	SBI Commercial Branch – 10566983457	Registration Fees	413748	31-01-2020	5,000.00		Baksa Beekeepers &Agro Producer Co Ltd	413819	16-09-2020	3,570.00	SBI New Guwahati Branch	Zonal Office Assam	805740	19-04-2021	1,440.00			495167	29-12-2021	27,999.00	Total				38,009.00	
Bank	Particulars	Chq No	Chq Date	Amount																												
SBI Commercial Branch – 10566983457	Registration Fees	413748	31-01-2020	5,000.00																												
	Baksa Beekeepers &Agro Producer Co Ltd	413819	16-09-2020	3,570.00																												
SBI New Guwahati Branch	Zonal Office Assam	805740	19-04-2021	1,440.00																												
		495167	29-12-2021	27,999.00																												
Total				38,009.00																												
Stale cheques amounting to Rs. 38,009.00 are still standing in BRS of SBI Bank accounts. The same needs to be removed from the books of accounts as the same leads to excess expenditure booking.																																
12	Statutory Dues: i. 2% TDS needs to be deducted as per sec 51 of the CGST Act, 2017 if the value of taxable service exceeds Rs. 2,50,000.00 during the FY. In case of payment to Adani Airport Holding Limited there has been short deduction of TDS by Rs. 648.00.		The short deduction will be reconciled and deposited at the time of filing of Annual Return for the FY 2022-23.																													
	<table><tr><th>Financial Year</th><th>Rent booked</th><th>GST</th><th>Total Rent</th><th>Actual TDS</th><th>TDS deducted</th><th>Short deduction</th></tr><tr><td>2022-23</td><td>4,18,147.00</td><td>75,266.00</td><td>4,93,413.00</td><td>41,815.00</td><td>41,167.00</td><td>648.00</td></tr></table>	Financial Year	Rent booked	GST	Total Rent	Actual TDS	TDS deducted	Short deduction	2022-23	4,18,147.00	75,266.00	4,93,413.00	41,815.00	41,167.00	648.00																	
Financial Year	Rent booked	GST	Total Rent	Actual TDS	TDS deducted	Short deduction																										
2022-23	4,18,147.00	75,266.00	4,93,413.00	41,815.00	41,167.00	648.00																										
<u>ITR not filed for FY 2019-20 & FY 2020-21.</u>		Condonation of delay requests has been filed with Income Tax department for the FY- 2019-20 & 2020-21.awaiting for the approval to file the returns.																														
	<table><tr><th>Assessment Year</th><th>Financial Year</th><th>Particulars</th><th>Amount</th><th>Status</th></tr><tr><td>2020-21</td><td>2019-20</td><td>TDS receivable</td><td>4,66,358.00</td><td>not filed</td></tr></table>	Assessment Year	Financial Year	Particulars	Amount	Status	2020-21	2019-20	TDS receivable	4,66,358.00	not filed																					
Assessment Year	Financial Year	Particulars	Amount	Status																												
2020-21	2019-20	TDS receivable	4,66,358.00	not filed																												

	2021-22	2020-21	TDS receivable	2,20,636.00	not filed	
13	Non Provision of Expenses: Entry not passed for booking of rent due to Adani Airport Holding Limited for the month of March 2023 amounting to Rs. 46,610.00. No provision for doubtful recovery/refund of TDS was made in the books of accounts for the period upto FY 2015-16 as condonation for claim can be filed upto six years from the end of the relevant assessment year as per circular no. CIRCULAR 9/2015 [F.NO.312/22/2015-OT], DATED 9-6-2015. Non-provision of the same has resulted in understatement of provision for doubtful debts/receivable and loss for the year by Rs 38.15 lakh each.					Bill received after the close of financial year. Amount will be adjusted in FY 2023-24. Noted
	Assessm ent Year	Financial Year	Particulars	Amount(Rs.)	IT Return filing date	
	2014-15	2013-14	TDS receivable Prior to F.Y. 2013-14	13,49,343	31-05-2021	
	2015-16	2014-15	TDS receivable	11,09,455	31-05-2021	
	2016-17	2015-16	TDS receivable	8,41,489	31-05-2021	
	2017-18	2016-17	TDS receivable	5,15,238	07-12-2021	
	Total			38,15,525		
	The NERAMAC has also requested the income tax authorities for condonation of delay in filing ITR for the FY 2017-18 to 2020-21 under section 119 (2) (b) of the Income Tax Act 1961. Non provision of Tax Audit fees for the F.Y. 2021-22 amounting to Rs.15,000/- resulted in understatement of expenses and over accounting of profit.					Noted and the amount will be booked under prior period adjustment in FY 2023-24.
14	General Observations: i. Trade receivable for the annual accounts for the year 2022-23, the amount of trade receivables outstanding for a period less than six months was accounted as 'NIL' while the amount of outstanding for a period was accounted as Rs.800.04 lakhs in 2022-23. However, the scrutiny of the status of debtors revealed that the amount of Trade Receivable					i) Noted ii) Noted iii) Noted amount transfer to iv) Already TAN change to PAN, but in income tax department tax

	outstanding for a period less than six months was Rs. 271.58 lakhs in 2022-23 while the amount of outstanding for a period exceeding six months was Rs. 528.46 lakhs in 2022-23.			deposit challan booked in AY 2008-09 and as per tax deposit challan the AY is 2010-11. Income tax department sent the tax deposit challn to help desk for rectification. v) As concern department deducted TDS and deposited against NERAMAC PAN but fund was not received from the Department. Therefore it was not taken in accounts. vi) Noted																				
	ii.	In statement of Profit & Loss for the year ended 31 st March 2023, the serial number of particulars depicting "Earning per Equity Share of Rs. 1000 each" and "Earning per Equity Share excluding extraordinary items of Rs. 1000 each" are wrongly numbered as XIV and XII respectively.																						
	iii.	Shortage of stock amounting to Rs 0.35 lacs in Secretariat Stall, Agartala which was incorrectly adjusted through cash book by booking false sales & advance to Kanti Lashkar in FY 2021-22 is not written off from books of accounts although the matter has been discussed in the 28 th & 29 th Audit Committee Meeting.																						
	iv.	TDS wrongfully deposited under TAN instead of PAN amounting to Rs.57,17,915/- for AY 2010-11 & AY 2012-13. Action for refund has been initiated by the management but proper follow up recommended.																						
	v.	Mismatch in TDS receivable. The TDS/TCS refund as per the ITR for the FY 2022-23 was Rs. 9,64,049.00. Whereas the same as per accounts of the company was Rs. 8,28,140.00. Difference of Rs. 1,35,909.00 is due the following entries which are not taken in the books of accounts.																						
<table><tr><th>S.No.</th><th>Deductor</th><th>TDS as per 26AS</th><th>TDS as per books of company</th></tr><tr><td>1</td><td>District Horticulture Office Bettiah</td><td>82,851.00</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>District Horticulture Office</td><td>26,258.00</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>NERAMAC</td><td>26,800.00</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>1,35,909.00</td><td></td></tr></table>					S.No.	Deductor	TDS as per 26AS	TDS as per books of company	1	District Horticulture Office Bettiah	82,851.00	-	2	District Horticulture Office	26,258.00	-	3	NERAMAC	26,800.00	-	Total		1,35,909.00	
S.No.	Deductor	TDS as per 26AS	TDS as per books of company																					
1	District Horticulture Office Bettiah	82,851.00	-																					
2	District Horticulture Office	26,258.00	-																					
3	NERAMAC	26,800.00	-																					
Total		1,35,909.00																						
Reply to observations made in the CARO																								
11	There has been mismatch in number and type of assets as per physical verification report and as per books of accounts. As the cost of the asset as per physical verification is not available, so the			Note for compliance																				

	same cannot be quantified in terms of rupees.	
12	During physical verification it was also observed that, some of the assets are either damaged or not in working condition. These assets need to be scrapped and write off from the books of accounts.	Damaged/scraped fixed assets as per the physical verification reports are auctioned in the month of July 2023 as per the prescribed procedure. Auction Amount Received: Rs.8,000/-
13	Fixed Asset register does not reveal detail information of asset such as unique ID, location, number of units purchased, cost of the asset, recoverable cost etc.	Noted and will be rectified.
14	<ul style="list-style-type: none"> a. According to the information and explanations provided to us the inventories are physically verified at reasonable intervals. But the accuracy of the same cannot be certified as there is mismatch between the physical stock and inventory maintained in the books. b. The procedure of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business, How evr stock audit from an independent entity is recommended.. c. Manual records of inventory are maintained by the management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of account. 	ERP system has been introduced for accounting of retail inventory and is being modified as required based on experience. Accordingly, a unique ID for each item would be introduced now to ensure no mis-match is there in cases where a similar product is being provided by different entrepreneurs.

Management Reply to the Para of CAG in the Comments Certificate issued under section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013 for the FY 2022-23.

Para No	CAG Para	Management Reply
A. Comment on Financial Position,		
A. 1	<p>Capital Work-in-progress - ₹ 14.30 crore (Note No. 7A)</p> <p>The above includes an amount of ₹12.31 crore being expenditure on construction of marketing complex at Six Mile, Guwahati. The company has spent an amount of ₹1286.73 lakhs on the construction of the building out of grant received from the Ministry. The project was completed (total expenditure of ₹12.87 crore including ₹0.18 crore on promotions) and handed over to NERAMAC by the contractor on 20 December 2022. Hence, an amount of ₹12.69 crore should have been capitalized but the building was not capitalized during the year.</p> <p>This has resulted in overstatement of Other current liabilities and Capital work-in-progress by ₹37.51 lakh and ₹12.31 crore, respectively, with consequent understatement of Property, Plant & Equipment by ₹12.69 crore. The non-capitalization of expenses has also resulted in understatement of depreciation (amount indeterminate).</p>	<p>Physical Construction of Building (B+G+4) was completed on January 2023. However, the lift and transformer was installed/set-up by end of March 2023. Therefore, occupancy certificate was given by the GMDA. Only after installation of lift & transformer, NERAMAC applied for occupancy certificate from the GMDA and occupancy certificate granted on 20.08.2024. As no occupancy certificate was received on 31 March 2023, the building was not 'put-to-use' and recognized under 'PPE' during the financial year.</p>

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NORTH EAST REGIONAL AGRICULTURE MARKETING CORPORATION LIMITED, GUWAHATI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of **NORTH EAST REGIONAL AGRICULTURE MARKETING CORPORATION LIMITED, GUWAHATI** for the year ended 31st March 2023 in accordance with the Financial Reporting Framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143(2) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 06 August 2024 which supersedes their earlier Audit Reports dated 11 September 2023 and Revised Audit Report dated 31 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Chandigarh Industrial and Tourism Development Corporation, Chandigarh for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comment on Financial Position:

A.1 Capital Work-in-progress - ₹14.30 crore (Note No. 7A)

The above includes an amount of ₹12.31 crore being expenditure on construction of marketing complex at Six Mile, Guwahati. The company has spent an amount of ₹1286.73 lakhs on the construction of the building out of grant received from the Ministry. The project was completed (total expenditure of ₹12.87 crore including ₹0.18 crore on promotions) and handed over to NERAMAC by the contractor on 20 December 2022. Hence, an amount of

₹12.69 crore should have been capitalized but the building was not capitalized during the year.

This has resulted in overstatement of Other current liabilities and Capital work-in-progress by ₹37.51 lakh and ₹12.31 crore, respectively, with consequent understatement of Property, Plant & Equipment by ₹12.69 crore. The non-capitalization of expenses has also resulted in understatement of depreciation (amount indeterminate).

**For & On Behalf of
the Comptroller & Auditor General of India**

Date: 02.09.2024
Place: New Delhi

Sd/-

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure), New Delhi

SUDHA & ASSOCIATES
Practising Company Secretaries II

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited

9, Rajbari Path, Ganeshguri, G. S. Road, Guwahati - 781005

We have examined the records and compliances of **NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPN LTD** bearing CIN : U01409AS1982GOI001932 (referred to as the 'Company') for the financial year ended 31st March, 2023, in terms of the "Guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" circulated by the Department of Public Enterprises in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises of the Government of India (now allocated under Ministry of Finance) vide Memo No. 18(8)2005-GM dated 14.05.2010 (here-in-after referred to as 'Guidelines').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above-mentioned Guidelines, except the following clauses:

Clause 3.1.1 relating to Composition of Board: Though the number of Board members are more than the minimum number of 5 directors, however the Board of Directors not constituted as per Articles of Association. Further Independent Directors are holding office for more than 2 (two) consecutive terms. One Independent Director did not attend any meeting during the Financial Year 2022-23. Hence, he is disqualified to hold directorship in consonance with the provisions of Section 167(1)(b) of the Companies Act 2013.

SUDHA & ASSOCIATES
Practising Company Secretaries II

Clause 3.3.1 relating to Number of Board Meetings :SixBoard meetings were held during the year and the meetings were held in compliance to the Companies Act, 2013. However, the provisions of clause 3.3.1 was not complied with in full as the gap between 141st and 142nd Meeting is 4 months 3 days which exceeds one month three days. The Agenda of the Board meetings did not cover the minimal information on quarterly results on the operating business of the Company.

Clause 3.3.3 relating to compliances of laws to be reviewed: Compliance and reviewal of only few laws applicable to the Company are being reported.

Clause 3.7 relating to Training of Directors: Various Training to Directors to enable them to impart their roles and regulations have not been provided and recorded in Corporate Governance Report.

Clause 4.4 relating to Meeting of Audit Committee:Four meetings of audit Committee were held. The provisions of clause 4.4 was not complied with in full as the gap between 29th and 30th Audit Committee Meeting is 5 months 2 days, that is more than 4 (four) months.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the further viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For **SUDHA & Associates**

Sd/-

CS Sudha Sarma

Practicing Company Secretary

M.No. F6278 /COP: 15754

UDIN : **F006278F001110876**

Date :02.09.2024

Place : Guwahati

M.BORAR & CO.

Chartered Accountants

B-4, 2nd Floor, House No 02 Opp Central PWD Office Bhuban Bhuyan Path Bamunimaidan, Guwahati - 781 021

E mail- mborarco@gmail.com Ph - +91 361 3594709/94350 11616/98640 18747

REVISED INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited

Report on the Standalone Financial Statements

We have issued an audit report dated 11.09.2023 ("the original Report") on the financial statements. Pursuant to provisional comments of Comptroller & Auditor General of India u/s 143(6)(b) of Companies Act 2013 the original report has been amended in certain items of opinion and report on other legal and regulatory requirements.

We have issued a revised report dated 31.05.2024 ("the Revised Report") on the financial statements. Pursuant to provisional comments of Comptroller & Auditor General of India u/s 143(6)(b) of Companies Act 2013 the original report has been amended in certain items of opinion and report on other legal and regulatory requirements.

Adverse Opinion

We have audited the accompanying financial statement of **North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the Balance sheet as at 31st March 2023, the statement of profit & loss and the cash flow statement for the year ended, and the summary of the significant accounting policies and the explanatory information (hereinafter referred to as "the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion Section of our report, the financial statements do not give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31, 2023, of its profit, and the cash flows for the year then ended.

Basis for Adverse Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's

Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion on the standalone financial statements.

We draw attention to the matters described in **Annexure 'A'** the effect of which, individually or in aggregate, are material and pervasive to the Standalone Financial Statement and matters where we are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. The effects of matters described in said **Annexure 'A'** which could be reasonably determined are quantified and given therein. Our Opinion is adverse in respect of these matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the company are responsible for overseeing the Financial reporting process of the company.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the

financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in

- (i) Planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and
- (ii) To evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements

- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore, the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "**Annexure B**" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on verification of books of accounts of the company and according to information and explanations given to us, we give below a report on the Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143 (5) of the Act we give in "**Annexure D**"
3. As per Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 we report that :-
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except for the matters stated on Annexure A ;
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have not been kept by the Company so far as appears from our examination of those books. The Books of Accounts have not been fully maintained under the accrual basis as required under Section 128 of the Act.

Further proper returns adequate for the purposes of our audit have not been received from the branches not visited by us;
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including the Statement of Cash Flow and Statement Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d. In our opinion, and in terms of matters described in "Basis of Adverse Opinion Paragraph", the accompanying financial statements do not comply with the accounting standards prescribed U/s 133 of the Act, with rule 7 of the companies (Accounts) Rules 2014 as applicable;

In our opinion, the matters described in basis of Adverse Opinion paragraph may have adverse effects on the functioning of the Company.

- e. The directors of the Government Companies were exempted from the provisions of Section 164(2) of the Companies Act 2013, vide notification no GSR 463 dated 5th June, 2015;
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C"**;
- g. With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Company (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion to best of our information and according the explanations given to us ;
 - i) The company has disclosed the impact of pending litigations on its Financial position in its Financial Statements-Refer to the Financial Statement,
 - ii) We are unable to comment on the adequacy of the provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any no long-term contracts including derivative contracts.
 - iii) No amount was required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv)
 - a. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or Provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries.
 - b. The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v) Proviso to Rule 3(1) of the Company (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of accounts using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to Company with effect from April 1, 2023 and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.

h. With respect to the matter to be included in the Auditor's Report under Section 197(16) of the Act:

The Provisions of section 197(16) as amended read with schedule V to the Act are applicable only to the public companies. Accordingly, reporting under Section 197(16) of the Act, as amended is not applicable to the company

M. Borar & Co
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Date : 06/08/2024
Place : Guwahati

Sd/-
(CA. Manish Bagaria)
Partner
M. No. 303339

UDIN- **24303339BKCOOX7402**

**North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited.
“Annexure B” of the Auditors’ Report**

**Annexure referred to in Paragraph I of the report of even date of the Auditor’s Report to the members
of North Eastern Agricultural Marketing Corporation Limited on the accounts for the year ended
31.03.2023.**

(1) (a) According to the information & explanations provided to us the Fixed Assets Register of the Company is updated. According to the information & explanations provided to us the Fixed Assets Register of the Company is generally maintained records showing particulars of assets.

(b) According to the information and explanations provided to us the Fixed Assets are physically verified at reasonable intervals and no material discrepancies were noticed on such verifications are dealt properly in the books of accounts.

(c) There has been mismatch in number and type of assets as per physical verification report and as per books of accounts. As the cost of certain old asset as per physical verification is not available, so the same cannot be quantify the mismatch in terms of rupees.

(d) During physical verification it was also observed that, some of the assets are either damaged or not in working condition. These assets needs to be scrapped and write off from the books of accounts.

(e) Fixed Asset register does not reveal detail information of asset such as unique ID, location, number of units purchased, cost of the asset, recoverable cost etc.

(f) As per information and explanations given to us, the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in financial statement are held in the name of the company.

(g) As per information and explanations given to us, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment or intangible assets or both during the year. Accordingly, the provision of clause 3(i)(d) of order is not applicable.

(h) As per information and explanations given to us, No proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the benami transaction (prohibition Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, the provision of clause 3(i)(e) of the order is not applicable.

(2)(a) According to the information and explanations provided to us the inventories are physically verified at reasonable intervals. But the accuracy of the same cannot be certified as there is mismatch between the physical stock and inventory maintained in the books.

(b) The procedure of physical verification of inventories followed by the management are not adequate in relation to the size of the company and nature of its business, How evr stock audit from an independent entity is recommended.

(c) Manual records of inventory are maintained by the management. The discrepancies noticed on verification between physical stocks and the book records were not properly dealt with in the books of account.

(3) (a) The Company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.

(b) According to the information & explanations given to us and records of the Company examined by us the Company has not made any loans, guarantees and security covered under Section 185 of the Act during the year.

(c) As per information and explanations given to us, The company has not provided loans & advances in nature of loans, Accordingly the provision of clause 3(iii)(c) of order is not applicable

(d) As per information and explanations given to us, there is no Overdue Amount for more than ninety days during the reporting period, Accordingly, the provision of clause 3 (iii)(d) of order is not applicable.

(e) As per information and explanations given to us, the company has not granted loans & advances in nature of loan which has fallen due during the year Accordingly, the provision of clause 3 (iii)(e) of order is not applicable.

(f) As per information and explanations given to us, the company has not granted loans or advances in nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. Accordingly, the provision of clause 3(iii)(f) of order is not applicable.

(4) As per information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the companies Act, wherever applicable, in respect of loans, investments, guarantees and security given by the company during the year.

(5) According to the information and explanations given to us, the company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits in terms of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed there under. Accordingly, the provision of clause 3 (v) of the order is not applicable.

(6) To the best of our knowledge and belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3 (vi) of the Order is not applicable

(7) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues: the company except the dues as reported therein is regular in depositing the undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, value added tax, cess and other material statutory dues, as applicable to it, with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us and based on the records of the company examined by us, the extent of arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they become payable are given below:

Particulars	Amount
TDS	53,805.20
Professional Tax	67,741.56
Assam Vat	NIL
Income Tax	Disputed amount against which protest amount is paid.

(8) As per information and explanations given to us, there is no transaction which is not recorded in the books of

accounts and have been Surrendered or disclosed as income during the year in tax assessments under income tax Act 1961 (43 of 1961). Accordingly, the provisions of clause 3 (viii) of the Order is not applicable.

(9) (a) According to the records of the company examined by us and as per the information and explanations given to us, the company has taken Working Capital Loan from NEDFI / MoDONER. Pending principal amount Rs. 28.23 cr has been converted into equity and interest/penal interest of Rs. 32.22 cr is written off through Reserves & Surplus although approval from MoDONER is still pending. Also Rs. 1.77 cr of interest & penal interest is not written off due to incorrect computation & communication of interest & penal interest from MoDONER. The company has not issued debentures.

Particulars	Period (Since)	Amount
Interest	01/04/2016	27,25,08,521.00
PENAL INTEREST ON WORKING CAPITAL	01/04/2016	6,73,98,276.00

(b) As per information and explanations given to us the company is not a declared willful defaulter by any Bank or financial institution or other lender. Accordingly the provision of clause 3(ix)(b) of the order is not applicable.

(c) As per information and explanations given to us, the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly, the provision of clause 3(ix)(f) of the order is not applicable.

(10) (a) As per information and explanations given to us, the company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provision of clause 3 (x)(a) of the Order is not applicable.

(b) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially or optionally convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3(x)(b) of the Order is not applicable..

(11) (a) Based upon the audit procedures performed and information and explanations given by the management, we report that, fraud done on the company has been noticed or reported during the period covered by our audit. Accordingly, the provision of clause 3(xi)(a) of the order is applicable.

Person involved in Fraud	Nature of Fraud	Amount Involved
Rahul Bhattacharjee (Incharge Agartala Zonal Office)	Bank Fraud (Manipulation of bank statement of SBI, Arundhati Nagar Branch & UBI, Batala Branch)	SBI – Rs. 14,32,193.00 UBI – Rs. 7,57,775.00 Total – Rs. 21,89,968.00

(b) Based upon the audit procedures performed, as the fraud involving lesser than one crore amount, the matter was reported to the audit committee/Board of company as prescribed under rule 13 of Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014, the provision of clause 3 (xi)(b) of the order is applicable.

(c) As per information and explanations given to us, the company has not received any whistle blower complaints during the year, Accordingly, the provisions of clause 3(xi)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(12) As the Company is not a Nidhi Company, the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Hence the provision of Clause 3(xii) of the order are not applicable to the Company.

(13) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties there are no related party transactions during the year

(14) (a) According to the information and explanations given to us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the report of the internal auditors for the period under audit

(15) As per information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order is not applicable.

(16) The company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly the provision of clause 3(xvi)(a),(b),(c) & (d) of order is not applicable.

(17) There is a no cash loss in the current Financial Year.

(18) As per information and explanations given to us, there has been no instance of resignation by the statutory auditors during the year. Accordingly, the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable to the Company.

(19) Material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date

(20) As per information and explanations given to us, the provision of section 135 of companies act 2013 are not applicable to the company during the financial year. Accordingly, the provision of clause 3(xx) of order is not applicable.

(21) As per information and explanations given to us, There are no qualifications or adverse reveals in the CARO report of the company(ies) included in the consolidated financial statement

For M. Borar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Sd/-
(CA. Manish Bagaria)
Partner
Membership No. 303339

Date : 06.08.2024
Place : Guwahati

Annexure 'C' to Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph 3(f) under Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **North East Regional Agricultural Marketing Corporation Limited** ("the Company") as on 31st March 2023 in conjunction with our audit of the financial statement of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining Internal Financial Controls based on the Internal Control over Financial Reporting criteria established by the Company considering the essential components of Internal Control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate Internal Financial Controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its Business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its Assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable Financial Information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's Internal Financial Controls over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of Internal Financial Controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Notes require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the Internal Financial Controls system over Financial Reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting included obtaining an understanding of Internal Financial Controls over Financial Reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of Internal Control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's Internal Financial Controls System over Financial Reporting

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepting accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company;
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statement.

Inherent Limitation of Internal financial controls over financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Adverse Opinion

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Internal Control System is commensurate with the size of the Company ***except at Agartala branch level*** and the nature of its business with regards to purchase of Inventory, Fixed Assets and Sale of Goods & Services, rights to sign cheques.

Annexure 'D' to Independent Auditors' Report

(Referred to in Paragraph 2 under Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our report of even date) Report on Directions and Sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143 (5) of the Act.

Directions / Sub-Directions u/s 143(5) for the year 2022-23	Auditor's Remark	Impact on Financial Statements
1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system namely Tally ERP. Based on the Audit procedure carried out and as per the explanations and information given to us, no transactions have been processed / carried outside the IT system. Accordingly there are no implications on the integrity of the Accounts.	Nil
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company.)	<p>Loan / Debt where company is a borrower: MoD NER has granted a revival package which states to convert GoI loan of 28.23 cr into equity share and write off interest and penal interest amounting to Rs 32.22 cr</p> <p>Loan / Debt where Company is lender : Based on the audit procedures carried out and as per information and explanations given to us, there were no cases of restructuring or waivers / write-off of debts/loans/interest etc during the year 2020-21 with regards to amounts lent by the company to the other parties.</p>	The Company has transferred the non fund based support of Rs. 32.33 Cr of interest and penal interest (calculated upto 30.09.2021) on the outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 (upto 31.03.2021) under head "Capital Grant – Non Fund based support" under "Reserve & Surplus" based on the opinion obtained from the Tax professional. In this regard, the Company has also submitted request letter to the Administrative Ministry to treat the said amount as capital grant. The approval for the same is still awaited from the Ministry. Also Rs. 1.77 cr of interest & penal interest is not written off due to incorrect computation & communication of interest & penal interest from MoDONER

3. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Based on the audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us, the funds (Grant / Subsidy) received / receivable for specific schemes from from Central / State Agencies were properly accounted for / utilized as per its term and conditions.	Nil
--	---	-----

Date : 06.08.2024
Place : Guwahati

For M.Borar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Sd/-
(CA. Manish Bagaria)
Partner
Membership No. 303339

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India
CIN: U01409AS1982GOI001932

Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

Particulars	Note No.	As at 31.03.2023 (Rs. in '000)	As at 31.03.2022 (Rs. in '000)
I. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
(a) Share capital	1	358,500	358,500
(b) Reserves and surplus	2	-217,115	-578,257
		<u>141,385</u>	<u>-219,757</u>
2 Non-current liabilities			
(a) Long Term Borrowings	3	-	20,000
(b) Long Term Provision	4	1,212	17,872
		<u>1,212</u>	<u>37,872</u>
3 Current liabilities			
(a) Short Term Borrowings			
(b) Trade payables	5	358,679	148,541
(c) Other current liabilities	6	252,581	634,396
		<u>611,260</u>	<u>782,937</u>
TOTAL		<u>753,857</u>	<u>601,051</u>
II. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Fixed assets			
(i) Tangible assets	7	15,672	15,934
(ii) Capital Work In Progress	7A	142,989	84,804
(b) Long-term loans and advances			
(c) Other non-current assets			
		<u>158,660</u>	<u>100,738</u>
2 Current assets			
(a) Inventories	8	4,864	3,789
(b) Trade Receivables	9 & 9A	79,949	125,743
(c) Cash and Cash equivalents	10	426,712	284,899
(d) Short-term loans and advances	11	75,949	79,598
(e) Other Current Assets	12	7,723	6,283
		<u>595,197</u>	<u>500,313</u>
TOTAL		<u>753,857</u>	<u>601,051</u>

The Accompanying Notes 1 to 20 are an integral part of the Financial Statements.

For, NERAMAC LTD.

For M.Borar & Co
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN 09598427

Managing Director

Date:- 31.08.2024

Place:- Guwahati

M. Iboyaima Meitei
DIN 08220500

Director

Sanjiv Kr Rai
M.No.- A52998
Company Secretary

(CA. Manish Bagaria)

Partner

Membership No. 303339

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023

NOTE 1 SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Authorised		
600000 Equity Shares of 1000/- each	600,000	600,000
Issued, Subscribed & Paid -UP		
358500 Equity Shares of 1000/- each	358,500	358,500
Total	<u>358,500</u>	<u>358,500</u>

The Company has only one class of shares referred to as equity share having a par value of `1000/-. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

NOTE 1 A

The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of share capital as at March 31, 2023 is set out below:

Particulars	As at 31.03.2023 Equity Shares Number (Rs. In '000)		As at 31.03.2022 Equity Shares Number (Rs. In '000)	
Shares outstanding at the beginning of the year	358,500	358,500	76,200	76,200
Add:- Issued during the Year	-	-	282,300	282,300
Shares outstanding at the end of the year	<u>358,500</u>	<u>358,500</u>	<u>358,500</u>	<u>358,500</u>

NOTE 1 B

The Shareholders holding more than 5% of total paid up capital as at March 31, 2023 are as under :

Sl No	Name of Shareholder	No. of Shares held	As at 31.03.2023 % Holding
1	President of India	358,480	99.99
2	Secretary ,North Eastern Council	10	0.0027
3	Deputy Secretary,North Eastern Cour	10	0.0027

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023(contd.)

NOTE 2 RESERVE & SURPLUS

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In'ooo)	As at 31.03.2022 (Rs. In'ooo)
Surplus/(Deficit) in the Profit & Loss Statement		
Opening balance	-676,200	-629,886
(+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	42,794	-46,314
	-	
Closing Balance	-633,406	-676,200
Building Grant	94,393	94,393
Capital Reserve- For Employes Benefit (VRS)		-
Depreciation Reserve	-358	-358
Subsidy Reserve- Sale Subsidy	-	3,852
Grant-in Aid-Seminar under NMFP	56	56
General reserve	322,200	
Total	-217,115	-578,257

NOTE 3 LONG TERM BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Unsecured		
Ministry of DoNER(unmatured)	-	20,000
Total	-	20,000

NOTE 4 LONG TERM PROVISION

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Long Term Provision		
Provision for Gratuity	646	11,593
Provision for Leave Encashment	566	6,279
Total	1,212	17,872

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023(contd.)

NOTE 5 TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
(i)MSME		
(ii) Disputed dues – MSME	-	-
(iii) Disputed dues - Others	44,647	44,647
(iv) Others	314,031	103,894
Total	358,679	148,541

NOTE 6 OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Interest Accrued and due on Borrowings	17,707	17,707
Other Payables*	234,838	289,880
Gratuity Payable	18.79	3,069
Leave Encashment Payable	17.70	1,541
Revaluation of WC Loan and Interest/penal Interest	-	322,200
Total	252,581	634,396

**Other Payables includes Statutory dues , security deposit, grant and advances from customers.*

NOTE 7 FIXED ASSETS

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Opening Balance	15,934	16,663
Add: Additions	715	160
Less: Transferred to Depreciation Reserve/sold	60	
Less: Depreciation	918	890
	15,672	15,934

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023 Cont...

NOTE 8 INVENTORIES

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Raw Materials		-
Finished Goods	4,413	3,338
Stores and Spares	182	182
Others*	269	269
Total	4,864	3,789

*Others includes Stocks of packing Materials and Stock of Power and fuel
Inventories are carried at cost

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023(contd.)

NOTE 9 TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment	2,340	41,202
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	77,609	84,541
Total	79,949	125,743

NOTE 10 CASH & BANK BALANCES

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
a. Balances with banks	327,816	95,441
b. Cash in hand	94	1,288
c. Remittance in Transit		
d. Fixed Deposits with Banks	93,663	183,264
e. Fixed Deposits held against B.G.pledge with PNB,Zoo Road.BR	5,139	4,907
Total	426,712	284,899

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023 Cont...

NOTE 11 SHORT-TERM LOANS & ADVANCES

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
b. Others		
Deposits	2,701	3,249
Loans and Advances	36,888	32,485
Others	36,360	43,864
Total	75,949	79,598

NOTE 12 OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2023 (Rs. In '000)	As at 31.03.2022 (Rs. In '000)
Income Tax Receivable	7,648	6,214
Indirect taxes Receivable	75	69
Total	7,723	6,283

For M.Borar & Co
Chartered Accountants
FRN : 314255E

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

CIN: U01409AS1982GOI001932

Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2023 (Rs. in '000)	For the year ended 31.03.2022 (Rs. in '000)
Continuing Operations (1)			
I Revenue from operations	13	966,627	261,420
II Other income	14	135,426	5,497
III Total Revenue (1+ 2)		1,102,053	266,917
IV Expenses:			
Cost of Material Consumed			
Purchase of Stock-in-Trade		928,318	248,046
Changes in inventories of Stock-in-Trade	15	-1,075	-448
Employee benefits expenses	16	20,773	27,518
Finance costs	17	1,577	22,563
Depreciation	7	918	890
Other expenses	18	132,618	14,281
Total expenses		1,083,129	312,851
V Profit / (-) Loss before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		18,924	-45,934
VI Exceptional items	19	24,995	-
VII Profit / (-) Loss before extraordinary items and tax (V-VI)		43,919	-45,934
VIII Extraordinary Items	20	1,125	380
IX Profit before tax (VII+VIII)		42,794	-46,314
X Tax expense:			
(1) Current tax			
(2) Deferred tax			
XI Profit for the Year from Continuing Operations (IX-X)		42,794	-46,314
XII Profit for the Year from Discontinuing Operations			
XIII Tax Expense for Discontinuing Operations			
XIV Profit for the Year from Discontinuing Operations after Tax (XII-XIII)		42,794	-46,314
XV Profit for the Year		42,794	-46,314
XIV Earnings per equity share (of Rs 1,000 each):			
1.Basic		0.12	-0.61
2.Diluted			

XII Earnings per equity share (excluding extraordinary items) (of Rs 1,000 each):

1.Basic	0.12	-0.60
2.Diluted	0.12	-0.60

The Accompanying Notes 1 to 20 are an integral part of the Financial Statements

For, NERAMAC LTD.

Sd/-
Cmde Rajiv Ashok (Retd)
 DIN 09598427
 Managing Director
Date: 31.08.2024
Place: Guwahati

Sd/-
M. Iboyaima Meitei
 DIN 08220500

Sd/-
Sanjiv Kr Rai
 M.No.- A52998
 Company Secretary

Sd/-
For M.Borar & Co
 Chartered Accountants
 FRN : 314255E

(CA. Manish Bagaria)
 Partner
 Membership No. 303339

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि बिपणन निगम लिमिटेड
North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: # 9 Rajabari Path, G.S. Road, Ganeshguri, Guwahati-781005, Assam, India

CIN: U01409AS1982GOI001932

Tele: +91 361 2341427, Website : www.neramac.com

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023

NOTE 13

REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Sales	965,952	259,442
Inter-Branch Sale		990
Other Operating Revenue	675	988
Sale of Services	-	-
Total	966,627	261,420

NOTE 14

OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Franchisee Fees	-	-
Interest	4,620	3,379
Income from Hiring of Vehicles	-	-
Misc. Receipt	142	117
Gratuity	-	-
Event and Exhibition Project	130,664	2,001
Total	135,426	5,497

NOTE 15 CHANGES IN INVENTORIES OF STOCK-IN-TRADE

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Closing Stock	4,413	3,338
Opening Stock	3,338	2,890
Total	-1,075	-448

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023 Cont...

NOTE 16 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Wages and Salaries (Including Bonus)	19,043	23,297
Staff Welfare	615	2,346
Contribution to Provident & Other Funds including	1,115	1,875
Total	20,773	27,518

NOTE 17 FINANCE COST

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Interest on Working Capital Loan	1,400	16,137
Penal Interest on Working Capital Loan	177	6,426
Total	1,577	22,563

NOTE 18 OTHER EXPENSES

Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
	(Rs. In '000)	(Rs. In '000)
Advertisement Expenses	49	188
Administrative Expenses	47	76
Accounting Fees	-	40
Internal Audit Fees	35	-
Auditor's Remuneration	161	-
Bank Charges	43	33
Board Meeting Expenses	-	2
Books & Periodicals	11	7
Consultancy Charges	24	4
Electricity Expenses	570	749
Exhibition & Trade Fair	458	-
Event & Exhibition	121,766	1,811
Freight and Transportation	162	172
Fuel Cost (Coal, LPG and Diesel)	196	312
GST Fees	236	7
Insurance	29	36
Interview Expenses	26	10
Labour Charges	118	64

Notes forming part of the Financial Statements for the Year ended 31.03.2023 Cont...

Meeting & Conference	28	8
Miscellaneous Expenses	55	40
Office Expenses	154	139
Packing Materials	493	10
Postage & Courier	58	24
Printing & Stationery	336	255
Processing Charges	-	128
Professional Fees	157	290
Rate and Taxes	111	-
Renewal Fees	3	16
Rent	3,338	2,114
Repairs and Maintenances	159	149
ROC Expenses	68	4,237
Commissison Charges	-	-
Stall Expenses	491	103
TA Expenses	1,330	839
Telephone and Internet Expenses	66	53
Travelling and Conveyances	20	91
Upkeepment of Vehicle	117	470
Other Exp	1,393	1,405
Vehicle Hiring & Running Expenses	197	

Total	132,618	14,281
--------------	----------------	---------------

NOTE 19 Exceptional items

	For the year ended 31.03.2023 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)
a) Gratuity	13,683	-
b) Leave Encashment	7,235	-
c) Vat Payable	225	
d) Reserve & Surplus	3,852	
Total	24,995	-

NOTE 20 Extraordinary Items

	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)	For the year ended 31.03.2022 (Rs. In '000)
(a)Prior Period Adjustment	1,125	380

NOTE 21 Auditor Remuneration details

a) Stattutory Audit Fees Previous years	43.2
b) Stattutory Audit Fees Current year	94.4
c) Tax Audit Fees Current year	23.6

For M.Borar & Co
Chartered Accountants

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD.

CASH FLOW STATEMENT

For the year ended 31st March,2023

Particulars	2022-23		2021-22	
	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)	(Rs in '000)
<u>Cash Flows from Operating activities</u>				
Net Profit during the year	42,794		-46,314	
Add:				
Depreciation	918		890	
Provision for Gratuity	-10,947		1,220	
Provision for Leave Encashment	-5,712		380	
Provision for Damage stock	-		-7	
Profit on Sale of Fixed Assets	60		-	
Interest Paid	1,577		22,563	
Interest Received	-4,620		-3,379	
Cash Generated from operations before working capital changes	24,070		-24,648	
(Increase)/Decrease in Stock	-1,075		-449	
(Increase)/ Decrease in Debtors	45,794		-11,183	
(Increase)/ Decrease in Advances	3,649		13,156	
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	-1,439		-654	
Increase/(Decrease) in Trade Creditors	210,138		-13,720	
Increase/(Decrease) in Reserve & Surplus	318,348		60,752	
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	-381,815		-2,932	
	217,669		20,324	
<u>Net Cash Flow from Operating activities (A)</u>		217,669		20,324
<u>Cash Flows from Investing activities</u>				
Purchase of Fixed Assets	-715		-160	
Disposal of Fixed Assets			-	
Interest Received	4,620		3,379	
Increase in Capital Work-in- Progress	-58,184		-60,752	
<u>Net Cash Flow from Investing activities (B)</u>		-54,280		-57,534
<u>Cash Flows from Financing activities</u>				
Long term loan Borrowings	-20,000		-152,300	
Share Capital	-		282,300	
Interest Paid	-1,577		-22,563	
<u>Net Cash Flow from Financing activities (C)</u>		-21,577		107,437
Total inflow during the year		141,813		70,227
Add: Cash at the beginning of the period		284,899		214,672
Cash at the end of the period		426,712		284,899

Sd/-

Cmde Rajiv Ashok (Retd)
DIN 09598427
Managing Director

Sd/-

M. Iboyaima Meitei
DIN 08220500
Director

Sd/-

Sanjiv Kr Rai
M.No.- A52998
Company Secretary

For M.Borar & Co
Chartered Accountants
FRN : 314255E

Note- 7 Fixed Asset

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED
DEPRECIATION SCHEDULE FOR F. Y. 2022-23**

Particulars	Opening WDV as on 01/04/2022	Additions During the Year	Depreciation	Adjusted with Retained Earning	WDV as on 31/03/2023
Building	11,925,540.00		580,774.00		11,344,766.00
Office Equipments	120,860.00	40,949.00	29,642.00		132,167.00
Computers	108,850.00	251,833.00	85,401.00		275,282.00
Electricals	399,548.00		71,289.00		328,259.00
Furnitures	312,638.00	19,800.00	67,176.00		265,262.00
Electrical Equipments	85,002.00		14,830.00		70,172.00
Plant & Machinery	467,641.00	41,400.00	5,258.00		503,783.00
Vehicle	60,662.00	361,413.00	63,702.00	59,500.00	298,873.00
Land	2,453,932.00				2,453,932.00
					-
Total	15,934,673	715,395.00	918,072.00	59,500.00	15,672,496

Note- 7A Capital Work In Progress

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED

Capital Work in progress aging schedule as on 31-03-23

(Amount in R

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in Progress	58,184,379.00	60,752,015.00	452,190.00	23,599,920.00	142,988,504.00
Projects temporarily suspended				-	-

NOTE 9A Trade Receivable

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED

Trade Receivable ageing schedul as on 31.03.23

(Amount in Rs.)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment#					Total
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	2,340,436.11	-919462.13	4,345,507.86	333,909.96	24151393.4	30,251,785.20
(ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful						
(iii) Disputed Trade Receivables considered good					49,697,480.00	49,697,480.00
(iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful						

Total 79,949,265.20
79949.2652

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING
CORPORATION LTD.**

H. No 9, RAJBARI PATH, GS ROAD, GUWAHATI – 781005, ASSAM

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2023

Note: 19

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT

- i. The Financial Statements have been prepared in accordance with on the historical cost convention on an accrual basis and in conformity with the relevant Accounting Standards as notified under the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 as amended by Companies (Accounting Standards) Amended Rules, 2016 and the Companies Act, 2013.
- ii. The Company follows the mercantile system of accounting and recognizes Income & Expenditure on accrual basis.
- iii. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles.

b) USE OF ESTIMATE:

The preparation of financial statement in conformity with generally accepted accounting principles require the management to make estimates and assumptions that affect the reported balances of assets and liabilities as of the date of the financial statement and reported amounts of income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of financial statement are prudent and reasonable. Difference between actual result and estimates are recognized in the period in which result are known/materialized.

c) FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT):

- i. Property, plant and equipment is stated at acquisition cost net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable

that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

- ii. Gains or losses arising on retirement or disposal of property, plant and equipment are recognized in the Statement of Profit and Loss.
- iii. Property, plant and equipment (if any) which are not ready for intended use as on the date of Balance Sheet are disclosed as “Capital work-in-progress”.
- iv. Depreciation is provided on a pro-rata basis on written down value method based on estimated useful life as prescribed under Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013. However, the assets costing Rs 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.
- v. Freehold land is not depreciated.
- vi. The residual values, useful lives and method of depreciation of property, plant and equipment is reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.
- vii. The figures in balance sheet doesn't includes three leasehold land details as mentioned below because the ownership and title deed are not transferred in the name of NERAMAC:
 - A. Land on lease at Silchar measuring 2,30,400 sqft allotted by Govt of Assam on 05.01.2009-The allocation of the same was cancelled by the Govt. of Assam, O/o the General Manager, District Industries and Commerce Centre, Cachar vide its letter (12/2/2018).The plot was taken over by GM DI & CC on January 2020
 - B. Land on lease at Byrnihat measuring 4000 sq meter allotted by Govt of Meghalaya on 30.03.2001
 - C. Allotment of Land by Govt. of Tripura at Nalkata, Tripura measuring 3.64 hectare on 05.09.1986.

d) **DEPRECIATION:**

Depreciation has been provided based on the useful life as referred to in the Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

e) **IMPAIRMENT OF ASSETS:**

An asset is treated as impaired when the carrying the cost of assets exceed its recoverable value. An impairment loss is charged to the profit & loss account in the year in which an asset is identified as impaired.

f) **INVENTORIES:**

Inventories are valued at the lower of cost (on FIFO/ Weighted Average, as the case may be) and the net realizable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including octroi and other levies, transit insurance and receiving charges. Stocks of consumable stores are valued at lower of cost or net realizable value.

g) **REVENUE RECOGNITION:**

Revenue from the sale of goods is recognized, net of returns and trade discounts, when the significant risks & rewards of ownership of the goods/services has been transferred to the buyer, which generally Revenue coincides with the delivery of goods to customers.

Other Incomes like interest income is recognized on accrual / time basis whereas dividend (if any) is recognized when the Company's right to receive the payment has been established.

Interest on refund of any tax, duty or cess, etc is accounted for as and when they are received.

h) **EMPLOYEE BENEFITS:**

Short-term employee benefits based on expected obligation on undiscounted basis are recognized as expenses in the statement of profit & loss of the period in which the related service is rendered.

Post-Employment Benefits:

Defined Contribution Plan:

Post-employment and other long term employee benefits are recognized as an expense in the profit & loss account for the year in which the employee has rendered services. The employees of the Corporation make monthly fixed contributions to the above schemes equal to a specified percentage of the covered employee's salary.

Defined Benefit Plan:

Gratuity: Provision towards gratuity is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standards (AS) 15 – Employees Benefits

Leave Encashment: Provision towards Leave Encashment is made on the basis of actuarial valuation at the end of the financial year, by an actuary in terms of Accounting Standard (AS) 15- Employees benefits

i) **EMPLOYEE SEPARATION COST:**

Compensation to employees who have opted for retirement under the voluntary retirement scheme of the Company is charged to the Profit & Loss account in the year of option.

j) **EARNING PER SHARE:**

Basic earnings per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share is computed by dividing the profit / (loss) after tax (including the post tax effect of extraordinary item, if any) as adjusted for dividend, interest and other charges to expense or income relating to the dilutive potential equity shares,) by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares.

k) **GOVERNMENT GRANTS AND SUBSIDIES:**

Government Grants or Subsidies relating to an expense item are recognized as Asset at the time of its receipt. Government Grants in relation to Fixed Assets are reduced from the actual cost of concerned Fixed Assets. Whereas Grants related to revenue are sometimes presented as a credit in the profit and loss statement, either separately or under a general heading such as 'Other Income'. Alternatively, they are deducted in reporting the related expense.

l) **PROPOSED DIVIDEND**

In compliance with Revised Accounting Standard 4 “Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date”, Proposed Dividend on equity shares and tax thereon subject to the approval of the shareholders of the Company at the Annual General Meeting is not recognized as liability as at the Balance Sheet date and will be recognized as and when it is declared.

m) **BORROWING COST:**

Borrowing cost that attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Other borrowing costs are recognized as an expense in which they are incurred.

n) **CONTINGENT LIABILITIES:**

Contingent liabilities are disclosed in respect of present possible obligation that arise from past events but their existence is confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company.

o) **SEGMENT REPORTING :**

The company has single business segment namely "Processing & marketing of agriculture based products". As such the company business does not fall under the different segment reporting as defined in AS-17 issued under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006

p) **ACCOUNTING FOR INVESTMENT:**

Investments are carried at cost. Investments in Fixed Deposit represent unutilized funds to be deployed for capital expenditure as well as revenue expenditures.

**NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION
LTD.**

H. No 9, RAJBARI PATH, GS ROAD, GUWAHATI – 781005, ASSAM

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT AS AT 31.03.2023

Contd.

Note:20

ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. The figures have been regrouped/reclassified whenever necessary to confirm with current year presentation.
2. The Corporation owns 4000 Sq. m. a plot bearing Dag No. 12 in the EPIP, Byrnihat for setting up a Ginger Processing Unit, which has been provisionally allotted by the Govt. of Meghalaya and whose value has been taken as nil.
3. The Corporation owns 1.54 Bighas of land(Dag / Patta No 531/2522) under Dispur Revenue Circle in the District of Kamrup, Assam for construction of Office building which has been allotted by the Govt. of Assam for a total cost of Rs. 22,50,000/-. This payment was released in the month of May 2011 along with land revenue and taxes for twenty five years amounting to Rs. 28,210/-.
4. The Corporation owns 6 bighas 2 khata and 4 lacha land at Mankachar, District South Salmara, Assam for setting up of Cashew nut factory which is valued at Rs. 2,03,932/-.
5. The Corporation is establishingMancachar Cashew Processing Plant which is SanctionedthroughCentral Financial Assistance under NLCPR towards the project of “Establishment of Cashew processing plant at Mancachar“ in Assam amounting to Rs.248.34 Lac out of which total amount received is Rs 203.19 Lac. Due to escalation of the Project Cost, the construction could not be completed and is at halt. Request for the financial assistance has made to NEC for completion of the remaining work due to the escalation. However, the under-construction plant was valued on 24.02.2020 and the revalued amount stand at Rs 199.06 lakh. Same has been recognized in the accounts for the FY 2018-19 under head ‘Prior Period Adjustment’
6. NERAMAC is Constructing Marketing Complexat Six Mile, Guwahati which is being sanctioned by North Eastern Council (NEC) vide letter Dtd.14/03/2017, NEC with provision of B+G+5 for Office Cum Commercial Building(Block 1) and G+3 for Guest House (Block 2) with a total built up area of 6040.00 sq. m. Sanctioned project cost Rs. 12.89 Crore .The Architect Consultant, M/s

Designers' Guild was appointed on 16/11/2017 through competitive bidding. Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R. Considering the commercial viability of the site and permissible F.A.R with provision of B+G+7 for Office Cum Commercial Building and B+G+5 for Guest House, total built up area of 6835.45 Sq.m was approved by the Board of Directors on 31/01/2018 and placed for obtaining necessary permission for construction to GMDA/GMC Authorities on 28/03/2018. The Construction of Phase-I of Building was completed on January 2023.

Report on the utilization of grant received from the NEC for construction of market complex at Six Mile, Guwahati

STATUS AS ON 31-03-2023

Project Name	Construction of Marketing Complex of NERAMAC LTD at Sixmile, Guwahati
Project Cost	Rs 12.89 Cr
Funded By	North Eastern Council, Shillong
Implementing Agency	NERAMAC Ltd.
Project Management Consultant	M/s Hindustan Prefab Ltd. (HPL)
Architect Consultant	M/s Designers' Guild
Built-up Area	3923 SQM
Storeys under scope of work	Block-1 (B+G+4) Block-2 (B+G+1)
Contractual Start Date	07.09.2020
Contractual Completion Date	06.03.2022
Time Extension approved upto	20.12.2022
Total Amount Sanctioned	Rs 12.89 Cr
Amount utilized	Full Amount
Amount on hold against Defect Liability (of 1 year from the date of handover)	Rs 65.04 Lakhs

7. No tax liability has been created for the year as the net profit earned has been set-off with the losses of the FY 2021-22.
8. The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
9. Trade receivables includes receivables from **West Bengal State Seed Corporation Limited** amounting Rs 496.97 Lakhs towards supply of 1500.76 MT certified wheat seeds vide order reference no 920/WBSSC dated

31.10.2011, The amount is yet to settled even after 7 years and also the matter is under litigation and the receipt of the amount is doubtful.Amount of Rs. 446.47 payable to **M/S Tirupati Agro Seed Distributors Pvt. Ltd. against the receivable.**

- 10.Non-Fund based Support of writing-off of interest and penal interest ofRs. 32.22 Cr.(Calculated upto 30.09.2021) on the outstanding loan of Rs. 28.23 Cr has been effected in this accounts through posting under“Capital Grant- Non Fund based support” under “Reserve & Surplus”.
- 11.Amount of interest and penal interest on the outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 as on 31.03.2021 is recorded in the books of accounts as 33.99 Cr. However the amount approved for writing off of Rs. 32.33 under the revival package, which resulted into a difference of Rs. 1.77 Cr. This difference amounts as arise due wrong estimation of interest figure. Request has been submitted to the Ministry of DoNER for allowing the excess interest amount of Rs. 1.77 Cr. to be written off.
- 12.Repayment of working capital Loan : During the FY 2022-23 NERAMAC repaid Rs. 2,15,76548/- the working capital loan along with interest which was sanction by Ministry of DoNER during FY 2021-22
- 13.A plot of land measuring 16 bigha was taken on lease by NERAMACfor setting up Multi Fruit Processing Plant for a period of 30 years on a rent of Re 0.06 paisa per sqft. per month. The lease was executed between District Industries & Commerce Centre, SilcharCachar, Assam during January 2009. The District Industries and Commerce department, Cachar vide its letter CADIC(1/A)67/2014-15 DT. 10-01-2020 requested NERAMAC to handover the possession of the plot of the land due to non-utilization from last 9 years with payment of outstanding rent dues of Rs. 36.46 lacs as on February 2018.The said plots of land were taken over by GM, DI&CC, Cachar in January 2020. The Company had also requested the authorities for waiver of the amount on grounds of poor financial condition of the Corporation. But no response regarding waive of outstanding rent was given by the concerned authority and the amount is still pending for payment.
- 14.The outstanding balance of VAT of Rs. 224,807/- for which no demand was made by the concern department. The same has been transferred to Profit & Loss Account for the FY 2022-23.
- 15.The sale subsidy under Reserve & Surplus of Rs. 38, 52,000/- has been transfer to Profit & Loss Account for the FY 2022-23.

16. Discloser regarding the details of amount reported under head 'other' under '**Short Term Loans & Advance**'.

Sl. No	Particulars	Amount (Rs.)
1	Assam Energy Development agency	27,046.00
2	Amount paid in Protest (Income Tax)	5,717,915.00
3	RC on Legal Fee	107,492.00
4	Grant Receivable	12,144,534.00
5	Provision for Debtor	8,933,049.00
6	Other Receivable	631,404.67
7	Sundry Creditor Advance	8,794,320.16
	Total	36,355,761.00

17. During the FY 2022-23 an amount of Rs. 28, 04,532/- was paid as Salary & Allowances to Managing Director of the Corporation.

18. During the financial year 2022 –23 the Company has issued one Bank Guarantee drawn on Union Bank of India, GS Road Branch, Guwahati for an amount of Rs.15,99,237/- against pledging Term Deposit bearing No. 55580IGL000322dt.31.12.2022. and an amount of Rs. 23,98,856/- dated 02-01-2023 vide Cheque No 069674 deposited to the Hon.District&Session Judge Kamrup Metro Guwahati against the M/s Harvel Agua Pvt Ltd matter pending in Session Court Kamrup District of Assam.

19. Contingent liabilities not provided for (Rs in '000)

Creditors	Amount Claimed	Liabilities Provided	Contingent Liabilities
Sobhayaga Advertising, Kolkata	1,990.00	1,262.00	728.00
M/s Harvel Agua Pvt Ltd	3534	1224	2310
M/s R&Z Distributor	2324	0	2324
RatnagirilmpexPvt Ltd	41492	18725	22767
AIDC (Plot return back by AIDC vide memo No. CADIC(1/A)67/2014-15 DT. 10-01-2020	3645.81	3645.81	
Total	49340	21211	28129

20. Prior period Items

Profit & Loss account has been debited /credited with the following items:

Particulars	Debit	Credit
Adani Airport Holding Ltd	34,195.00	-
Airport Authority of India (Deposit)	1,01,377.00	-
Shankar Nath (Foundation Day, Agartala)	5,560.00	-
Electricity Bill (Secretariat Stall, Agartala)	5,256.00	-
Bank Charges	43,344.85	
Bank Interest		18,954.00
Dynatek	3,950.00	
Advance A/c (BijoySarma)	12,000.00	
Digi Printers	6,596.00	
Z.O SIKKIM(CL)	1,298.00	
ZO Dilli Hat Unit (SC)	1,992.00	
Z.O ASSAM(CL)	1,35,572.00	
Z.O A.P (Advance Aganst Sales)	885.00	
GRANT SIX MILE BUILDING PROJECT	32,17,124.00	
Revival Grant		2,28,4027.00
SBI, AGARTALA BR	10,816.00	
PUNJAB NATIONAL BANK- 1907002100013327		6,000.00

21. The Govt. of India on 16th August, 2021 announced Revival package of Rs. 17.00Crore for NERAMAC. The package consists of the following components:

- a. Fund Based Support:** Fresh infusion of Rs. 17.00 Cr. as grant to be released in 2 installments during FY 2021-22 and 2022-23, roughly in 2/3rd : 1/3rd ratio, for following activities:

Heads	Rs. in Cr.
Funds for VRS for Regular Employees	4.96
Working Capital Support	6.36
Supporting the operations	2.20
Computer & ERP System, E-commerce portal	2.23
Other statutory dues, committed and current liabilities	1.25
Total	17.00

b. Non-based support:

Heads	Rs. in Cr.
Conversion of outstanding Govt. of India loan (as on 31.03.2021) into equity shares of the Company	28.23
Writing off of interest and penal interest calculated up-to 30.09.2021 on outstanding Govt. of India loan	32.22
Total	60.45

c. Increase in authorized share capital of the Corporation from Rs. 10.00 Cr. to Rs. 60.00 Cr. in order to accommodate the conversion of the outstanding long-term borrowings into equity.

22. Implementation of Revival package:

Sl. No.	Particular	Expenditure (Rs.) In Cr.	Remarks
Fund Based support			
1.	VRS to 20 regular employees on 31.05.2022	5.44	1. Rs. 0.40 Cr. from head 'Other statutory dues, committed and current liabilities' for gratuity and leave. encashment payment. 2..Rs. 0.04 Cr. from NERAMAC own source of fund.
2.	Working Capital Support	2.00	1. Rs. 2.00 Cr. towards repayment of Govt. of India Working Capital Loan availed during F-Y 2021-22.
3	Supporting the operations	2.20	To be adjusted for accumulated losses in the accounts for the FY 2022-23
4	Computer & ERP System, E-commerce portal	0.64	Towards the payment of 1.Rs. 0.28 Cr. for ERP Module installation 2.Rs. 0.07 Cr. for development of MIS system. 3. Rs. 0.29 for development of

5	Other statutory dues, committed and current liabilities	1.12	1.Rs 0.41 Cr. MCA Fees 2. Rs 0.31 Cr. overdue rent payment to TIDC, Tripura 3. Rs 0.40 Cr. for Gratuity and leave encashment payment to regular employees.
Non-fund support			
1.	Outstanding Govt. of India loan of Rs. 28.23 Cr. as on 31.03.2021 has been converted into equity shares at face value of Rs. 1000/- each on 26.11.2021	28.23	
2.	Interest and penal interest of Rs. 32.33 Cr. as on 30.09.2021 has been transferred to 'Reserves & Surplus' under head 'Capital Grant- Non fund based support'	32.33	
3	Authorized share capital of the Company revised from 10.00 Cr. to 60.00 Cr. under section 62(6) and 61(1)(a) of the Companies Act 2013.	60.00	

23. Additional Disclosure as per Schedule III – Ratios

The following are the analytical ratios for the year ended March 31 2023

Particulars	Numerator	Denominator	UOM	2022-23	Remarks
Current ratio	Current Assets	Current liabilities	Times	0.97	Moderate
Debt Equity Ratio	Total Debt	Shareholders equity	Times	1.70	Moderate
Debt Service Coverage Ratio	Earning available for debt services ^{^1}	Debt services ^{^2}	Times	2.10	Favorable
Return on equity ratio	Net profit after tax	Average shareholders equity	Percentage	11.93%	Moderate
Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average Inventory ^{^3}	Times	4.89	Favorable
Trade receivables turnover ratio	Net credit sales	Average accounts receivables ^{^4}	Times	0.014	Unfavorable

Trade payables turnover ratio	Net credit purchase	Average trade payables ^{^5}	Times	1.04	Unfavorable
Net capital turnover	Net Sales	Working capital ^{^6}	Times	-60.00	Unfavorable
Net Profit ratio	Net profit after tax	Net sales	Percentage	4.24%	Moderate
Return on capital employed	Earning before interest and taxes	Capital employed ^{^7}	Percentage	5.46%	Moderate
Return on investment	Income from Investment	Investment	Percentage	Nil ^{^8}	-

^1 Net Profit after Tax+ Depreciation + Interest (Income)

^2 Interest + Principal Repayments

^3 (Opening Inventory + Closing Inventory)/2

^4 (Opening trade receivables + Closing trade receivables) /2

^5 (Opening trade payable + Closing trade payable) /2

^6 Current Assets – Current Liabilities.

^7 Tangible Net worth + Total Debts.

^8 during the financial year 2022-23 no investment made.

24. Actuarial Valuation of Liability in respect of Gratuity payable to Employees at the time of Retirement has been worked out & provided for as per requirements of AS-15 amounting to Rs6,64,652 (Previous Year Rs14,661,865).

DISCLOSURE RELATING TO EMPLOYEE BENEFIT IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARD 15:

Total Expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Period ended 31st March 2023

A	Components of Employer Expenses	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Current Service Cost	1,20,949	449235
2	Interest Cost	8,57,719	779643
3	Expected return on plan assets	0	0
4	Curtailment Cost/ Credit	0	0
5	Past Service Cost – (Vested benefits)	0	0
6	Past Service Cost – (Non Vested benefits)	0	0
7	Unrecognized Past Services Cost – (Non vested)	0	0
8	Net Actuarial Losses / (Gains)	(81,345)	1420923
9	Total Expenses recognized in the Statement of Profit & Loss	8,97,323	2649801

B	Actual Contribution and Benefits Payment for Period ended 31st March 2023	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Actual benefit payment	1,48,94,536	1430065
2	Actual Contribution		

Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet – 31st March 2023

A	Funded Status	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Present value of Defined Benefit Obligation	6,64,652	14661865
2	Fair value of Plan assets	0	0
3	Funded status Surplus / (Deficit)	(6,64,652)	(14661865)
4	Effect of balance sheet asset limit	0	0
5	Unrecognized Past Service Cost	0	0
6	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(664652)	(14661865)
		0	0
1	Net asset / (liability) recognized in balance sheet at beginning of period	(14661865)	(13442129)
2	Employer expenses	897323	2649801
3	Benefits Paid	14894536	1430065
4	Net Acquisitions / Business Combinations	0	0
5	Net asset / (liability) recognized in balance sheet at beginning of period	(664652)	(14661865)

Reconciliation of Defined Benefit Obligation and Fair value of Assets Period ended 31st March 2023

A	Change in Defined Benefit Obligation (DBO)	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Present Value of DBO at beginning of period	14661865	13442129
2	Current Service cost	120949	449235
3	Interest cost	857719	779643
4	Curtailment cost/(credit)	0	0
5	Settlement cost/(credit)	0	0
6	Past Service Cost - (vested benefits)	0	0
7	Past Service Cost - (Non vested benefits)	0	0
8	Acquisitions	0	0
9	Actuarial (gains)/ losses	(81345)	1420923
10	Benefits paid	(14894536)	(1430065)
11	Present Value of DBO at beginning of period	664652	14661865

A	Change in Fair Value of Assets	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Plan assets at beginning of Period	0	0
2	Expected return on plan assets	0	0
3	Actuarial gain / (loss) on plan assets	0	0
4	Actual Company contribution	0	0
5	Fund transfer	0	0
6	Employee contributions	0	0
7	Benefits Paid	0	0
8	Plan assets at the end period	0	0
C	Actual Return on Plan Assets	0	0

21. Actuarial Valuation of Liability in respect of Leave Encashment payable to Employees at the time of Retirement has been worked out & provided for as per requirements of AS-15 amounting to Rs.583973(Previous Year Rs. 7439723).

DISCLOSURE RELATING TO EMPLOYEE BENEFITIN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARD 15:

Total Expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Period ended 31st March

2023

A	Components of Employer Expenses	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Current Service Cost	232128	244799
2	Interest Cost	457427	431504
3	Expected return on plan assets	0	0
4	Curtailment Cost/ Credit	0	0
5	Past Service Cost – (Vested benefits)	0	0
6	Past Service Cost – (Non Vested benefits)	0	0
7	Unrecognized Past Services Cost – (Non vested)	0	0
8	Net Actuarial Losses / (Gains)	(337389)	57976
9	Total Expenses recognized in the Statement of Profit & Loss	7587451	734279

B	Actual Contribution and Benefits Payment for Period ended 31st March 2023	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Actual benefit payment	7587451	354744
2	Actual Contribution	0	

Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet – 31st March 2023

A	Funded Status	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Present value of Defined Benefit Obligation	583973	7819258
2	Fair value of Plan assets	0	0
3	Funded status Surplus / (Deficit)	(583973)	(7819258)
4	Effect of balance sheet asset limit	0	0
5	Unrecognized Past Service Cost	0	0
6	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(583973)	(7819258)
		0	0
1	Net asset / (liability) recognized in balance sheet at beginning of period	(7819258)	(7439723)
2	Employer expenses	352166	734279
3	Benefits Paid	7587451	354744
4	Net Acquisitions / Business Combinations	0	0
5	Net asset / (liability) recognized in balance sheet at beginning of period	(583973)	(7819258)

Reconciliation of Defined Benefit Obligation and Fair value of Assets Period ended 31st March 23

A	Change in Defined Benefit Obligation (DBO)	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Present Value of DBO at beginning of period	7819258	7439723
2	Current Service cost	232128	244799
3	Interest cost	457427	431504
4	Curtailment cost/(credit)	0	0
5	Settlement cost/(credit)	0	0
6	Past Service Cost - (vested benefits)	0	0
7	Past Service Cost - (Non vested benefits)	0	0
8	Acquisitions	0	0

9	Actuarial (gains)/ losses	(337389)	57976
10	Benefits paid	(7587451)	(354744)
11	Present Value of DBO at beginning of period	583973	7819258

A	Change in Fair Value of Assets	Amount 2022-23	Amount 2021-22
1	Plan assets at beginning of Period	0	0
2	Expected return on plan assets	0	0
3	Actuarial gain / (loss) on plan assets	0	0
4	Actual Company contribution	0	0
5	Fund transfer	0	0
6	Employee contributions	0	0
7	Benefits Paid	0	0
8	Plan assets at the end period	0	0
C	Actual Return on Plan Assets	0	0

Actuarial Assumption:

1	Discounting Rate	5.85% p.a
2	Rate of increase in Salaries	5.00% p.a.
3	Expected Rate of Return on Plan Asset	NA
4	Mortality	100% IALM 12-14 Ultimate
5	Withdrawal Rate	2.00% p.a

विजन वक्तव्य

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रामाणिक कृषि-बगवानी उपज के लिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार में एक पसंदीदा और भरोसेमंद ब्रांड बनना।

मिशन वक्तव्य

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों के कृषि-बगवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों और उधमियों को एक व्यापक विपणन समाधान प्रदान करना।

निदेशक मंडल

अध्यक्ष : श्री सौरभ एंडले

प्रबंध निदेशक : कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)

निदेशक : श्री. राजेंद्र प्रसाद गुरुंग
श्री राजन रोहिया
श्री. एम. इबोयिमामेइतेई
श्री. उमेश कुमार

कंपनी सचिव : श्री. संजीवकुमारराय

सांविधिक लेखा परीक्षक : मैसर्सएम. बोरार एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुवाहाटी

बैंकर्स : भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
एक्सिसबैंक, यूकोबैंक, सिंडिकेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक।

पंजीकृत कार्यालय : 9, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी, जी.एस. रोड,
गुवाहाटी-781005, असम।

अध्यक्ष के डेस्क से

□□□□□ □□□□□□□,

पिछले वर्ष के दौरान, आपके निगम ने असाधारण प्रदर्शन किया है, क्योंकि निगम ने बड़े मुनाफे के साथ अब तक का सबसे अधिक कारोबार हासिल किया है। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के साथ, निगम के संपूर्ण व्यवसाय और प्रशासनिक दृष्टिकोण को नया रूप दिया गया है, ताकि इसे सरकार के बाजार-आधारित वैश्विक दृष्टिकोण और पहल के साथ संरेखित किया जा सके। भारत के आर्थिक विकास के लिए, परियोजना प्रभाग को मजबूत करने से लेकर कौशल और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए समर्पित प्रभाग बनाने तक, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कई नई पहल की गई हैं। इन सभी पहलों का प्राथमिक फोकस, क्षेत्र के किसानों का व्यापक विकास करना और पुनरुद्धार योजना के आधार पर व्यवसाय मॉडल का स्थायी पुनर्गठन करना और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

भौतिक प्रदर्शन के मोर्चे पर, वर्ष के दौरान, NERAMAC ने सरकार की ओर से कई परियोजनाएं लागू की हैं, और कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: पूरे NER में 53 FPO का गठन, 90.00 करोड़ से अधिक मूल्य की कृषि-इनपुट और रोपण सामग्री की आपूर्ति, मिजोरम में पहले ड्रैगन फ्रूट जूस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना, 900 हेक्टर में बांस का वृक्षारोपण असम के तीन जिलों में और वन-स्टेशन-वन प्रोडक्ट पहल के तहत खुदरा स्टॉल खोलना। 77.45 करोड़ के पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन। (17.00 करोड़ रुपये की निधि-आधारित सहायता और 60.45 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित सहायता) अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार आगे बढ़ी और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी और समय-समय पर समीक्षा की गई।

जहां तक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सवाल है, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसा कि उल्लेख किया गया है, आपके निगम ने रु. 110 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक कुल राजस्व अर्जित किया है और शुद्ध लाभ रु. 1.89 करोड़। वर्ष के दौरान उत्पन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 312% अधिक है। वर्ष के दौरान निगम का लाभ अनुपात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हानि (17.71)% और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हानि (44.77)% की तुलना में 3.88% है। प्रति शेयर कमाई रु. 120/- और कंपनी की निवल संपत्ति सकारात्मक रु. 4.73 करोड़ हो गई।

NERAMAC कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में विश्वास करता है, ताकि हितधारकों के साथ कंपनी के मामलों पर जानकारी की दीर्घकालिक सफलता और पारदर्शी साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके। 2021-22 के लिए NERAMAC को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई थी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए NERAMAC को 'उत्कृष्ट' रेटिंग भी मिली थी।

वर्ष के दौरान, अगरतला में काजू प्रसंस्करण संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए एनईसी से धन सहायता प्रदान की गई थी। बर्नीहाट में एकीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र के लिए, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ओ एंड एम के लिए एक निजी पार्टी का चयन किया गया था। वर्तमान में ये दोनों प्लांट चालू हैं।

पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के बाद यह वर्ष सफलता का पहला अध्याय है। मुझे विश्वास है कि यह लाभार्थियों के साथ बेहतर जुड़ाव और व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने की नींव रखेगा।

एस.एल. नहीं	रिपोर्ट	पेज नं.
1	41वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक की सूचना	5-6
2	निदेशकों की रिपोर्ट	7-18
3	कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	19-24
5	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	25-30
6	वैधा निकलेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	31-41
7	बंधन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का जवाब	42
8	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	43
9	कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र	44-45
10	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	46-69
11	वित्तीय विवरण और खातों के नोट	70-105

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड की 41वीं स्थगित वार्षिक आम बैठक सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 9, राजबाड़ी पथ, जी.एस. रोड, गुवाहाटी-781005, असम में आयोजित की जाएगी। 41वीं वार्षिक आम बैठक के निम्नलिखित अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से सुबह 11:00 बजे:

साधारण व्यवसाय:

आईटीएन नंबर 1:31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और निदेशक की रिपोर्ट और उस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना:

सदस्यों से निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने का अनुरोध किया जाएगा।

"यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्राप्त किया जाएगा, विचार किया जाएगा और अपनाया जाएगा"

निदेशक मंडल के आदेश से
नेरामेक लिमिटेड

संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव

संलग्नक: उपस्थिति पर्ची

दिनांक: 03. 09.2024

स्थान: गुवाहाटी

टिप्पणी

1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र सं. 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023, परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, मई को पढ़ें 05, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम/बैठक") बुलाने की अनुमति दी गई है। एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति पर एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही होगा।

2. वीसी मोड के माध्यम से जुड़ने के लिए लिंक और अन्य विवरण पंजीकृत ईमेल आईडी पर अलग से साझा किए जाएंगे।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए उपरोक्त सामान्य परिपत्र सुविधा के अनुसार वीसी या एओवीएम के माध्यम से आयोजित आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसार, बैठक में भागीदारी और मतदान के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।
4. वीसी मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संपर्क से संबंधित किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए कृपया कंपनी सचिव से cs@neramac.com पर संपर्क करें या +91-9954172236 पर कॉल करें।

सेवा में

1. भारत के राष्ट्रपति.

सी/ओ श्री शान्तनु, आईएस

सरकार के संयुक्त सचिव. भारत का.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय,

विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली-110011, दिल्ली।

ईमेल: shantanu97@nic.in

2. सचिव,

उत्तर पूर्वी परिषद.

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर,

नॉग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय,

ईमेल: sect-nec-meg@nic.in

3. उप सचिव,

उत्तर पूर्वी परिषद

एनईसी सचिवालय, नया कार्यालय परिसर

नॉग्रिम हिल्स, शिलांग-793003, मेघालय

ईमेल: muong.gangte@gov.in

4. निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर

5. मेसर्स एम. बोरार एंड कंपनी को, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक @ mborarco@gmail.com

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य गण,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
राजबाड़ी पथ, जी.एस.रोड, गणेशगुरी, गुवाहाटी-781005, असम

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर लेते हैं।


1. वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2022-23 के लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित कंपनी के वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है-

विवरण	2022-23 (रु.)	2021-22 (रु.)
प्रचालन से राजस्व	9,66,627,000	26,142,000/-
अन्य आय	1,35,426,000	5,497,000/-
कुल राजस्व	1,102,53,000	2,66,917,000/-
प्रचालन खर्च	104,90,09,000	2,47,598,000/-
प्रशासनिक खर्च	3,16,25,000	41,799,000/-
वित्तीय लागत और मूल्यहास	2,495,000	23,453,000/-
कुल खर्च	108,31,29,000/-	3,12,850,000/-
विशेष सामग्री से पहले लाभ	1,89,24,000/-	(45,934,000/-)
विशेष सामग्री	2,49,95,000/-	-
असाधारण सामग्री	(11,25,000/-)	(380,000/-)
कर के पहले लाभ	4,27,94,000/-	(45,934,000/-)
<u>कर व्यय</u>		
चालू कर	0.00	0.00
आस्थगित कर	0.00	0.00
एम ए टी	69,07,618/-	0.00
कर के बाद लाभ	35,886,382/-	(46,314,000/-)

2. वर्ष के दौरान कंपनी के कार्य संचालन/कंपनी की स्थिति का संक्षिप्त विवरण।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 110 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कारोबार किया है और एक दशक के बाद 1.89 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। असाधारण और असाधारण वस्तुओं के साथ लाभ 4,27 करोड़ रुपये है। व्यवसाय संचालन से राजस्व 96.66 करोड़ रुपये है, जो पहले की तुलना में 269% अधिक है।



आपके निगम ने अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित 64.00 करोड़ रुपये के राजस्व सृजन लक्ष्य के मुकाबले अधिक राजस्व अर्जित किया है। पुनरुद्धार योजना के तहत वित्तीय और जनशक्ति पुनर्गठन और बाजार-उन्मुख व्यापार दृष्टिकोण को अपनाना और सरकारी परियोजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना मुनाफे के साथ उच्च राजस्व अर्जित करने में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

वर्ष के दौरान हुए मुख्य प्रदर्शन पर हाईलाइट

क) कृषि-बागवानी उपज का बाजार संपर्क: अनानास, गाजर, काला चावल, काजू, अदरक, राजा मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, अरबी इत्यादि जैसी 56 मिलियन टन से अधिक कृषि-बागवानी उपज का बाजार लिंकेज इसके अम्ब्रेला ब्रांडेड एन ई फ्रेश के तहत प्रदान किया गया था। यूरोप, बांग्लादेश और भूटान का कुछ निर्यात।

ख) नेरामेक के पास खुदरा क्षेत्र में 80+ उत्पादों की उत्पाद श्रृंखला है।

- आईसीपी अगरतला (भारत-बांग्लादेश सीमा) पर एक कियोस्क खोला गया है>
- नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के साथ एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) के तहत 23 स्टॉल खोलने की शुरुआत की गई। वर्ष के दौरान गुवाहाटी और कामाख्या रेलवे स्टेशन पर स्टॉल चालू किये गये।

ग) कृषि-सामग्री और रोपण सामग्री की आपूर्ति: राज्य सरकारों की ओर से - वर्मी कम्पोस्ट, जैव-उर्वरक, प्रकंद, कृषि शेड नेट आदि जारी है।

घ) एजेंसी क्रियान्वयन

- i. नेरामेक को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के '10000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन' के तहत अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के बावजूद आवंटित 55 में से 53 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष के दौरान MoFW&A द्वारा 200 नए एफपीओ का गठन आवंटित किया गया था।
- ii. राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए), असम सरकार की बांस वृक्षारोपण परियोजना: तीन साल की परियोजना के पहले चरण में असम के तीन जिलों में 900 में वृक्षारोपण किया गया है।
- iii. उत्तर पूर्व क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों का जीआई पंजीकरण: पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13 उत्पादों को जीआई पंजीकृत किया गया है और 7 प्रक्रिया में हैं।
- iv. मिजोरम में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बागवानी मूल्य श्रृंखला: कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नेरामेक द्वारा मिजोरम में पहला ड्रैगन फ्रूट जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे केले की प्रोसेसिंग भी हो जाएगी।

ड. कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण: वित्तीय वर्ष के दौरान, नेरामेक ने कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित विंग शुरू किया है। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ परियोजनाएँ नीचे दी गई हैं:

परियोजना	प्रायोजक एजेंसी	परियोजना प्रकार	प्रशिक्षुओं की संख्या
प्रौद्योगिकी उन्नयन	एनबीसीएफडीसी, भारत सरकार	चांगलांग जिले, अरुणाचल प्रदेश में उद्यमिता विकास कार्यक्रम और टूल किट वितरण (मधुमक्खी पालन)	60
पीएम-देक्स के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण	एनबीसीएफडीसी, भारत सरकार	कौशल विकास प्रशिक्षण गोवालपारा, कामरूप (आर) और बारपेटा में आयोजित	900
पीएम-देक्स के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण	एनबीसीएफडीसी, भारत सरकार	कौशल विकास प्रशिक्षण असम के दरंग, बाक्सा और त्रीपुरा के ढालाई में आयोजित	90

च.इवेंट

- मुम्बई में अन्नपूर्णा फूड एक्सपो में भाग लिया
- आइजोल में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन
- गैंगटोक में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

3. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा

भारत सरकार ने 18 अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में निम्नलिखित घटक हैं :

- क) फंड आधारित समर्थन: वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 2 किश्तों में अनुदान राशि 17.00 करोड़ रुपये का मोटे तौर पर 2/3: 1/3 के अनुपात में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जारी की जाएगी:

शीर्ष	रु. करोड़ों में
रेगुलर कार्मिकों के लिए वीआरएस फंड	4.96
कार्यशील पूंजी लमर्थन	6.36
संचालन का समर्थन	2.20
कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम, ई-कॉमर्स पोर्टल	2.23
अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियां	1.25
कुल	17.00

- ख) गैर-आधारित समर्थन:

शीर्ष	रु. करोड़ों में
भारत सरकार का ऋण (ए.एस 31.03.2021) कंपनी के बकाया को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	28.23
भारत सरकार के बकाया ऋण पर 30.09.2021 तक की गणना वाले ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना	32.22
कुल	60.45

- ग) इक्विटी में बकाया लंबी अवधि के उधार के रूपांतरण को समायोजित करने के लिए निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में 10.00 करोड़ रुपये से 60.00 करोड़ रुपये की वृद्धि।

4. वर्ष के दौरान पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन:

- क. फरवरी, 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 17.00 रुपये की फंड आधारित सहायता के तहत नेरामेक को 11.33 करोड़ रुपये की दो-तिहाई राशि 2022 में शेष एक तिहाई फंड 5.67 करोड़ रुपये मार्च 2023 में प्राप्त हुई।
- ख. निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.03.2022 को हुई 141वीं बैठक में निगम के 21 नियमित कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना को मंजूरी दी गई। वीआरएस के लिए पात्र कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 01.04.2022 को स्वीकृत योजना जारी की गई थी। कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए और दिनांक 31.05.2022 से उन सभी को पुनरुद्धार पैकेज के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई।
- ग. खरीद मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल और मानव संसाधन प्रबंधन के साथ ईआरपी अगस्त, 2022 से लागू किया गया।
- घ. ई-कॉमर्स पोर्टल ने फार्म हब 14.12.2023 को लॉन्च किया गया।
- ङ. वैधानिक बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान इस रिपोर्ट की तारीख तक 1.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- च. गैर-निधि आधारित समर्थन के तहत, 28.23 करोड़ रुपये के भारत सरकार के बकाया कार्यशील पूंजी ऋण को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 26.11.2021 से कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया है और कंपनी की अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(6) के अनुसार भी परिवर्तित किया गया और 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38.23 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- छ. भारत सरकार द्वारा घोषित पुनरुद्धार पैकेज के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61(1) (ए) के अनुमोदन से कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को दिनांक- 30.11.2021 को आयोजित 39वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यगण ने 38.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- ज. बट्टे खाते में डाले गए ब्याज और दंडात्मक ब्याज 32.22 करोड़ रुपये के संबंध में राशि को तुलन पत्र में गैर-ब्याज वाली देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. लाभांश

क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष में कोई लाभ अर्जित नहीं किया है और कंपनी के पास अपने आरक्षित धन में कोई संचित लाभ नहीं है, इसलिए यह बोर्ड वित्त वर्ष 2022- 23 के लिए लाभांश के भुगतान की सिफारिश नहीं करता है।

6. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण

क्योंकि वित्त वर्ष के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया था, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि में कोई भी राशि अंतरित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7. शेयर पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अधिकृत शेयर पूंजी रु. 31.03.2023 को 60.00 करोड़ रुपये के 6,00,000 इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया। 100/- प्रत्येक।

हालाँकि, पुनरुद्धार पैकेज के तहत, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 10,000,000/- से रु. 3,82,300,000/-से बढ़ा दी गई थी 26.11.2021 को कंपनी अधिनियम की धारा 62(6) के अनुसार, भारत सरकार का बकाया रुपये 28,23,00,000/- के रूपांतरण पर इक्विटी शेयर पूंजी में ऋण/बाद में 30.11.2021 को अनुमोदित पुनरुद्धार

योजना के आधार पर, अधिकृत शेयर पूंजी रुपये 3,82,300.000/- से रु. 600,000,000/- से और बढ़ गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61(1)(ए) के अनुसार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 31.03.2023 को 35.85 करोड़ रुपये को 3,58,500 1000/- रुपये प्रत्येक में विभाजित किया गया।

हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पुनरुद्धार पैकेज के तहत, रुपये के रूपांतरण पर। भारत सरकार के बकाया ऋण का 28,23,00,000/- इक्विटी शेयर पूंजी में 2,82,300 इक्विटी शेयर सरकार को जारी किए गए थे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(4) के अनुसार 26.11.2021 को भारत का। इसलिए कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रुपये 7,62,00,000/- से रु. 35,85,00,000/- से बढ़ गई।

8. वार्षिक रिटर्न की प्रति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न की प्रति www.neramac.com पर होस्ट की गई।

9. उन निदेशक अथवा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का विस्तृत ब्यौरा जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया अथवा जिन्होंने त्यागपत्र दिया

आपकी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है,
निदेशक मंडल में सभी नियुक्तियाँ और समाप्ति की जाती हैं जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में की गई नियुक्तियों/समाप्तियों निम्नलिखित हैं।

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) को डोनर मंत्रालय के आदेश संख्या नेरामेक-15/21/2017-ओ/ओ डीआईआर (नेरामेक) दिनांक 11.04.2022 के तहत 03.07.2022 से पांच साल की अवधि के लिए पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। शामिल होने की तारीख या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी 22500-600-27300 रुपये के वेतनमान में सबसे पहले हो। उनकी नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिश पर की गई थी

03.07.2022 से पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री मनोज कुमार दास, डीजीएम, (नेडफी) की नियुक्ति 02.07.2023 से प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त प्रभार के रूप में समाप्त कर दी गई।

10. निदेशक मंडल और उसकी समिति की बैठकों की संख्या

इसकी जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक – के रूप में संलग्न कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट के तहत दी गई है

11. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनी ने धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी नहीं दी है तथा कोई निवेश नहीं किया है।

12. धारा 188 के तहत संविदा के विवरण और संबंधित पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में अधिनियम की धारा 188 के तहत कोई संविदा और व्यवस्था नहीं की है।

13. कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

रिपोर्ट वर्ष की अवधि के दौरान, कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

14. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक कंपनियां, संयुक्त प्रतिष्ठान अथवा सहयोगी कंपनियां बनीं अथवा उनका बने रहना समाप्त हुआ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई भी कंपनी नेरामेक की सहायक कंपनी, संयुक्तप्रतिष्ठान अथवा सहयोगी कंपनी नहीं बनी अथवा उनका बने रहना समाप्त नहीं हुआ।

15. कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि कोई हों, जो समीक्षाधीन वित्त वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट देने की तारीख के बीच हुए हैं:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्टिंग की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

16. अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमा राशियों से संबंधित ब्यौरा

कंपनी ने अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है अथवा उसका नवीकरण नहीं किया है।

17. प्रतिष्ठान की जारी स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से संबंधित विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और मुख्य आदेशों का विस्तृत ब्यौरा

वर्ष के दौरान, प्रतिष्ठान की जारी स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण और मुख्य आदेश किसी विनियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है।

18. जोखिम प्रबंधन प्रणाली

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 24.03.2023 को आयोजित अपनी 147वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी। अनुमोदित नीति 17.05.2023 से लागू की गई है। जोखिम प्रबंधन नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://www.neramac.com/codes-and-policies> पर उपलब्ध है।

अनुमोदित नीति के अनुसार, 17.05.2023 से एक कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमएस) का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व प्रबंध निदेशक करते हैं और प्रमुख समिति के सदस्य होते हैं। सीआरएम अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम के क्षेत्रों की पहचान करने, कंपनी में जोखिम प्रबंधन की स्थिति का आकलन करने, शमन उपाय की सिफारिश करने, चिंताओं वाले क्षेत्रों पर बोर्ड की ऑडिट समिति को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। सभी वित्तीय निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से लिए जाते हैं। भारत सरकार के निर्धारित किए वित्तीय दिशानिर्देश नियंत्रण प्रणाली को विधिवत पालन किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

20. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वित्त वर्ष के दौरान, क्योंकि कंपनी की कुल पूंजी/निवल मूल्य/निवल लाभ कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित सीमा से कम था, इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

21. कॉर्पोरेट शासन

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई कॉर्पोरेट्स शासन रिपोर्ट संलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

22. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

लोक उद्यम विभाग के कॉर्पोरेट शासन, 2010 के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है और यह संलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

23. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स एम बोरार औ कं., चार्टेड लेखाकार, गुवाहाटी को अधिनियम की धारा 139 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं, वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रत्येक टिप्पणी का प्रबंधन द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया है और प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।

24. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) ने धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 .03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है।

25. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

26. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेहन और विदेशी विनिमय आय तथा व्यय उर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी में अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनायी हैं।

प्रौद्योगिकी आमेलन

वित्त वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी आमेलन की कोई ऐसी घटना नहीं थी।

वैदेशिक विनिमय और व्यय

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई विदेशी विनिमय और व्यय नहीं थे

27. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नेरामेक ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए लगातार सर्वोत्तम प्रयास किए। नेरामेक 'ग' क्षेत्र के लिए आधिकारिक संचार में 'हिंदी' के उपयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। नेरामेक ने हर तिमाही में अपने कर्मचारियों के लिए आंतरिक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है और केंद्र सरकार के पीएसयू द्वारा क्षेत्र में आयोजित कार्यशालाओं में भी भाग लेता है। कर्मचारियों के लिए 'आजका शब्द' के माध्यम से हिंदी शिक्षण प्रतिदिन प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। वर्ष के दौरान 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदीपखवाड़ा भी आयोजित किए गए। सप्ताह के दौरान, 'तिप्पनी लेखन' (नोट शीट लेखन), पत्र 'लेखन', कविता लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आयोजित किया गया प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया है। आधिकाधिक कार्यालयी काम में हिंदी का उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी चार कर्मचारी - प्रत्येक को 500/- रुपये करके पुरस्कार भी दिया गया। नेरामेक को नराकास(नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) (उपक्रम)), गुवाहाटी द्वारा उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 'प्रमाणपत्र' प्राप्त हुआ।

28. सतर्कता तंत्र और कार्यान्वयन

नेरामेक प्रभावी सतर्कता प्रशासन को बढ़ावा देता है और भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टि कोण सुनिश्चित करता है। भ्रष्ट/अनैतिक प्रथाओं की रोकथाम, नियंत्रण और पता लगाने के लिए डीपीई और सीवीसी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को समय-समय पर लागू किया जाता है।

श्रीइबोयाइमामेइती, सलाहकार, बागवानी, एनईसी और बोर्ड के सदस्य, नेरामेक के मंत्रालय द्वारा 20.12.2020 को अंश कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया गया है।

31.10.2022 से 06.11.2022 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह "स्वतंत्र भारत अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" थीम के साथ मनाया गया।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीवीसी के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

29. सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के तहत तंत्र : नेरामेक ने अधिनियम के तहत निर्धारित आरटीआई तंत्र की स्थापना की है, कंपनी सचिव को केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रबंध निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में रखा गया है।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के तहत निर्धारित अनिवार्य खुलासे कंपनी की वेबसाइट <http://www.neramac.com/files/mandatory-disclosures.pdf> पर उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों/अपील की संख्या

प्राप्त आवेदनों की संख्या (अन्य पीए से सीधे एवं	प्राप्त अपील की संख्या	दिनांक 31.03.2023	को निस्तारण किया
		गया	

अग्रेषित)			
26	12	25	12

30. सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल से की गई खरीदारी:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जेम से 6.86 लाख रुपये का सामान खरीदा गया और जेम से 1.06 करोड़ रुपये की सेवाएं प्राप्त की गईं।

31.31.03.2023 को आकस्मिक देनदारियां:

क्र.सं.	लेनदारों	दावा की गई देनदारियों	देनदारियाँ प्रदान की गईं	आकस्मिक देयताएं	कानूनी स्थिति
1	सौभाग्य एड्भारटाइजिंग, कोलकाता	1990,000/-	1,262,000/-	7,28,000	विचाराधीन
2	मे. हारभेल एगुवा प्रा.लि.	3,998,093/-	1,224,000/-	27,74,093/-	विचाराधीन
3	में आर एंड जेड दिस्ट्रीब्यूटर	8,004,000/-	0.00	8.004.000/-	विचाराधीन
4	रत्नागिरी इसपेक्स प्रा. लि.	41,492,000/-	18,725,000/-	22,767,000/-	विचाराधीन
5	20.10.2020को सौंपा गया बहु-फल प्रसंस्करण संयंत्र सिलचर-इकाई के लिए एआईडीसी लीज किराया	3,646,000/-	0.00	3.646,000/-	कोई कानूनी मामला नहीं लंबित है

32. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी ने किसी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जिसका विवरण कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति और पारश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) और (3) के अंतर्गत दिया जाना अपेक्षित हो।

33. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण
निगम ने निर्धारित धीरा 4 के अनुसार कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक आंतरिक समिति का गठन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत की सूचना नहीं मिली।

34. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत यथा अपेक्षित के अनुसार, निदेशक एतद् द्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

- i. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, सामग्री निर्गत से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।
- ii. निदेशकों ने इस प्रकार की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और संगत रूप से लागू किया है तथा उन पर ऐसे निर्णय लिए हैं और उनका आकलन किया है जो तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हों ताकि कंपनी के कार्यों की 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति और इस अवधि के दौरान के कंपनी के लाभ एवं हानि की स्थिति का वास्तविक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जा सके।
- iii. कंपनी की परिसंपत्तियों के रक्षोपाय के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम करने के लिए, निदेशकों ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी वरती है।
- iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखा – जोखा प्रचलित पद्धतियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया है।
- v. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथोचित पद्धतियां विकसित की और इस प्रकार की पद्धतियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं।

35. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए लागत संबंधी अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

36. लेखा परक्षकों द्वारा धारा 143(12) के तहत सूचित धोखाधड़ी का विस्तृत ब्यौरा

लेखापरीक्षकों ने प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का खुलासा किया जो क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हुई थी। नेरामेक के पूर्व कर्मचारी भट्टाचार्य को जोनल प्रभारी के रूप में नियुक्त था, अगरतला के बैंक खातों में अनधिकृत निकासी और जमा किए और कंपनी का और वार्षिक खातों के अनुपालन के लिए प्रधान कार्यालय में जाली बैंक विवरण प्रस्तुत किया। लेखा संकलन. श्री राहुल द्वारा धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन के कारण, कंपनी को 1,198,646/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। प्रबंधन ने श्री राहुल भट्टाचार्य के खिलाफ ए.डी. नगर पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करायी और, पश्चिम त्रिपुरा एसआईटी, अगरतला पुलिस में फिलहाल मामले की जांच चल रही है

आभारोक्ति

इस शुभ अवसर पर निदेशकगण पणधारियों, डोनर मंत्रालय, उत्तर पूर्व परिषद, कृषि मंत्रालय और फारमार वेलफेयर और अन्य राज्य सरकार के मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों तथा कंपनी को अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने नेरामेक को उनके कार्य निर्वहन में सहायता, सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया। कंपनी के कुशलता पूर्वक कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने में डीलर, बिजनेस एसोसिएट और कंपनी के बैंकरों को अपने निरंतर समर्थन और निगम के कार्मिकों को अथक प्रयास और पर्याप्त प्रदर्शन के लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कमोडर राजीव अशोक(अवकास प्राप्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

एम आई मैटेई
निदेशक
डीआईएन: 08220500

दिनांक: 27.03.2024
स्थान: गुवाहाटी/ शिलांग

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट शासन प्रणाली पर कंपनी की धारणा :

कॉरपोरेट शासन के संबंध में आपकी कंपनी की धारणा के अंतर्गत अपने कारोबार संबंधी उद्देश्यों को दक्षता पूर्वक पूरा करने और अपने पणधारियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। आपकी कंपनी यह मानती है कि कॉरपोरेट शासन विनियामक अपेक्षाओं का पालन करना मात्र नहीं है बल्कि अपने प्रत्येक प्रयास में पारदर्शिता के उच्चतम मानक सृजित करना भी है। सशक्त शासन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता में, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेते हैं:

- पारदर्शिता
- प्रतिबद्धता
- जवाबदेही
- नैतिक आचरण
- पणधारियों के हितों का रक्षोपाय

2. निदेशक मंडल और उनकी समितियाँ

आपकी कंपनी के बोर्ड में सात सदस्य हैं, बोर्ड में ऐसे निदेशकों का समूह है जिसमें प्रत्येक निदेशक या तो निगम के महत्वपूर्ण कारोबार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है अथवा प्रबंधन और शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। अतः इस बोर्ड का गठन निगम के पूर्णतः कुशल प्रचालन के लिए किया गया है।

क. निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल का संघटन

बोर्ड निदेशकों में 31.03.2023 तक बोर्ड में कुल छह निदेशकों के साथ एक कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी निदेशक और दो गैर-आधिकारिक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक और उत्तरपूर्वी परिषद से एक प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि सभी स्वतंत्र निदेशकों का छह साल का अधिकतम कार्य काल समाप्त होगा। नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

ii. बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2022-23 में निदेशक मंडल की दो बैठकें हुई थीं जिनकी तारीखें निम्नलिखित हैं

क्र. सं.	बैठक की संख्या	बैठक की दिनांक
1.	142 वीं बोर्ड बैठक	11/07/2022
2.	143 वीं बोर्ड बैठक	17/08/2022
3.	144 वी बोर्ड बैठक	27/09/2022
4.	145 (तत्काल) वी बोर्ड बैठक	25/10/2022
5.	146 (तत्काल) वी बोर्ड बैठक	23/12/2022
6.	147 वी बोर्ड बैठक	24/03/2022

नीचे कंपनी के निदेशकों की सूची दी गई है जिसमें उनकी श्रेणी और कंपनी की बोर्ड बैठक में उपस्थिति को भी दर्शाया गया है:

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	आयोजित बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की संख्या जिनमें उपस्थिति दर्ज की गई
1	श्री सौरभ एंडले	नामांकित निदेशक	27/07/2018	06	05
2	कमोडोर राजीव अशोक	कार्यपालक	03/07/2022	06	06
3	श्री राजेंद्र प्रसाद गुरंग	स्वतंत्र गैर कार्यपालक	12/09/2013	06	06
4	श्री राजन लोहिया	स्वतंत्र गैर कार्यपालक	12/09/2013	06	00
5	श्री एम आई माइति	नामांकित निदेशक(एनइसी)	11/11/2013	06	04
6	श्री उमेश कुमात	नामांकित निदेशक	20.10.2021	06	05

iii. नये निदेशकों की नियुक्ति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) को पीईएसबी की सिफारिश पर डोनर मंत्रालय द्वारा 03.07.2022 से पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

योग्यता और अनुभव पर संक्षिप्त जानकारी:

सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी, एम.फिल (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन), एम.एससी. (सुरक्षा एवं विकास), एम.एससी (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन), एम.एससी. (गोताखोरी प्रौद्योगिकी), बी.एससी (मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान)। NERAMAC उनकी पहली PSU नियुक्ति है।

iv. आचरण संहिता

आपकी कंपनी कारोबार नीति शास्त्र के उच्च मानक के अनुसार और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

v. पारिश्रमिक

हमारी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और

पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है (डोनर मंत्रालय को दायित्व सौंपी जाती है)। इसलिए, बोर्ड निदेशकों का पारिश्रमिक तय नहीं करता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड बैठकों में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक निदेशक मंडल और समिति की बैठक के लिए 1500/- रुपये।

कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। वर्ष के दौरान, प्रबंध निदेशक, कमोडोर राजीव

अशोक (सेवानिवृत्त) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है।

निदेशक की नाम	वेतन एवं भत्ता(रु.)
कमोडर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)	28,04,532/-

ख. बोर्ड की समितियाँ

विवेकपूर्ण तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और शीघ्रता से निर्णय लेने के उद्देश्य से, बोर्ड ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है जो वित्त, कानून, लेखा, विपणन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं।

3. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कॉरपोरेट शासन के संबंध में डी पी ई के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। इस समिति के सभी सदस्य फाइनेंस के संबंध में जानकारी रखते हैं और उनको लेखांकन अथवा संबंधित विषय का अच्छा ज्ञान होता है।

A. विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय डी पी ई के दिशा निर्देशों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं की संगति में हैं:

- क) लेखा परीक्षा समिति को इसके द्वारा जब कभी उपयुक्त और उचित समझे जाने पर किसी गतिविधि के बारे में जांच पड़ताल करने, किसी कर्मचारी से सूचना मांगने तथा बाहरी कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है।
- ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण करना।
- ग) लेखा परीक्षक के लिए उसके द्वारा की गई अन्य सेवाओं के लिए देय लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य भुगतान राशियों के निर्धारण के संबंध में बोर्ड से सिफारिश करना।
- घ) वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ मिलकर उनकी समीक्षा करना।
- ङ) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य यदि कोई हो, की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना जिसमें विभाग के कर्मचारियों की संख्या और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना भी शामिल है।
- च) जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी अथवा अनियमितता हो अथवा किसी महत्वपूर्ण मामले में आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की विफलता का मामला हो, वहां उन मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी आंतरिक जांच पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- छ). विसल ब्लोवर तंत्र, यदि यह विद्यमान हो, के कार्य संचालन की समीक्षा करना।
- ज). नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- झ) लेखा परीक्षा समिति प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति के विश्लेषण तथा प्रचालनों के परिणामों, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए पार्टी के लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण, आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत होती है।

B. संघटन

लेखा परीक्षा समिति के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद गुरंग हैं जोकि एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं। वित्त वर्ष के दौरान इस लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, समिति के ये दोनों ही सदस्य बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक और एक गैर कार्यपालक सरकारी नामंकित हैं।

C. बैठकें

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा

समिति की 4 बैठक निम्न लिखित दिनांकों हुई थी।

1	27वीं लेखा समिति बैठक	23/05/2022
2	28वीं लेखा समिति बैठक	16/08/2022
3.	29 वीं लेखा समिति बैठक	19/10/2022
4.	30 वीं लेखा समिति बैठक	20/03/2023

आयोजित बैठकों में उपस्थितिके साथ लेखा परीक्षा समितिके सदस्यों की सूची:

क्र. सं.	सदस्यके नाम	समितिमें पदनाम	श्रेणी	उपस्थिति
1	श्री राजेंद्र प्रसाद गुरंग	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4/4
2	श्री उमेश कुमार	सदस्य	सरकारी नामंकित	4/4
3	श्री राजन लोहिया	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1/4

सामान्य निकाय की बैठक

4. वार्षिक आम बैठक

अंतिम तीन आम वार्षिक बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	वा.सा. बैठक की दिनांक	दिन व समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव यदि कोई हो, का ब्यौरा
1.	2019-20	30.09.2019	सोमवार, सुबह 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय अर्थात् 9, राजवारी पथ, गणेशगुरी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की फीस संशोधित करने के लिए।

2	2020-21	01.07.2021	मंगलवार सुबह 11.00बजे		कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 38.23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये करने की मंजूरी।
3	2021-22	30.11.2021	मंगलवार सुबह 11.00 बजे		शुण्य

- वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एजीएम की तिथि को कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण 31.12.2020 और 30.11.2021 तक बढ़ा दी गई है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम 31.12.2020 को बुलाई गई थी, हालाँकि कोरम के अभाव में बैठक अगले दिन उसी दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अनुसार एक ही समय में बैठक 01.07.2021 को आयोजित की गई।

ख असाधारण आम बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के अवधि में कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुआ था।

5. प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधनआदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ था जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हित से जुड़ा कोई विवाद हो। कंपनी ने कानूनों के सभी उपबंधों और बी विनियामक प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों का विशेष रूप से पालन किया है।

6. संचार साधन

कंपनी के बारे में वित्तीय परिणाम एवं अन्य जानकारी इसकी वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

7. लेखा परीक्षा अर्हताएं

कंपनी की अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की अर्हता के संबंध में प्रबंधन द्वारा विधिवत जवाब दिया गया है जो इस रिपोर्ट के संलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।

8. कॉर्पोरेटगवर्नेंसपरडीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

नेरामेक वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेटगवर्नेंस के दिशा-निर्देशों का पालन करता है। नेरामेक को निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया था।

9. प्रकटीकरण और अनुपालन

- i. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी पार्टी के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ विवाद है।
- ii. आधार वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं हुआ जो व्यक्तिगत स्वरूप का हो और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई व्यय नहीं किया गया।
- iii. वर्ष में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक कार्यालयीन व्यय 2.91 % प्रतिशत है।
- iv. कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सूचना देने के लिए “विसेल ब्लोवर नीति” तैयार की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के पास पहुंचने से इनकार नहीं किया गया है।

10. विसेल ब्लोवर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा आचरण या नीति शास्त्र पॉलिसी के संबंध में कंपनी के सामान्य दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को सूचना देने के लिए कर्मचारियों के लिए “विसेल ब्लोवर नीति” तैयार की है। यह विसेल ब्लोवर नीति कंपनी की वेबसाइट www.neramac.com पर उपलब्ध है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कमोडर राजीव अशोक (अवकास प्राप्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427

एम आई मैटैई
निदेशक
डीआईएन: 08220500

दिनांक: 27.03.2024
स्थान: गुवाहाटी/शिलांग

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्टउद्योग संरचना तथा विकास:

कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय होने के कारण नेरामेक ने उक्त व्यवसायको समर्थन देने और शिखर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से इस क्षेत्र का बागवानी व्यवसाय का बड़ा हिस्सा है और विकास की अपार संभावनाएँ हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) की कृषि जलवायु और प्राकृतिक व्यवस्था अच्छी गुणवत्ता वाली है जिसके लिए कृषि-बागवानी जैसे अनन्नास, कटहल, संतरा, नींबू, मिर्च, अदरक और कुछ विदेशी फल जैसे कीवी, पैशन फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।

अनन्नास उत्पादन में उत्तर पूर्व क्षेत्र 72.3% और भारत के अनन्नास उत्पादन का हिस्सा 54.5% है। उत्तर पूर्व से संतरे उत्पादन में भारत में हिस्सेदारी 10% है। पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और त्रिपूरा से ही कटहल उत्पादन में से लगभग 23.6% की योगदान है। त्रिपूरा 300.00 मेट्रीक टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत नींबू का भी सबसे बड़ा

उत्पादक है, पूर्वोत्तर लगभग 226 हजार टन का उत्पादन करता है जो भारत के कुल नींबू उत्पादन का लगभग 9% है। अदरक एक प्रमुख कृषि फसलें हैं जो पूर्वोत्तर सभी आठ राज्यों में उगाई जाती है। इस क्षेत्र में भारत के अदरक उत्पादन का हिस्सा 24.1% है। उत्तर पूर्व अपने नागा राजा मिर्च और चैरी काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध हैं। बुट झोलोकिया की खेती मुख्य रूप से असम और मणिपुर में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश भारत में कीवी का सबसे अधिक उत्पादक है जो लगभग 6000 मेट्रीक टन उत्पादन करता है, इसके बाद नागालैंड जो 2400 मेट्रीक टन का उत्पादन कर रहा है।

इतनी विशाल संभावनाओं के बावजूद कई सारे चुनौतियाँ हैं जोकि उद्योग विकास में बाधा डालती हैं जैसे कृषि भूमि की दूरस्थता, पहाड़ी इलाके, उचित बुनियादी ढांचे की कमी, कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं की कमी, क्लस्टर आधारित किसान, फलों और सब्जियों के बाजारों के लिए अविकसित सुविधाएँ।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं के जरिए उपयोक्त कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और नेरामेक ने ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर के कृषि-बागवानी क्षेत्र को ऊँचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक भूमिका निभा रहा है।

नेरामेक इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के माध्यम से क्षेत्र के कृषि-बागवानी क्षेत्र में सहायता करता है:

क. कृषि-बागवानी उत्पादों का थोक विपणन: थोक में ताजा कृषि-बागवानी उत्पाद एफपी किसानों से प्राप्त किए जाते हैं और उनका विपणन किया जाता है।

ख. कृषि-बागवानी उत्पादों की खुदरा बिक्री: प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित कृषि-बागवानी उत्पादों का खुदरा खंड के तहत विपणन किया जाता है।

ग. कृषि-व्यवसाय: राज्य सरकारों को कृषि-लागत और रोपण उपकरणों की आपूर्ति करता है।

घ. सरकारी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 10000 एफपीओ के गठन और प्रचार के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना, राज्यात्मक बांस विकास, असम की बांस वृक्षारोपण परियोजना प्रमुख हैं।

ड. कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण: कौशल विकास कार्यक्रमों और आजीविका प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि-बागवानी और संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण और आजीविका सृजन।

च. इवेंट मैनेजमेंट: क्षेत्र के कृषि-बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रशानियों/ कार्यक्रमों/क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन और भाग लेना।

2. शक्तियां और खामियाँ

निगम की क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में पहुंच है और यह सभी में कार्य कर रहा है तथा स्थानीय रूप से गाए जाने वाले उत्पादों और साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों, एफ पी ओ/एफ पी सी, उद्यमियों और एस एच जी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। निगम को कृषि उद्यान क्षेत्र में कार्रवाई करने और केंद्र सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का 37 से भी अधिक वर्ष का अनुभव है।

फसल कटाई के बाद प्रबंधन की अपनी सुविधाओं का अभाव, समूहों और पहाड़ी इलाकों की दूरदर्शिता, बहुत कम संगठित मंडियां और कोई बड़े आकार के प्रसंस्करण संयंत्र नहीं।

3. अवसर और खतरे:

निगम के पास क्षेत्र में खोज करने के लिए इस सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक जैव बास्केट के रूप में उभर रहा है। इसलिए, निगम के पास जैविक खाद्य सेक्टर में बाजार अग्रणी बनने की सभी संभावनाएं हैं। जबकि, सरकार की **“पूरब में काम करो नीति”** के अंतर्गत, नए जोखिमों की खोज की जा सकती है और निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

भारी जोखिम, क्षेत्र के कृषि उद्यान उत्पादन के विपणन में बिचौलियों की मौजूदगी और कॉरपोरेट्स समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी, भौगोलिक दूरियों और क्षेत्र में अवसंरचना की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने की उच्च लागत, कृषि आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव तथा पैदावार के रखरखाव और संरक्षण के लिए उचित अवसंरचना की कमी के कारण अत्यधिक तेजी से नष्ट होने वाले स्वरूप की वस्तुओं के रूप में खरीदे गए उत्पादों में शीघ्र नुकसान होने की संभावना है।

4. दृष्टिकोण:

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने देश में 'रेडी टू सर्व', जैविक और स्वस्थ खाद्य पदार्थों की मांग को बढ़ा दिया है। कृषि-बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन ऐसे बाजारों की भारी मांग को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। चूंकि नेरामेक अपने खुदरा क्षेत्र में नवाचार और विकास कर रहा है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भविष्य के बढ़ते बाजारों पर कब्जा करने के लिए ऐसे प्रयासों को बढ़ाया जाए और जारी रखा जाए। दूसरी ओर 'रेडी टू सर्व' अवधारणा ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संबंधित सहायक नौकरियों में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की मांग पैदा की है, पूर्वोत्तर में कुशल जनशक्ति को प्रोत्साहित करने और विकसित करने और क्षेत्र के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भी मजबूत ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास में शामिल है। जबकि, निष्क्रिय प्रसंस्करण संयंत्रों के पुनरुद्धार के साथ-साथ एक की स्थापना के लिए नए निवेश के पक्ष में, हाल के दिनों में कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, नेरामेक को संभावित समर्थन के लिए ऐसी योजनाओं का पता लगाना चाहिए, अपने निष्क्रिय संयंत्रों को पुनर्जीवित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने संचालन का विस्तार करने के लिए। नेरामेक को क्लस्टर आधारित खेती और विपणन की भी रणनीति बनानी चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए, जहां तक ताजा विपणन या प्रसंस्करण

के लिए बड़ी मात्रा में सोर्सिंग का सवाल है। जब पूर्वोत्तर के कृषि-बागवानी क्षेत्र की बात आती है, तो नेरामेक के पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है, यह सरकार और उसके संगठनों की ओर से परियोजना कार्यान्वयन/अध्ययन आयोजित करने में नेरामेक को अतिरिक्त बढ़त देता है। कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियाँ अभी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रमुख हिस्सेदारी रखती हैं, इसलिए कृषि-बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए नेरामेक के सही और समय पर प्रयास क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्व रखते हैं।

5. जोखिम और चिंताएँ:

कृषि-बागवानी उत्पादों का उच्च अस्थिर बाजार और उत्पादों की कम शेल्फ लाइफ व्यवसाय के इस क्षेत्र में प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। कृषि-बागवानी उपज की दरों के लिए निश्चित तंत्र के अभाव में, दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है जो काफी हद तक लाभप्रदता को प्रभावित करता है। जबकि फार्म गेट की दूरदर्शिता और पहाड़ी इलाके के कारण उच्च रसद लागत भी खरीद कार्यों के लाभ मार्जिन में कटौती करती है।

6. प्रदर्शन :

निगम ने व्यवसाय संचालन से 96.66 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और कुल राजस्व 110 करोड़ रुपये है, जो हमारे समय के पिछले कुल राजस्व 26.69 करोड़ रुपये से अधिक है। निगम ने एक दशक के बाद 1.89 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है। असाधारण और असाधारण वस्तुओं के साथ शुद्ध लाभ 4.27 करोड़ रुपये और मैट के भुगतान के बाद लाभ 3.58 करोड़ रुपये है।

7. उत्पाद वार प्रदर्शन

क्र. सं.	उत्पाद	2022-23		2021-2022	
		मात्रा	मूल्य(रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)
1.	बड़ी इलाईची	1392 केजी	7,18,928.00	9049.19 केजी	35,59,914.00
2.	ताजा अदरक	25204 केजी	4,06,144.00	4275.00 केजी	51,300.00
3.	झालूक	24947 केजी	1,13,44,434.00	30180.9 के जी	105,12,265.00
4	काला चावल	2214 केजी	2,75,767.88	2551.60 केजी	366943.00
5.	सूखी हल्दी के गुच्छे	-	-	1000 . नं	1,33,300.00
6	ताजा अनन्नास	12689 केजी	2,73,455.00	13846 . नं	2,51,353.00
7	ताजा तरबूज	-	-	21600 केजी	1,94,400.00

8	मक्का के दाने	-	-	50000 केजी	9,39,749.00
9	तेल	-	-	796 केजी	83,611.00
10	काली सरसों के दाने	-	-	1550 केजी	89,100.00
11	दालचीनी	2500 केजी	3,09,523.00	1000 केजी	39,458.00
12	काजू	15985 केजी	17,30,989.00	50 केजी	20,476.00
13	ताजा गाजर	12094 केजी	3,17,401.02	-	-
14	ताजा तारो	1500 केजी	32,500.00	-	-
15	कीऊ अनन्नास	6533 केजी	1,23,901.00	-	-
16	हरी मिर्च	1000 केजी	40,000.00	-	-
17	राज्य सरकार को कृषि-सामग्री की आपूर्ति (बीज और उर्वरक)	-	9,49,742,836.00	-	-
18	प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री	-	4,114,049.00	-	3,665,843.00
	कूल (रु.)		96,94,29,928.00		2,60,432,116.00

रु. 3,302,726/- की अंतर-शाखा बिक्री भी शामिल है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता:

कंपनी ने डोनर मंत्रालय द्वारा निदेशक मंडल का पुनर्गठन किए जाने के बाद निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 13/12/2011 को किया था। कंपनी ने पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है।

निगम में व्यापारिक प्रक्रिया सामग्री तथा नियत परिसंपत्तियों की खरीद करने के लिए और साग्रियों तथा सेवाओं की बिक्री करने के लिए, कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। वित्तीय शक्तियाँ प्रधान कार्यालय में केन्द्रित होती हैं। लेखा परीक्षा समिति और आंतरिक लेखा परीक्षक पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं।

9. भारत सरकार द्वारा पुनरुद्धार पैकेज की स्वीकृति

- क. निगम के लिए पुनरुद्धार पैकेज की प्रक्रिया मार्च 2015 में डीपीई के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर (एम ओ यू की बातचीत बैठक के दौरान) शुरू की गई थी।
- ख. 2015-2017 में नेडफी को संगठन के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए डोनर मंत्रालय से भार सौंपा गया था। मंत्रालय में रिपोर्ट के भाग 1 और भाग 2 की जांच की गई थी। नेडफी की रिपोर्ट में ताजा फंड डालकर और बकाया को रूपांतरण द्वारा नेरामेक के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई थी। इक्विटी में ऋण और नियमित कर्मचारियों के 50% के लिए वी आर एस और दंडात्मक ब्याज को बढ़े खाता डालना था।
- ग. नेडफी की रिपोर्ट को 2018 में आई आई एम, शिलांग द्वारा सत्यापित किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट ने मौजूदा मूल्य श्रृंखला की समीक्षा की सिफारिश की और अनुबंध खेती की सुविधा, ई-कमर्स, जी आई प्रमोशन आदि जैसी नई पहलों को अपनाने की सिफारिश की। वी आर एस और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी वेतन और प्रशासनिक व्यय। पाँच साल के लिए एक ब्याजमुक्त ऋण का भुगतान करने का सिफारिश की। प्रसंस्करण संयंत्र में कोई और निवेश नहीं किया जाएगा। उन्हें या तो लाभ के बंटवारे के समझौतों के साथ चलाने के लिए अन्य पार्टियों को सौंप दिया जाना चाहिए, या उन्हें विनिर्देश कर देना चाहिए।
- घ. उसके बाद, सचिव दोनर, सचिव, डीपीई और सचिव डीपीएम से मिलकर सचिवों की समिति द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा की गई।
- ङ. नेरामेक के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना जनवरी, 2021 में नेडफी द्वारा तैयार की गई थी। रुपये के फंड आधारित समर्थन के लिए कार्य योजना की 17 करोड़ रुपये की और गैर-निधि आधारित सहायता 60.45 करोड़ की सिफारिश की गई थी।
- च. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 16 अगस्त, 2021 को नेरामेक के पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दी। व्यापार संचालन, ईआरपी और ई-कॉमर्स पोर्टल के कार्यान्वयन और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के लिए 17 करोड़ रुपये का फंड आधारित समर्थन। गैर-निधि आधारित समर्थन बकाया सरकार के रूपांतरण के रूप में 60.45 करोड़। इक्विटी शेयर पूंजी में 28.23 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण और 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बढ़े खाते में डालना। गैर-निधि आधारित समर्थन कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन और आने वाले वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

10. प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

- क. नालकाटा, त्रिपुरा में फलों का रस प्रसंस्करण संयंत्र - वर्ष 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र संचालन की एकल उत्पाद लाइन होने के कारण नुकसान उठा रहा था। उसी कारण 2012 से संयंत्र असंचालित है। सरकारी योजनाओं के तहत यापीपीपी मोड के माध्यम से योजनाको पुनर्जीवित करने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।

- ख. अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, बर्निहाट, मेघालय- प्रति दिन 5 मि.टन अदरक प्रसंस्करण की क्षमता वाली इकाई ने 2002-03 से पूर्वोत्तर के अदरक उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अप्रचलित प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए धन की कमी के कारण संयंत्र 2012 से गैर-परिचालन पर है। हालाँकि हाल ही में परिचालन और प्रबंधन (O&M) के लिए ऑप्शन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए प्रूवेट पार्टनर को प्लांट सौंप दिया गया है। प्लांट को चलाने के लिए ओएंडएम ऑपरेटरों द्वारा ढांचागत विकास कार्य प्रगति पर है। संयंत्र के अप्रैल 2024 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है।
- ग. काजू प्रसंस्करण इकाई, अगरतला, त्रिपुरा- त्रिपुरा के काजू उत्पादकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस इकाई को 1994 में चालू किया गया था। संयंत्र त्रिपुरा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के तहत रोस्टिंग सेक्शन में धुएं के कारण प्रदूषण नियंत्रण द्वारा बंद कर दिया गया था। फिर भी 57.50 लाख की एनईसी के वित्तीय सहायता से प्रसंस्करण इकाई को पुनर्जीवित किया गया है। नवीनीकरण के बाद संयंत्र ने 18.09.2023 को परिचालन शुरू किया। नए संयंत्र की प्रतिदिन 500 किलोग्राम कच्चे काजू की प्रसंस्करण क्षमता है।
- घ. काजू प्रसंस्करण संयंत्र, मनकाचर, असम - काजू प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण 2009 में शुरू किया गया था जिसमें प्रतिदिन 4 मि.टन कच्चे काजू को संसाधित करने की क्षमता थी। निर्माण का 95% 2013-14 तक पूरा हो गया था, लेकिन चालू नहीं किया जा सका। निधि के संवितरण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना लागत और समय से अधिक वृद्धि हुई। सरकार की योजनाओं के तहत संयंत्र को चालू करने के विकल्पों की जांच की जा रही है।
- ङ. सीक्स माइल, गुवाहाटी में मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण- एनईसी वित्तपोषित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का निर्माण जनवरी, 2023 में पूरा हो गया है। इस भवन को हरित भवन परियोजना और क्षेत्र में अत्याधुनिक ऐतिहासिक इमारतों के रूप में डिजाइन किया गया है। पहले चरण के निर्माण में बी+जी=4 (वाणिज्यिक भवन) और बी+जी+1 (गेस्ट हाउस) शामिल हैं, जो सितंबर, 2020 में घोषित किए गए थे। मैसर्स हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार था।

**उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**कमोडर राजीव अशोक(अवकास प्राप्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09598427**

**एम आई मैटेई
निदेशक
डीआईएन: 08220500**

दिनांक: 27.03.2024

वैधानिक लेखा परीक्षकों की राय/टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर (2022-23)

अवलोकन							प्रबंधन द्वारा उत्तर
पुराने और अप्रचलित स्टॉक							
क्र . .सं	सामग्री	स्थान	मात्रा	मूल्य	टप्पणियाँ	आंतरिक समिति ने इन समाप्त/क्षतिग्रस्त स्टॉक की जांच की है। आंतरिक समिति की रिपोर्ट इन स्टॉक के निपटान को मंजूरी देने के अनुरोध के साथ आगामी बैठकों में लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाएगी।	
1	बड़ी इलायसी	क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड	केजी 100	92290	में 17-2016 खरीदा गया		
2	मिर्च का आचार	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 54	6210.00	10 साल उपर		
3	मिर्च का आचार 200)ग्रा . (बोटल	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 244	9760.00			
4	मिर्च आचार 400) ग्रा(बोटल .	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 103	7004.00			
5	कटहल का आचार	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 313	34430.00			
6	कटहल का आचार 200) ग्रा(बोटल.	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 55	2145.00			
7	कटहल का आचार 400)ग्रा . (बोटल	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 109	7303.00			
8	आम का आचार	एफ जे सी पी नालकाटा	.नं 23	2320.00			
9	आम का	एफ जे सी पी	.नं 219	8103.00			

		आचार 200)ग्रा . (बोटल	नालकाटा					
				कूल	169565. 00			
	<p>वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त स्टॉक, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, 'ए एस-2' के अनुसार माल मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, और होना चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त मदों की भौतिक स्थिति मूल्यांकन से पहले संबंधित इकाइयों से प्राप्त नहीं की गई थी और उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्तुएं प्रकृति में खराब होने वाली हैं जिनका समय बीतने के बाद अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इस प्रकार, लेखांकन के विवेकपूर्ण अभ्यास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए इन आविष्कारों के विरुद्ध प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए मालसूची की अधिकता और हानि को 1.69 लाख रुपए कम बताया गया है।</p>							
2	<p>1. सूची</p> <p>क) अगरतला यूनिट और आंचलिक कार्यालय असम, सिक्स माइल गोदाम के लिए स्टॉक का भौतिक सत्यापन 31-03-2023 को किया गया था।</p> <p>ख) खातों की पुस्तकों के अनुसार भौतिक सूची और स्टॉक में बेमेल है। यद्यपि वास्तविक इन्वेंट्री की लागत या एनआरवी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भौतिक स्टॉक और पुस्तकों में रखे गए स्टॉक के बीच अंतर की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।</p> <p>ग) चूंकि भौतिक स्टॉक और लेखा पुस्तकों के अनुसार स्टॉक के बीच अंतर है, इसलिए हमारे लिए यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि लेखा पुस्तकों के अनुसार समापन स्टॉक का मूल्य सही है। वास्तविक अंतर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक स्टॉक के लिए वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं है।</p> <p>लंबित देनदार</p>							<p>इन्वेंटरी प्रबंधन मॉड्यूल के साथ 01.04.2023 ईआरपी प्रणाली दिनांक 01.12.2017 से लागू की गई है। । मिलान में विसंगतियों से बचने के लिए अद्वितीय आईडी की सुविधा इन्वेंटरी प्रबंधन मॉड्यूल का हिस्सा है</p>

क्र. सं.		इकाई/पार्टी का नाम	रकम रु में	मंटव्य		
3	1	निदेशक बागवानी खानापारा, आंचलिक कार्यालय, असम	1,94,11,040/-	5 वर्ष से अधिक पुराना पुराना		
	2	मे. प्राइम एडिबील(पी) लिमिटेड नई दिल्ली, एफजेसीपी, नलकाटा	4,14,754/-	5 वर्ष से अधिक पुराना पुराना		
	कूल 1,98,25,794		उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि विभिन्न पार्टियों पर 198.25 लाख रुपये की राशि बकाया थी, जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया थी। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को रु. से अधिक बताया गया। 198.25 लाख प्रावधान के साथ-साथ वर्ष के लिए समान राशि की हानि को कम करके बताया गया।			
4	निश्चित परिसंपत्ति					
	ख) अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गलत तरीके से गणना गलत ब्लॉक के रूप में की जाती है, कुछ संपत्तियों के लिए कम मूल्यहास की बुकिंग होती है और संपत्तियों का अधिक मूल्यांकन रुपये से होता है। 1,24,837.17 जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिक लाभ हुआ।				अनुपालन के लिए नोट किया गया।	
	पुस्तकों में संपत्ति मूल्यहास का आरोप लगाया जाना चाहिए वास्तविक मूल्यहास मूल्यहास में अंतर					
	संपत्ति	पुस्तकों में विभाग का आरोप	वास्तविक मूल्यहास वसूला जाना चाहिए	मूल्यहास में अंतर	परिसंपत्तियों की इन वस्तुओं को भवन संरचना	

भवन	5,80,774.00	580808.54	34.54	(कारखाना भवन के अलावा) के हिस्से के रूप में लिया जाता है। अतः 60 वर्ष का उपयोगी जीवन माना गया है।
कार्यालय उपकरण	29,642.00	2,10,986.65	1,81,344.65	
कंप्यूटर	85,401.00	1,16,170.85	30,769.85	
	71,289.00	0	-71,289.00	
फर्नीचर	67,176.00	63,147.62	-4,028.00	
विद्युत उपकरण	14,830.00 0	0	-14,830.00	
प्लांट एवं मशीनरी	5258.00	8084.97	2826.97	
वाहन	63,702.00	63,710.54	8.54	
	9,18,072.00	10,42,909.17	1,24,837.17	
ग) गलत ब्लॉक राशि के कारण कुछ परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाता है। 46,725.00 जिसके परिणामस्वरूप लाभ का उसी राशि से कम मूल्यांकन हुआ।				

घ) नेरामेक के पास 2011 से टाटा मांजा वाहन है। इसकी खरीद लागत 6,00,957/- रुपये थी, 31-03-2023 को बचाव मूल्य 30,048/- रुपये है, वाहन की परिचालन लागत रखरखाव के रूप में किफायती से परे है। पिछले 5 वर्षों की लागत 8,42,919/- रुपये हो गया और पार्ट्स भी उपलब्ध नहीं के कारण टाटा मांजा 2015 में बंद पड़ा था।	150वीं निदेशक मंडल की बैठक के अनुमोदन से बेकार हो चुके वाहनों को स्कैप बिक्री के माध्यम से रु. 30,000/- में बिक्री कर दिया।
---	---

ड.) पूर्व अवधि की वस्तुएं

पूर्व अवधि की वस्तुओं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए एएस-5 शुद्ध लाभ या हानि के पैरा 15 के अनुसार- "पूर्व अवधि की वस्तुओं की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि के विवरण में इस तरह से अलग से खुलासा किया जाना चाहिए कि उनका मौजूदा लाभ या हानि पर असर देखा जा सकता है।"

लाभ एवं हानि खाते को निम्नलिखित मदों से डेबिट/क्रेडिट किया गया है:

अनुपालन के लिए नोट किया गया।

विवरण	डेबिट	क्रेडिट
आदानीएयरपोर्ट होल्डींग लि.	34,195.00	-
ओयर पोर्ट आथरिटी आफ इंडीया(जमा)	1,01,377.00	-
शंकर नाथ (स्थापना दिवस,अगरतला)	5,560.00	-
बिजली बिल (सचिवालय स्टॉल, अगरतला)	5,256.00	-
बैंक शुल्क	43,344.85	-
बैंक ब्याज	-	18,954.00
डायनाटेक	3,950.00	-
अग्रिम (बिजय शर्मा)	12,000.00	-
डिजी प्रिंटर्स	6,596.00	-
क्षे.का सिक्किम (सीएल)	1,298.00	-
क्षे.का. दिल्ली हैट यूनिट (एससी)	1,992.00	-
क्षे.का. असम (सीएल)	1,35,572.00	-
क्षे.का. अरुणाचल प्रदेश (बिक्री के विरुद्ध अग्रिम)	885.00	-
सीक्स माइल भवन परियोजना अनुदान	32,17,124.00	-
पुनरुद्धार अनुदान	-	2,28,4027.00
एसबीआई, अगरतला बीआर	10,816.00	-

पंजाब नेशनल बैंक- 1907002100013327		6,000.00					
5. सावधि जमा पर ब्याज:							
खाता सं.	बैंक	मूल धन	अर्जित ब्याज	ब्याज का हिसाब कम	छोटा ब्याज का लेखा-जोखा	ब्याज आधिक्य का लेखा-जोखा	
32355985984	एसबीआई	1,19,465	8,240	-	8,240	-	
32423260531	एसबीआई	2,116	1,976	140	-	2,116	
36339183017	एसबीआई	10,08,000	37,039	36,370	669	-	
36339174400	एसबीआई	30,00,000	1,10,307	1,08,313	1,994	-	
36339184124	एसबीआई	7,50,000	27,576	27,078	498	-	
39921081827	एसबीआई	19,15,428	82,263	81,113	1,150	-	
39921082140	एसबीआई	6,18,254	26,187	25,821	366	-	
40824351320	एसबीआई	4,35,00,000	18,02,151	16,80,236	1,21,915	-	
40824351761	एसबीआई	-	64,658	91,552	-	26,894	
40824444873	एसबीआई		1,63,650	1,90,038	-	26,388	
40824444421	एसबीआई	50,00,000	2,32,816	2,26,463	6,353	-	
40824350825	एसबीआई		1,06,685	1,51,061	-	44,376	
41064901868	एसबीआई	75,60,936	2,80,498	1,76,652	1,03,846	-	
41357856368	एसबीआई	58,89,645	1,25,417	12,542	1,12,875	-	
	कूल	6,93,61,728	30,69,603.	28,09,2150	3,58,046	97,658.00	
ब्याज प्रमाण पत्र के अनुसार एफडी पर ब्याज बुक नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ब्याज का हिसाब-किताब 3,58,046 रु. में कम हो गया। इसके अलावा एसटीडीआर के लिए जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिपक्व हो गया, 97,658.00 ब्याज का अतिरिक्त लेखांकन किया गया था।							
6	संदेहजनक खाता: क) प्रधान कार्यालय-असम खाते की वर्तमान देनदारियां 4,68,920 रुपये हैं। जो खाता						क) 1.76 लाख रुपये

	<p>संदेहजनक है।</p> <p>ख) अनाम ऋणदाता की राशि अगरतला आंचलिक कार्यालय की किताबों में 4,50,000 रुपये जमा हैं</p>	<p>की राशि का निपटान पहले ही किया जा चुका है और शेष राशि को सस्पेंस खाते से निपटान के लिए सत्यापित किया जा रहा है।</p> <p>ख)विख्यात। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सुधार किया जाएगा।</p>																				
7	<p>पूनरुद्धार अनुदान:</p> <p>कंपनी ने 32.33 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित सहायता हस्तांतरित की है। बकाया सरकारी ब्याज और दंडात्मक ब्याज (30.09.2021 तक गणना)। पूंजीगत अनुदान प्रमुख के अंतर्गत 28.23 रुपये (31.03.2021 तक) का का ऋण - कर से प्राप्त राय के आधार पर "आरक्षित और अधिशेष" के तहत गैर-निधि आधारित सहायता को इस संबंध में कंपनी ने उक्त राशि को कार्यशील पूंजी अनुदान मानने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध पत्र भी सौंपा है</p> <table><tr><th>बैंक खाता (बीआरएस):बैंक</th><th>विवरण</th><th>चैक नं.</th><th>चैक दिनांक</th><th>रकम</th></tr><tr><td>एसबीआई वाणिज्यिक शाखा - 1056698345</td><td>पंजीकरण शुल्क</td><td>413748</td><td>31-01-2020</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>7</td><td>बाक्सा बीकीपार्स एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड</td><td>413819</td><td>16-09-2020</td><td>3,570.00</td></tr><tr><td>एसबीआई नई</td><td>क्षेत्रीय कार्यालय,</td><td>805740</td><td>19-04-2021</td><td>1,440.00</td></tr></table>	बैंक खाता (बीआरएस):बैंक	विवरण	चैक नं.	चैक दिनांक	रकम	एसबीआई वाणिज्यिक शाखा - 1056698345	पंजीकरण शुल्क	413748	31-01-2020	5,000.00	7	बाक्सा बीकीपार्स एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	413819	16-09-2020	3,570.00	एसबीआई नई	क्षेत्रीय कार्यालय,	805740	19-04-2021	1,440.00	<p>टिप्पण किया गया है।</p>
बैंक खाता (बीआरएस):बैंक	विवरण	चैक नं.	चैक दिनांक	रकम																		
एसबीआई वाणिज्यिक शाखा - 1056698345	पंजीकरण शुल्क	413748	31-01-2020	5,000.00																		
7	बाक्सा बीकीपार्स एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	413819	16-09-2020	3,570.00																		
एसबीआई नई	क्षेत्रीय कार्यालय,	805740	19-04-2021	1,440.00																		

	गुवाहाटी शाखा	असम	495167	29-12-2021	27,999.00	
	<p style="text-align: center;">कूल 38,009.00</p> <p>एसबीआई बैंक खातों के बीआरएस में अभी भी 38,009.00 रुपये जमा हैं। इसे खातों की पुस्तकों से हटाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे अतिरिक्त व्यय बुकिंग होती है</p>					

8	<p>वैधानिक बकाया :</p> <p>कर योग्य सेवा का मूल्य रुपये से अधिक है तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार 2% एस काटा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के दौरान 2,50,000.00. अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड को न के मामले में वहां टीडीएस में 648.00. रुपये की कम कटौती की गई।</p>	<p>वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय कम कटौती का समाधान और जमा किया जाएगा।</p>
	<p>वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया गया।</p>	<p>वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के पास देरी से माफ़ी अनुरोध दायर किया गया है। रिटर्न दाखिल करने के लिए मंजूरी की</p>

						प्रतीक्षा है।
	मूल्यांकन वर्ष	वित्तीय वर्ष	विवरण	राशि	स्थिति	
	2020-21	2019-20	प्राप्य टी डी एस	4,66,358.00	दायर नहीं किया गया	
	2021-22	2020-21	प्राप्य टी डी एस	2,20,636.00	दायर नहीं किया गया	
9	<p>गैर प्रावधान व्यय:</p> <p>क) 46,610.00 रु. मार्च 2023 महीने के लिए अदानी एयरपोर्ट होलिंग लिमिटेड को देय किराये की बुकिंग के लिए प्रवेश पारित नहीं किया गया।</p>					<p>वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद बिल प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में राशि समायोजित होगी</p>
	<p>ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 तक की अवधि के लिए खातों की पुस्तकों में टीडीएस की संदिग्ध वसूली/रिफंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि परिपत्र संख्या के अनुसार संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल तक दावे के लिए माफी दायर की जा सकती है। परिपत्र 9/2015 [एफ.नं.312/22/2015-ओटी], दिनांक 9-6-2015। इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष के लिए संदिग्ध ऋण/प्राप्य और हानि के प्रावधान को 38.15 लाख रुपये से कम बताया गया है।</p>					टिप्पण किया गया है।
	क्र. सं.	डिडक्टर	26ए एस के अनुसार टीडीएस	कंपनी की पुस्तकों के अनुसार		

			टी.डी.एस
1	जिला उद्यान कार्यालय बेतिया	82,851.00	-
2	जिला उद्यान कार्यालय	26,258.00	-
3	नेरामेक	26,800.00	-
	कूल	1,35,909.00	

सीएआरओ में की गई टिप्पणियों का उत्तर

11	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और लेखा पुस्तकों के अनुसार संपत्तियों की संख्या और प्रकार में बेमेल है। चूंकि भौतिक सत्यापन के अनुसार संपत्ति की लागत उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे रुपये के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	टिप्पण किया गया है।
12	भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी देखा गया कि, कुछ संपत्तियां या तो क्षतिग्रस्त हैं या काम करने की स्थिति में नहीं हैं। इन परिसंपत्तियों को बही-खातों से हटा देने की जरूरत है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त/कटी हुई अचल संपत्तियों की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माह जुलाई 2023 में की जाएगी।	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त/कटी हुई अचल संपत्तियों की नीलामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माह जुलाई 2023 में की जाएगी। बुक वैल्यू : शून्य नीलामी राशि प्राप्त: रु.8,000/-
13	अचल संपत्ति रजिस्टर संपत्ति की विस्तृत जानकारी जैसे कि विशिष्ट आईडी, स्थान, खरीदी गई इकाइयों की संख्या, संपत्ति की लागत, वसूली योग्य लागत आदि का खुलासा नहीं करता है। ईआरपी प्रणाली को अद्वितीय आईडी के साथ 1-4-2023 से लागू किया गया है।	ईआरपी प्रणाली को यूनिक आईडी के साथ 1-4-2023 से लागू किया गया है।
14	क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंटरी	खुदरा इन्वेंट्री के लेखांकन के लिए

	<p>का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसकी सटीकता प्रमाणित नहीं की जा सकती क्योंकि किताबों में रखे गए भौतिक स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच बेमेल है।</p> <p>ख) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त नहीं है।</p> <p>ग) प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में देखी गई विसंगतियों को खाते की किताबों में ठीक से नहीं निपटाया गया था।</p>	<p>ईआरपी प्रणाली शुरू की गई है और अनुभव के आधार पर इसे आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, अब प्रत्येक आइटम के लिए एक अद्वितीय आईडी पेश की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन मामलों में कोई विसंगति न हो जहां विभिन्न उद्यमियों द्वारा एक समान उत्पाद प्रदान किया जा रहा हो।</p>
--	--	---

वित्तवर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत जारी किए गए टिप्पणी प्रमाण पत्र मेंसीएजी के पैरा पर प्रबंधन का जवाब।

पैरांत	सीएजी पैरा	प्रबंधन उत्तर
A. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी,		
A. 1	<p>पूँजीगत कार्य प्रगति पर - ₹ 14.30 करोड़ (नोट संख्या 7ए)</p> <p>उपरोक्त में सिक्समाइल, गुवाहाटी मेंमार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर होने वाले व्यय की ₹12.31 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी ने भवन निर्माण पर मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से 1286.73 लाख रुपये की राशि खर्च की है. परियोजना पूरी हो गई (पदोन्नति पर ₹0.18 करोड़ सहित कुल ₹12.87 करोड़ का व्यय) और 20 दिसंबर 2022 को ठेकेदार द्वारा NERAMAC को सौंप दिया गया। इसलिए, ₹12.69 करोड़ की राशि का पूँजीकरण किया जाना चाहिए था, लेकिन भवन का पूँजीकरण नहीं किया गया था वर्ष.</p> <p>इसके परिणाम स्वरूप अन्य मौजूदा देनदारियों और प्रगति पर चल रहे पूँजीगत कार्य को क्रमशः ₹37.51 लाख और ₹12.31 करोड़ से अधिक बताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ₹12.69 करोड़ से कम बताया गया है। खर्चों का पूँजीकरण होने के कारण मूल्यहास (राशि अनिश्चित) कम बताई गई है।</p>	<p>भवन (बी+जी+4) का भौतिक निर्माण जनवरी 2023 को पूरा हो गया था। हालांकि, लिफ्ट और ट्रांसफार्मर मार्च 2023 के अंत तक स्थापित/सेट-अप किया गया था। इसलिए, जीएमडीए द्वारा अधिभोग प्रमाणपत्र दिया गया था। लिफ्ट और ट्रांसफार्मर की स्थापना के बाद ही, NERAMAC ने GMDA से अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और 20.08.2024 को अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चूंकि 31 मार्च 2023 को कोई अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इमारत को 'उपयोग में नहीं लाया गया' और वित्तीय वर्ष के दौरान 'पीपीई' के तहत मान्यता दी गई।</p>

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित है। ऐसा कहा गया है कि यह उन्होंने अपनी संशोधित ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से किया है, जो उनकी पिछली 11 सितंबर 2023 की ऑडिट रिपोर्ट और 31 मई 2024 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम, चंडीगढ़ के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पृष्ठताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है जो सांविधिक लेखापरीक्षक को पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी:

क.1 पूंजीगत कार्य प्रगति पर - रु 14.30 करोड़ (नोट संख्या 7क)

उपरोक्त में सिक्स माइल, गुवाहाटी में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर होने वाले व्यय की रु 12.31 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी ने भवन निर्माण पर मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से 1286.73 लाख रुपये की राशि खर्च की है। परियोजना पूरी हो गई (पदोन्नति पर रु 0.18 करोड़ सहित कुल रु 12.87 करोड़ का व्यय) और 20 दिसंबर 2022 को ठेकेदार द्वारा नेरीमेकको सौंप दिया गया। इसलिए, रु 12.69 करोड़ की राशि का पूंजीकरण किया जाना चाहिए था, लेकिन वर्ष में भवन का पूंजीकरण नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप अन्य मौजूदा देनदारियां और प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य क्रमशः रु 37.51 लाख और रु 12.31 करोड़ से अधिक बताए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का रु 12.69 करोड़ कम बताया गया है। खर्चों का पूंजीकरण न होने के कारण मूल्यहास (राशि अनिश्चित) कम बताई गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

(राजीव कुमार पांडे)
लेखापरीक्षा महानिदेशक

(केंद्रीय व्यय),
दिनांक: 02.09.2024
स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

9, राजबाड़ी पथ, गणेशगुड़ी, जी.एस. रोड, गुवाहाटी - 781005

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए CIN: U01409AS1982GOI001932 ('कंपनी' के रूप में संदर्भित) वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के रिकॉर्ड और अनुपालन की जांच "केंद्रीय जनता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों" के संदर्भ में की है। सेक्टर उद्यम" भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (अब वित्त मंत्रालय के तहत आवंटित) में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मेमो नंबर 18(8)2005-जीएम दिनांक 14.05.2010 (यहां- बाद में इसे 'दिशानिर्देश' कहा जाता है)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित खंडों को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

बोर्ड की संरचना से संबंधित खंड 3.1.1: हालांकि बोर्ड के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 निदेशकों से अधिक है, तथापि निदेशक मंडल का गठन एसोसिएशन के लेखों के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र निदेशक लगातार 2 (दो) से अधिक कार्यकाल के लिए पद पर हैं। एक स्वतंत्र निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। इसलिए, वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167(1)(बी) के प्रावधानों के अनुरूप निदेशक पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

बोर्ड बैठकों की संख्या से संबंधित खंड 3.3.1: वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आयोजित की गईं। हालांकि, अंतराल के कारण खंड 3.3.1 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया था। 141वीं से 142वीं बैठक के बीच 4 महीने 3 दिन का समय होता है जो एक महीने तीन दिन से अधिक होता है। बोर्ड की बैठकों के एजेंडे में कंपनी के परिचालन व्यवसाय के तत्माही परिणामों की न्यूनतम जानकारी शामिल नहीं थी।

समीक्षा किए जाने वाले कानूनों के अनुपालन से संबंधित खंड 3.3.3: कंपनी पर लागू केवल कुछ कानूनों के अनुपालन और समीक्षा की सूचना दी जा रही है।

निदेशकों के प्रशिक्षण से संबंधित खंड 3.7: निदेशकों को उनकी भूमिकाएं और नियम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए गए हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठक से संबंधित खंड 4.4: लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। खंड 4.4 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि 29वीं और 30वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक के बीच 5 महीने 2 दिन का अंतर है, जो 4 (चार) से अधिक है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सुधा एवं एसोसिएट्स के लिए

सीएस सुधा शर्मा

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

एम.नं. एफ6278/सीओपी: 15754

UDIN: F006278F001110876

दिनांक :02.09.2024

स्थान: गुवाहाटी

**एमकम्पनी और बोरार.
शासपत्रीत लेखाकार
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट**

सेवा में,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्य गण,
वित्तीय विवरणों से संबंधित रिपोर्ट

हमने वित्तीय वर्ष दिनांक 31.01.2023 ("मूल रिपोर्ट") ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। महा नियंत्रक एवं नियंत्रक की अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में भारत के महालेखा परीक्षक यू/एस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के कुछ मदों में मूल रिपोर्ट में संशोधन किया गया है।

हमने वित्तीय विवरणों पर दिनांक 31.05.2024 को एक संशोधित रिपोर्ट (संशोधित रिपोर्ट) जारी की है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनंतिम टिप्पणियों के अनुसार मूल रिपोर्ट में अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर राय और रिपोर्ट की कुछ वस्तुओं में संशोधन किया गया है।

विपरीत राय

हमने उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ("कंपनी"), के संलग्न वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है जिसमें 31 तारीख की बैलेंस शीट शामिल है। मार्च 2023, लाभ का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि और नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद)"स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय अनुभाग के आधार पर चर्चा किए गए मामले के महत्व के कारण, वित्तीय विवरण हमारी कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को इसके लाभ का, और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य नहीं देते हैं।

विपरीत राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए

प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिकूल राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हम अनुबंध 'ए' में वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण और व्यापक है और ऐसे मामले जहां हम पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उक्त अनुबंध 'ए' में वर्णित मामलों के प्रभाव जिन्हें उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, उन्हें मात्राबद्ध किया गया है और उसमें दिया गया है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय प्रतिकूल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ वास्तव में असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का ग़लत विवरण दिया गया है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू कंपनी के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या ऐसा करने का इरादा न रखता हो। कार्रवाई बंद कर दें, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने

के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं
 - (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और
 - (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना
- हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।
- हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

- शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए, प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

• अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में।
2. कंपनी के खातों की पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे दे रहे हैं। अधिनियम के " अनुलग्नक डी" में देते हैं

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- क. हमने अनुलग्नक ए में बताए गए मामलों को छोड़कर सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- ख. हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें नहीं रखी गई हैं। अधिनियम की धारा 128 के तहत अपेक्षित संचय आधार के तहत खातों की पुस्तकों को पूरी तरह से बनाए नहीं रखा गया है।
इसके अलावा हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त नहीं हुआ है जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
- ग. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह के विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप है;
- घ. हमारी राय में, और "प्रतिकूल राय पैराग्राफ के आधार" में वर्णित मामलों के संदर्भ में, संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं। जैसा लागू हो;

हमारी राय में, प्रतिकूल राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

ड. अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा सरकारी कंपनियों के निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई थी;

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

छ. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरण देखें,

ii) हम प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक है, भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए, यदि कोई है तो डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv)

क. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा। या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करें।

ख. प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है। , इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसकी ओर से

किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

ग. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किए गए किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल हैं।

v) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खातों की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

h. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले मामले के संबंध में: अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित संशोधित धारा 197(16) के प्रावधान केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है

एम. बोरार एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 314255ई

(सीए. मनीष बागरिया)

दिनांक: 06/08/2024 पार्टनर

एम. नं. 303339

UDIN- 24303339BKCOOX7402

दिनांक:- 06/08/2024

स्थान: गुवाहाटी

उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

प्रतिकूल राय पैराग्राफ के आधार के तहत हमारी रिपोर्ट में "अनुलग्नक ए" का उल्लेख किया गया है

1. पुराने और अप्रचलित स्टॉक

क्र. सं.	सामग्री	स्थान	मात्रा	मूल्य	टिप्पणियाँ
1	बड़ी इलायसी	क्षे.का.नागालैंड	100 केजी	92290.00	2016-17 में खरीदा गया
2	मिर्च का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	54 नं.	6,210.00	10 साल उपर
3	मिर्च का आचार(200 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	244 नं.	9,760.00	
4	मिर्च आचार(400 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	103 नं.	7,004.00	
5	कटहल का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	313 नं.	34,430.00	
6	कटहल का आचार(200 ग्रा.बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	55 नं.	2,145.00	
7	कटहल का आचार(400 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	109 नं.	7,303.00	
8	आम का आचार	एफजेसापी, नालकाटा	23 नं.	2,320.00	
9	आम का आचार(200 ग्रा. बोटल)	एफजेसापी, नालकाटा	219 नं.	8,103.00	
			कूल	1,69,565.00	

एएस-2' के अनुसार, क्षतिग्रस्त स्टॉक, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंटरी का मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, होना चाहिए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि मूल्यांकन से पहले उपरोक्त वस्तुओं की भौतिक स्थिति संबंधित इकाइयों से प्राप्त नहीं की गई थी और इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्तुएं प्रकृति में खराब होने वाली होती हैं जिनका उपयोग समय बीतने के बाद अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लेखांकन की विवेकपूर्ण प्रथा के अनुसार, वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए इन आविष्कारों के विरुद्ध प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप माल-सूची को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए लाभ को 1.69 लाख रुपये कम बताया गया।

2. सूची

क. अगरतला यूनिट और असम सिक्स माइल गोदाम के लिए स्टॉक का भौतिक सत्यापन 31-03-2023 को किया गया था।

ख. खातों की पुस्तकों के अनुसार भौतिक सूची और स्टॉक में बेमेल है। यद्यपि वास्तविक इन्वेंट्री की लागत या एनआरवी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भौतिक स्टॉक और पुस्तकों में रखे गए स्टॉक के बीच अंतर की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ग. चूंकि भौतिक स्टॉक और लेखा पुस्तकों के अनुसार स्टॉक के बीच अंतर है, इसलिए हमारे लिए यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि लेखा पुस्तकों के अनुसार समापन स्टॉक का मूल्य सही है। वास्तविक अंतर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि भौतिक स्टॉक के लिए वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं है।

3. लंबित देनदार

क्रं सं.	इकाईनाम का पार्टी/	रकम रु.	टिप्पणियाँ
1	निदेशक, बागवानी, खानापारा, क्षेत्रीय कार्यालय, असम	1,94,11,040	5 वर्ष से अधिक पुराना
2	मे. प्राईम एडीविल(प्रा.) लि., नई दिल्ली, एफ जे सी पी, नालकाटा	4,14,754.00	5 वर्ष से अधिक पुराना
	कुल	1,98,25,794.00	

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि रु. विभिन्न पार्टियों पर 198.25 लाख रुपये का बकाया था, जो 5 साल से अधिक की अवधि से बकाया था। उपरोक्त प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों को रु. से अधिक बताया गया। प्रावधान में कमी के साथ 198.25 लाख, वर्ष के लिए लाभ को समान राशि से अधिक बताया गया।

4. लंबित लेनदार

क्र.सं.	स्थान	रकम
1	प्रधान कार्यालय	40,88,482.05
2	क्षेत्रीय कार्यालय असम ,	1,88,47,,144.00
3	क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला ,	1,14,15,097.00
4	कोलकाटा इकाई	4,46,47,377.64
5	क्षेत्रीय कार्यालय, चिक्किम	9,03,,350.00
	कूल	8,01,88,505.63

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 801.95 लाख रुपये की राशि विभिन्न पार्टियों से देय थी जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

5. अचल संपत्ति

क. कंपनी मामलों के मंत्रालय की दिनांक 11.10.2018 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III को "स्थायी संपत्तियों" को "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों से बदलने के लिए संशोधित किया गया है। 31.03.2023 की बैलेंस शीट में "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है।

ख. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास की गणना गलत तरीके से गलत ब्लॉक के रूप में की गई है, कुछ परिसंपत्तियों के लिए कम मूल्यहास की बुकिंग और परिसंपत्तियों के अधिक मूल्यांकन के कारण रुपये पर विचार किया गया है। 1,24,837.17 जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिक लाभ हुआ।

परिसंपत्ति	मूल्यहास पुस्तकों में लगाया गया	वास्तविक मूल्यहास शुल्क लिया जाना चाहिए	मूल्यहास में अंतर
भवन	5,80,774.00	5,80,808.54	34.54
कार्यालय उपकरण	29,642.00	2,10,986.65	1,81,344.65
कंप्यूटर	85,401.00	1,16,170.85	30,769.85
इलेक्ट्रिकल्स	71,289.00	-	71,289.00
फर्निचर	67,176.00	63,147.62	-4,028.38

विद्युत उपकरण	14,830.00	-	-14,830.00
प्लांट एवं मशीनरी	5,258.00	8,084.97	2,826.97
वाहन	63,702.00	63,710.54	8.54
कुल	9,18,072.00	10,42,909.17	1,24,837.17

ग. 6,725.00 जिसके परिणामस्वरूप लाभ का उसी राशि से कम मूल्यांकन हुआ।

घ. नेरामेक के पास 2011 से टाटा मांजा वाहन है। इसकी खरीद लागत रु. 6,00,957/- 31-03-2023 को बचाव मूल्य रु. 30,048/- है। वाहन की परिचालन लागत किफायती से परे है क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वाहन के रखरखाव की लागत रु. 8,42,913/- और पार्ट्स भी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि टाटा मांजा 2015 में बंद हो गया था।

6. अनुदान संबंधी

क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जागरूकता कार्यक्रम के लिए एनईएस द्वारा 16,00,000.00 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था लेकिन कुल व्यय राशि रुपये है 17,7,547.00 शेष राशि रु. 1,75,547.00 (17,75,547-16,00,000) अभी भी (ड्र. शेष) पड़ा हुआ है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है।

7. पूर्व अवधि सामग्रियाँ

पूर्व अवधि की वस्तुओं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए एएस-5 शुद्ध लाभ या हानि के पैरा 15 के अनुसार- "पूर्व अवधि की वस्तुओं की प्रकृति और राशि को लाभ और हानि के विवरण में इस तरह से अलग से खुलासा किया जाना चाहिए कि उनका मौजूदा लाभ या हानि पर असर देखा जा सकता है।"

लाभ एवं हानि खाते को निम्नलिखित मदों से डेबिट/क्रेडिट किया गया है:

विवरण	वर्ष	डेबिट	क्रेडिट
आदानी एयरपोर्ट हॉल्टिंग लि.(किराया)	2021-22	34,195.00	-
भारतीय विमान पत्तन पाधिकरण	2021-22	1,01,377.00	-
शंकर नाथ(स्थापना दिवस व्यय, अगरतला	2021-22	5,560.00	-
बिजली वील(सचिवीय स्टॉल, अगरतला)	2021-22	6,256.00	-
बैंक चार्ज	2021-22	43,344.85	-
बैंक ब्याज	2021-22		18,954.00

डार्नाटेक (क्रेडिटर्स)	2021-22	3,950.00	
अग्रिम (विय शर्मा)	2021-22	12,000.00	
डीजी प्रिंडर्स	2021-22	6,596.00	
क्षे.का.सिक्कीम(सीएल)बैंक चार्ज	2020-21 और 2021-22	1,298.00	
क्षे.का. दिल्ली हाटइकाई(एससी)(स्था.दि.व्यय)	2021-22	1,992.00	
क्षे.का. अ.प्र. (बैंक चार्ज)	2021-22	885.00	
अनुदान सीक्स माईल भवन परियोजना	2019-20,2020-21 और 2021-22	32,17,124.00	
पुनरुद्धार अनुदान	टीआइडीसी किराया 2018 19 तक		2,28,4027.00
पांजाव नेशनल बैंक	2019-20		6,000.00

8. सावधि जमा पर ब्याज

ले.नं खाता.	बैंक	मूल राशि	ब्याज अर्जित	ब्याज का हिसाब लगाया गया	ब्याज के लिए संक्षिप्त लेखांकन	ब्याज का अतिरिक्त लेखांकन एसटीडीआर (परिपक्व)
32355985984	एसबीआई	1,19,465.00	8,240.00	-	8,240.00	-
32423260531	एसबीआई		2,116.00	1,976.00	140.00	-
36339183017	एसबीआई	10,08,000.00	37,039.00	36,370.00	669.00	-
36339174400	एसबीआई	30,00,000.00	1,10,307.00	1,08,313.00	1,994.00	-
36339184124	एसबीआई	7,50,000.00	27,576.00	27,078.00	498.00	-
39921081827	एसबीआई	19,15,428.00	82,263.00	81,113.00	1,150.00	-
39931082140	एसबीआई	6,18,254.00	26,187.00	25,821.00	366.00	-
40824351320	एसबीआई	4,35,00,000.00	18,02,151.00	16,80,236.00	1,21,915.00	-
40824351761	एसबीआई		64,658.00	91,552.00	-	26,894.00
40824444873	एसबीआई		1,63,650.00	1,90,038.00	-	26,388.00
40824444421	एसबीआई	50,00,000.00	2,32,816.00	2,26,463.00	6,353.00	-
40824350825	एसबीआई		1,06,685.00	1,51,061.00	-	44,376.00
41064901868	एसबीआई	75,60,936.00	2,80,498.00	1,76,652.00	1,03,846.00	-
4135785668	एसबीआई	58,89,645.00	1,25,417.00	12,542.00	1,12,875.00	-
कुल		6,93,61,728.00	30,69,603.00	28,09,215.00	3,58,046.00	97,658.00

ब्याज प्रमाण पत्र के अनुसार एफडी पर ब्याज बुक नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ब्याज का हिसाब-किताब में कम हो गया। ₹. 3,58,046.00 साथ ही एसटीडीआर के लिए जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिपक्व हो गया, ब्याज का अतिरिक्त लेखांकन 97,658.00 रुपये से किया गया था।

9. संदेहजनक अकाउंट

- क. संदेहजनक खाता प्रधान कार्यालय असम खाते की वर्तमान देनदारियों में 4,68,920 रुपये बकाया हैं।
- ख. अनाम ऋणदाता की राशि रु. अगरतला आंचलिक कार्यालय की किताबों में 4,50,000 रुपये जमा हैं।

10. पुनरुद्धार पैकेज

भारत सगकार का ऋण रु. 28.23 (31.03.2021 तक) कर पेशेवर से प्राप्त राय के आधार पर "आरक्षित और अधिशेष" के तहत "पूंजी अनुदान - गैर-निधि आधारित समर्थन" शीर्षक के तहत, कंपनी ने 32.33 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित बकाया सरकारी पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज (30.09.2021 तक गणना) सहायता हस्तांतरित की है। इस संबंध में कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त राशि पूंजी अनुदान मानने का अनुरोध पत्र भी सौंपा है। इसके लिए अभी भी मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है।

11. बैंक खाता

बैंक	विवरण	चैक नं.	चैक दिनांक	रकम
एसबीआई वाणिज्यिक शाखा 10566983457	पंजीकरण शुल्क	413748	31.01.2020	5,000.00
	वाक्सा वीकीपार्स औ एग्रो प्रडूसर क.लि.	413819	16.09.2020	3,570.00
एसबीआई निऊ गुवाहाटी शाखा	क्षे.का. असम	805740	19.04.2021	1,440.00
		495167	29....12.2021	27,999.00
			कुल	38,009.00

38,009.00 रु. की राशि के बासी चेक एसबीआई बैंक खातों के बीआरएस में अभी भी जमा हैं। इसे खातों की पुस्तकों से हटाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे अतिरिक्त व्यय बुकिंग होती है।

12. वैधानिक बकाया

- क. यदि कर योग्य सेवा का मूल्य रुपये से अधिक है तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार 2% टीडीएस काटा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के दौरान 2,50,000.00. अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड को भुगतान के मामले में टीडीएस में 648.00 रुपये की कम कटौती हुई है।

क.

वित्तीय वर्ष	बुक किया गया किराया	जीएसटी	कुल किराया	वास्तविक टीडीएस	काटा गया टीडीएस	अल्प कटौती
--------------	------------------------	--------	------------	--------------------	--------------------	------------

2022-23	4,18,147.00	75,266.00	4,93,413.00	41,815.00	41,167.00	648.00
---------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	--------

ख. वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया गया

निर्धारण वर्ष	वित्तीय वर्ष	विवरण	राशि	स्थिति
2020-21	2019-20	प्राप्ती योग्य टीडीएस	4,66,358.00	दायर नहीं किया गया

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नेरामेक के आईटीआर के अनुसार टीडीएस/टीसीएस वापसी धन रु. 9.78 लाख जबकि कंपनी के खातों के अनुसार यही रु. 11.07 लाख. रुपये का अंतर है, 1.04 लाख जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है।

13. व्यय का प्रावधान न होना

क. मार्च 2023 के महीने के लिए अदानी एयरपोर्ट होलिंग लिमिटेड के किराए की 46,610.00 रु. बुकिंग के लिए प्रवेश पारित नहीं किया गया।

ख. वित्त वर्ष 2015-16 तक की अवधि के लिए खातों की पुस्तकों में टीडीएस की संदिग्ध वसूली/रिफंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि परिपत्र संख्या 9/2015 [एफ.नं.312/22/2015-ओटी], दिनांक 9-6-2015। के अनुसार संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल तक दावे के लिए माफी दायर की जा सकती है। इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप संदिग्ध ऋण/प्राप्य के प्रावधान को कम बताया गया है और प्रत्येक वर्ष के लिए लाभ को 38.15 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।

आकलन वर्ष	वित्तीय वर्ष	विवरण	राशि (रुपये)	आईटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख
2014-15	2013-14	2014-15 2013-14 की प्राप्य टीडीएस वित्त वर्ष से पहले 2013-14	13,49,343.00	31.05.2021
2015-16	2014-15	प्राप्य टीडीएस	11,09,455.00	31.05.2021
2016-17	2015-16	प्राप्य टीडीएस	8,41,489.00	31.05.2021
2017-18	2016-17	प्राप्य टीडीएस	5,15,238.00	07.12.2021
कुल			38,15,525.00	

नेरामेक ने आयकर अधिकारियों से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 (2) (बी) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने में देरी को माफ करने का भी अनुरोध किया है।

ग. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 15,000/- के कर गैर लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान किया है। परिणामस्वरूप खर्चों को कम बताया गया और लाभ का अधिक हिसाब लगाया गया।

14. सामान्य अवलोकन

क. वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों व्यापार प्राप्य, छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य की राशि को 'शून्य' के रूप में हिसाब में लिया गया था, जबकि एक अवधि के लिए बकाया राशि को 2022-23 में 800.04 लाख रुपये के रूप में हिसाब में लिया गया था।

हालाँकि, देनदारों की स्थिति की जांच से पता चला कि छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य की राशि 2022-23 में 271.58 लाख जबकि छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि रु. 2022-23 में 528.46 लाख।

ख. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में, विवरण की क्रम संख्या “रुपये की प्रति इक्विटी शेयर आय” दर्शाती है। 1000 प्रत्येक रुपये की असाधारण वस्तुओं को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर आय। 1000 को क्रमशः XIV और XII के रूप में गलत तरीके से क्रमांकित किया गया है।

ग. सचिवालय स्टॉल, अगरतला में 0.35 लाख रुपये की स्टॉक की कमी, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 में कांति लश्कर को झूठी बिक्री और अग्रिम बुक करके कैश बुक के माध्यम से गलत तरीके से समायोजित किया गया था, जो खातों की किताबों से नहीं लिखा गया है, हालांकि इस मामले पर 28वीं एवं 29वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई है।

घ. निर्धारण वर्ष 2010-11 और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए 57,17,915/- रुपये की राशि को पैन के बजाय टैन के तहत गलत तरीके से टीडीएस जमा किया गया। प्रबंधन द्वारा रिफंड के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है लेकिन उचित अनुवर्ती कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

ई. प्राप्य बेमेल टीडीएस में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर के अनुसार टीडीएस/टीसीएस रिफंड रु. 9,64,049.00, जबकि कंपनी के खातों के अनुसार यह रु. 8,28,140.00. रुपये का अंतर 1,35,909.00 को निम्नलिखित प्रविष्टियों के कारण है जिन्हें खातों की पुस्तकों में नहीं लिया गया है।

क्र. सं.	कटौतीकर्ता	26 के अनुसार टीडीएस	कंपनी की पुस्तकों के अनुसार टीडीएस
	जिला उद्यान कार्यालय बेतिया	82,851.00	-
	जिला उद्यान कार्यालय	26,258.00	-
	नेरामेक	26,800.00	-
	कुल	1,35,909.00	

एमकम्पनी और बोरार.
शासपत्रीत लेखाकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड .
लेखाकार रिपोर्ट “संलग्नक ख”

दिनांक 31-03- 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट के पैरा VI में उल्लिखित अनुलग्नक।

(1) (क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का अचल संपत्ति रजिस्टर अद्यतन किया गया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का अचल संपत्ति रजिस्टर आम तौर पर संपत्ति का विवरण दिखाने वाला रिकॉर्ड होता है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अचल संपत्तियों को उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है और ऐसे सत्यापनों पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं, खातों की किताबों में उचित तरीके से निपटाया जाता है।

ग) भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और लेखा पुस्तकों के अनुसार संपत्ति की संख्या और प्रकार में बेमेल है। चूंकि भौतिक सत्यापन के अनुसार कुछ पुरानी परिसंपत्तियों की लागत उपलब्ध नहीं है, इसलिए रुपये के संदर्भ में बेमेल को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ग) भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी देखा गया कि, कुछ संपत्तियां या तो क्षतिग्रस्त हैं या काम करने की स्थिति में नहीं हैं। इन परिसंपत्तियों को बही-खातों से हटा देने की जरूरत है।

(घ) अचल संपत्ति रजिस्टर संपत्ति की विस्तृत जानकारी जैसे कि विशिष्ट आईडी, स्थान, खरीदी गई इकाइयों की संख्या, संपत्ति की लागत, वसूली योग्य लागत आदि का खुलासा नहीं करता है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के शीर्षक विलेख कंपनी का नाम में रखे गए हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(i)(d) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(i)(e) का प्रावधान लागू नहीं है।

(2)(क) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसकी सटीकता प्रमाणित नहीं की जा सकती क्योंकि किताबों में रखे गए भौतिक स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच बेमेल है।

(ख) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त नहीं है, किसी स्वतंत्र इकाई से स्टॉक ऑडिट की सिफारिश कैसे की जाती है।

(ग) प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन में देखी गई विसंगतियों को खाते की किताबों में ठीक से नहीं निपटाया गया था।

3.(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 185 के तहत कोई ऋण, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है, तदनुसार आदेश के खंड 3 (iii) (सी) का प्रावधान लागू नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नब्बे दिनों से अधिक के लिए कोई अतिदेय राशि नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (डी) का प्रावधान लागू नहीं है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान देय प्रकृति के ऋण और अग्रिम नहीं दिए हैं, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ई) का प्रावधान लागू नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(iii)(एफ) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(4) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 या किसी भी प्रावधान के अनुसार जमा माना जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम। तदनुसार, आदेश की कंडिका 3(v) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(6) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं

(7) (क) वैधानिक बकाया के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

कंपनी उसमें बताए गए बकाए को छोड़कर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। उपर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, जैसा कि उस पर लागू हो, उपयुक्त प्राधिकारियों के पास।

विवरण	राशि
टीडीएस	53,805.00
प्रोफेशनल टेक्स	67,741.56
असम वेट	ना
आयकर	विवादित राशि जिसके खिलाफ विरोध राशि का भुगतान किया जाता है।

(8) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है और आयकर अधिनियम (43 का 1961) 1961 के तहत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है। तदनुसार, तीसरे आदेश के खंड 3viii के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(9)(क) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने नेडफी / डोनर मंत्रालय से कार्यशील पूंजी ऋण लिया है। लंबित मूल राशि रु. 28.23 करोड़ रुपये की इक्विटी और ब्याज/दंडात्मक ब्याज में परिवर्तित किया गया है। 32.22 करोड़ रिजर्व और सरप्लस के माध्यम से बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं, हालांकि डोनर मंत्रालय से अनुमोदन अभी भी लंबित है। साथ ही डोनर मंत्रालय से ब्याज और

दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण 1.77 करोड़ रुपये का ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ नहीं किया गया है। कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किया है।

विवरण	अवधि (प्रभावी)	राशि
ब्याज	01 / 04 / 2016	27,25,08,521.00
कार्यशील पूंजी पर दंडात्मक ब्याज	01 / 04 / 2016	6,73,98,276.00

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा घोषित विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। तदनुसार आदेश की धारा 3(ix)(बी) है। होता नहीं लागू प्रावधान का)

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड

3(ix)(एफ) का प्रावधान लागू नहीं है।

(10)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) पर पैसा नहीं लगाया। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) का प्रावधान लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खंड 3(x) (वी) के प्रावधान के अनुसार, शेयर का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार आदेश लागू नहीं होता है।

(11)(क) प्रबंधन द्वारा दी गई ऑडिट प्रक्रियाओं की जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, हमारे ऑडिट में शामिल अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है, तदनुसार, खंड 3 (xi) (ए) का प्रावधान आदेश लागू नहीं है।

धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति	धोखाधड़ी की प्रकृति	शामिल राशि
राहुल भट्टाचार्य (प्रभारी अगरतला आंचलिक कार्यालय)	बैंक धोखाधड़ी (एसबीआई, अरुंधति नगर शाखा और यूबीआई,	एसबीआई - रु. 14,32,193.00 यूबीआई - रु. 7,57,775.00
	बटाला शाखा के बैंक विवरण में हेरफेर	कुल – रु. 21,89,968.00

(ख) किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, एक करोड़ से कम राशि से जुड़ी धोखाधड़ी के रूप में, मामला कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित ऑडिट समिति/कंपनी के बोर्ड को सूचित किया गया था, प्रावधान आदेश की धारा 3(xi)(बी) लागू है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत नहीं मिली है, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(12) क्योंकि यह कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, इसलिए निधि नियम 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के भाग 3 (xii) का उपबंध कंपनी पर लागू नहीं है।

(13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है।

(14)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

- (ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (15) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार खंड 3(xvi)(ए),(बी),(सी) और (डी) के प्रावधान आदेश लागू नहीं है।
- (17) चालू वित्तीय वर्ष में नकदी हानि नहीं हुई है।
- (18) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान ब्रह्मानिक ब्रह्मा परीक्षकों द्वारा इस्तीफे का कोई मामला नहीं आया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (19) सामग्री अनिश्चितता ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के रूप में मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं
- (20) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (21) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनी (कंपनियों) की सीएआरओ रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल खुलासा नहीं है।

एम बोरार .औ कंपनी
शासपत्रीत लेखाकार
एफआरएन314255 -इ

दिनांक-06.12,2023
स्थान पार्टनर

(सीए मनीश बागारीया)
गुवाहाटी -
सदस्य नं303339 .

इउ डी आई एन नं. 23303339बीजीवीएलएलआई5229

एम और बोरार.कम्पनी शासपत्रीत लेखाकार सतंत्र लेखाकार रिपोर्ट “संलग्नक ग”

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 (एफ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट, 2013(“अधिनियम”)

हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन लिमिटेड)“कंपनी”) के 31 मार्च, 2023 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा कंपनी के इसी तारीख को समाप्त वर्ष के विशिष्ट वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ है। की साथ-

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान)“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके अपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड संबंधी आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी के कारोबार का व्यवस्थित और कार्यक्षम संचालन तथा कंपनी की नीतियों के अनुसरण, इसकी परिसंपत्तियों के रक्षोपाय, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की यथार्थता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में लागू किया जा रहा था।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत अंतरिक्ष वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू परिमाण तक विहित किया जाना समझी गई, वित्तीय रिपोर्टिंग)“मार्गदर्शी टिप्पणी”) और लेखा परीक्षा करने से संबंधित मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार की है जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती हैं तथा दोनों को ही आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों के लिए यह अपेक्षित है कि हम इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए थे और क्या उक्त नियंत्रण हर महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रभावी रूप से लागू किए गए थे, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और कार्य निष्पादन करें।

किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण शिथिलता विद्यमान होती है और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच करना और उसका मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें विशिष्ट वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों की मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना भी है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी इसजोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा नीतियों या कार्य विधियों के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

प्रतिकूल राय

हमारी राय में और जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें दिया गया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप है, शाखा स्तर को छोड़कर और इन्वेंट्री की खरीद, अचल संपत्तियों और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार के संबंध में इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'डी'

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित) अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर रिपोर्ट।

वर्ष 2022-23 के लिए धारा 143(5) के तहत दिशा-निर्देश/उप-दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ, कंपनी के पास आईटी प्रणाली अर्थात् टैली ईआरपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। की गई ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेनदेन संसाधित/किया नहीं गया है। तदनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता	ऋण/ऋण जहां कंपनी उधारकर्ता है: डोनत मंत्रालय ने एक पुनरुद्धार पैकेज दिया है जिसमें 28.23 करोड़ के भारत सरकार के ऋण को इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने और 32.22 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज को माफ करने के लिए कहा गया है।	कंपनी ने रुपये की गैर-निधि आधारित सहायता हस्तांतरित की है। बकाया सरकारी पर 32.33 करोड़ ब्याज और दंडात्मक ब्याज (30.09.2021 तक गणना)। भारत का ऋण रु. 28.23 (31.03.2021

<p>एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)</p>	<p>ऋण/ऋण जहां कंपनी ऋणदाता है: किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा उधार दी गई राशि के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण/ऋण/ब्याज आदि के पुनर्गठन या छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। अन्य पार्टियों को.</p>	<p>तक) कर पेशेवर से प्राप्त राय के आधार पर "आरक्षित और अधिशेष" के तहत "पूंजी अनुदान - गैर-निधि आधारित समर्थन" शीर्षक के तहत। इस संबंध में कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त राशि को पूंजी अनुदान मानने का अनुरोध पत्र भी सौंपा है. इसके लिए अभी भी मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। साथ ही रु. डोनर मंत्रालय से ब्याज और दंडात्मक ब्याज की गलत गणना और संचार के कारण 1.77 करोड़ ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।</p>
<p>1. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p>	<p>किए गए ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धन (अनुदान / सब्सिडी) का उसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब / उपयोग किया गया था।</p>	<p>शून्य</p>

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 तक की बैलेंस शीट

विवरण	टिप्पणी सं०	31.03.2023 तक (000 रु.में)	31.03.2022 तक (000 रु.में)
I. इक्विटी और देयताएं			
1. शेयर धारक की निधि			
(क) शेयर मूलधन	1	358,500	358,500
(ख) आरक्षित और अधिशेष	2	-217,115	-578,257
		<u>141,385-219,757</u>	
2. निवर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घ कालीन ऋण	3	-	20,000
(ख) दीर्घ कालीन व्यवस्था	4	1,212	17,872
		<u>1,21237,872</u>	
3. वर्तमान देयताएं			
(क) अल्प कालीन ऋण -		-	
(ख) व्यापार देय राशि	5	358,679	148,541
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	6	252,581	634,396
कुल -		<u>753,857</u>	<u>601,051</u>
II. परिसंपत्तियां			
1. निवर्तमान संपत्तियाँ			
(क) नियत परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	7	15,672	15,934
(ii) प्रगतिधीन कार्य	7ए	142,989	84,804
(ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम		-	-
(ग) विविध व्यय		-	-
		<u>158,660</u>	<u>100,738</u>
2. वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) माल सूची	8	4,864	3,789
(ख) व्यापार प्राप्तियां	9	79,949	125,743
(ग) नकद और बैंक में जमा राशि	10	426,712	284,899
(घ) अल्प कालीन ऋण और अग्रिम	11	75,949	79,598

(इ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	12	7,723	6,283
		<u>595,197</u>	<u>5,00,313</u>
कुल		<u>753,857</u>	<u>4,71,673</u>

1 से 22तक की सहवर्ती टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/ कमोडर राजीव अशोक(अव.) प्रबंध निदेशक डीआईएन:09598427	हस्ता/ श्री एम आई माईटी निदेशक डीआईएन:0820500	हस्ता/ श्री संजीव कुमार राय कंपनी सचिव एम सं0,AS52998	शासपत्रीत लेखाकार
---	--	--	-------------------

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
31.03.2023की वित्तीय विवरण

टिप्पणी 1 शेयर पूंजी विवरण	31.03.2023तक (रु.000 में)	31.03.2022 तक (रु.000 में)
<u>प्राधिकृत</u>		
प्रत्येक 1000रुपए के 600000 इक्विटी शेयर	6,00,000	600,000
<u>जारी,अभिदत्त तथा प्रदत्त</u>		
प्रत्येक 1000 रुपए के 358500 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष)	358,500	358,500
कुल	358,500	358,500

कंपनी के 1000 के एक समान मूल्य के इक्विटी शेयर के रूप में उल्लिखित एक ही श्रेणी के शेयर हैं।

टिप्पणी 1 क

31मार्च, 2023की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी की राशि का समाधान नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2023 तक इक्विटी शेयर संख्या (रु. 000 में)	31.03.2022तक इक्विटी शेयर संख्या (रु. 000 में)
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	358,500	76,200
जोड़े: – वर्ष के दौरान जारी	-	282,300
वर्ष के अंत तक बकाया शेयर	358,500	358,500

टिप्पणी 1 ख

शेयर धारकों की मार्च 31,2023और तक कुल प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक धारिता निम्नानुसार है:

क्र.सं. शेयरधारक के नाम

31.03.2023तक	धारित शेयरों की संख्या%	धारिता
1 भारत के राष्ट्रपति	358,480	99.99
2 सचिव, एन ई सी	10	0.0027
3 उप सचिव, एन ई सी	10	0.0027

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

31- 03- 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 2 आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रू.000 में)
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष/(घाटा)		
आदि शेष	-676,200	-629,886
(+) निवल लाभ/(निवल हानि	42,794	<u>-46,314</u>
इति शेष	-633,406	-676,200
भवन ग्रांट	94,393	33,641
पूंजी आरक्षित- कर्मचारियों के लाभ के लिए (वीआरएस)	-	-
मूल्य हास रिजर्व	-358	-358
सब्सिडी रिजर्व-बिक्री सब्सिडी		3,852
सहायता अनुदान- एन एम एफ पी के तहत सेमिनार	56	56
सामान्य आरक्षित	322,200	
कुल -	<u>-217,1155</u>	<u>-578,257</u>

टिप्पणी 3 दीर्घकालीन ऋण

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रू.000 में)
गैर प्रत्याभूत		
डोनर मंत्रालय(अपरिपक्व)		<u>20,000</u>
कुल -		<u>20,000</u>

टिप्पणी 4 दीर्घकालीन व्यवस्था

दीर्घकालीन व्यवस्था	विवरण 31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रू.000 में)
उपदान की व्यवस्था	646	11,593
छुट्टी रियायत की व्यवस्था	<u>566</u>	<u>6,279</u>
कुल	1,212	<u>17,872</u>

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम।

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07693956

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31- 03- 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 5 व्यापार देय

	31.03.2023 तक (रु. 000 में)	31.03.2022 तक (रु. 000 में)
विवरण		
(i) एमएसएमइ		
(ii) विवादित कारण –एमएसएमइ	-	-
(iii) विवादित कारण –अन्यान्य	44,647	44,647
(iv) अन्यान्य	314,031	103,894
कुल	358,679	148,541

टिप्पणी 6 अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31.03.2023 तक (रु.000 में)	31.03.2022 तक (रु.000 में)
विवरण		
अर्जित ब्याज और उधार पर देय	17,707	17,707
उपदान की देय	18,79	3,069
नकदीकरण प्रावधान	17,70	1,541
डब्ल्यूसी ऋण और ब्याज/दंडात्मक ब्याज		
का पुनर्मूल्यांकन	-	322,200
कुल	252,581	322,200

* सांविधिक देय राशि, प्रतिभूति जमा राशि और ग्राहकों से अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी 7 नियत परिसंपत्तियां

	31.03.2023 तक (रु. 000 में)	31.03.2022 तक (रु. 000 में)
विवरण		
आदि शेष	15,934	16,663
जोड़ें – परिवर्धन	715	160
घटाएं – अवमूल्यन रिजर्व में अंतरिक्त	60	-
घटाएं– अवमूल्यन	918	890
	15,672	15,934

टिप्पणी 8 माल सूची

	31.03.2023 तक (रु.000 में)	31.03.2022 तक (रु.000 में)
विवरण		
कच्ची सामग्रियां	-	-
तैयार माल	4,413	3,338
और अधिशेष भंडार	182	182
अन्य*	269	269
कुल	4,864	3,789

*अन्य के अंतर्गत पैकिंग सामग्रियां और ईंधन सामग्रियां शामिल हैं जिन्हें लागत पर लाया जाता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड

31- 03- 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 5 व्यापार देय

	31.03.2023 तक (रु. 000 में)	31.03.2022 तक (रु .000 में)
विवरण		
(i) एमएसएमइ		
(ii) विवादित कारण –एमएसएमइ	-	-
(iii) विवादित कारण –अन्यान्य	44,647	44,647
(iv) अन्यान्य	314,031	103,894
कुल	358,679	148,541

	31.03.2023 तक (रु.000 में)	31.03.2022 तक (रु .000 में)
--	-------------------------------	--------------------------------

**टिप्पणी 6 अन्य चालू परिसंपत्तियां
विवरण**

अर्जित ब्याज और उधार पर देय	17,707	17,707
अन्य देय*	234,838	289,880
उपदान की देय	18,79	3,069
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	17,70	1,541
डब्ल्यूसी ऋण और ब्याज/दंडात्मक ब्याज का पुनर्मूल्यांकन	-	322,200
कुल	252,581	634,396

* सांविधिक देय राशि, प्रतिभूति जमा राशि और ग्राहकों से अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी 7 नियत परिसंपत्तियां

	31.03.2023 तक (रु. 000 में)	31.03.2022 तक (रु .000 में)
विवरण		
आदि शेष	15,934	16,663
जोड़ें – परिवर्धन	715	160
घटाएं – अवमूल्यन रिजर्व में अंतरिक्त	60	-
घटाएं– अवमूल्यन	918	890
	15,672	15,934

टिप्पणी 8माल सूची

विवरण	31.03.2023तक (रु.000 में)	31.03.2022तक (रु.000 में)
कच्ची सामग्रियां	-	-
तैयार माल	4,413	3,338
भंडार और अधिशेष	182	182
अन्य*	<u>269</u>	<u>269</u>
कूल	<u>4,864</u>	<u>3,789</u>

*अन्य के अंतर्गत पैकिंग सामग्रियां और ईंधन सामग्रियां शामिल है जिन्हें लागत पर लाया जाता है।

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07693956

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड
31- 03- 2023को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 9 व्यापार प्राप्ति योग्य राशियां

	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022 तक (रू. 000 में)
विवरण		
भुगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से कम समय से बकाया व्यापार प्राप्ति योग्य राशियां	2,340	41,202
भुगतान के लिए देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्ति योग्य राशियां	7,609	84,541
कुल	79,947	125,743

टिप्पणी 10 नकदी और बैंक में जमा राशि

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022 तक (रू. 000 में)
क. बैंक में शेष	327,816	95,441
ख. उपलब्ध नकदी	941,288	
ग. मार्गस्थ प्रेषण		
घ. बैंकों में सावधिक जमा	93,663	183,264
ङ. पी एन बी, जू रोड बी आर एच के तहत सावधिक जमा	5,139	4,907
कुल	426,712	284,899

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07693956

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

टिप्पणी 11- अल्पकालिक-मियादी ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2023तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
ख. अन्य		
जमा	2,701	3,249
ऋण और अग्रिम	36,888	32,485
अन्य	36,360	43,86
कुल	<u>75,949</u>	<u>79,598</u>

टिप्पणी 12अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
वापसी योग्य कर	7,648	6,214
अप्रत्यक्ष प्राप्य कर	7569	
कुल	<u>7,723</u>	<u>6,283</u>

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07693956

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

**उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड,
31.03.2022समाप्त वर्ष का लाभ हानि विवरण**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष (रु.000 में)	31.03.2022 समाप्त समाप्त वित्त वर्ष (रु. 000 में)
I. प्रचालनों से राजस्व	13	9,66,627	2,61,420
II. अन्य आय	14	1,35,426	5,497
III. कुल राजस्व (1+2)		11,02,053	2,66,917
IV. व्यय:			
उपयोग में लाई गई सामग्री की लागत			
व्यापार स्टॉक की खरीद		9,28,318	2,48,046
व्यापार स्टॉक सामग्री में परिवर्तन	15	-1,075	-414
कर्मचारी लाभ व्यय	16	20,773	27,482
फाइनेंस लागतें	17	1,577	22,563
अवमूल्यन	7	918	890
अन्य व्यय	18	1,32,618	14,281
कुल व्यय		10,83,129	3,12,851
V. आपवादिक मद और कर से पहले लाभ (III-IV)		18,924	-45,934
VI. आपवादिक मद	19	24,995	-
VII. कर से पहले लाभ (V+VI)		43,919	45,934
VIII. विशेष सामग्री	20	1,125	380
IX. कर से पहले लाभ (VI+VII)		46,314	-65,400
X. कर व्यय			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
XI. वर्ष के दौरान लाभ (IX-X)		42,794	-46,314
XII. प्रचालन रहित में से लाभ		-	-
XIII. प्रचालन रहित में से कर व्यय		-	-
XIV. वर्ष में प्रचालन रहित में से कर के बाद लाभ (XII-XIII)		42,794	- 46,314
XV. वर्ष में लाभ		42,794	- 46,314

XVI. प्रति इक्विटी शेयर लाभ(1,000 पर)

1. बेसिक	0.12	-0.61
2.तनुकृत		

XVII. प्रति इक्विटी शेयर आय (विशेष सामग्री के बाद (1,000 पर)

1. बेसिक	0.12	- 0.60
2.तनुकृत	-0.12	- 0.60

1 से 20तक की सहवर्ती टिप्पणियां वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।
कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/ कमोडर राजीव अशोक(अव.) प्रबंध निदेशक डीआईएन:09598427	हस्ता/ श्री एम आई माईटी निदेशक डीआईएन:0820500	हस्ता/ श्री संजीव कुमार राय कंपनी सचिव एम सं0,A52998	एम. बोरार एवं क. शासपत्रीत लेकाकार एफ आर एन 314255E
---	--	---	---

(सी ए. मनीस बगारिया)
सहयोगी
सदस्यता नं. 303339

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड
31- 03- 20223को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 13
प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31.03.2023 अंत तक (रू. 000 में)	31.03.2022 अंत तक (रू .000 में)
बिक्रियाँ	965,952	259,442
अंतर-शाखा विक्री	990	
अन्य प्रचालन राजस्व	675	988
सेवाओं की बिक्री	-	-
कुल	<u>966,627</u>	<u>261,420</u>

टिप्पणी 14 अन्य आय
विवरण
तक

	31.03.2023 अंत तक (रू. 000 में)	31.03.2022 अंत तक (रू .000 में)
मताधिकारी फीस	-	-
ब्याज	4,620	3,379
वाहनों के किराए से आय	-	-
विविध प्राप्ति	142	117
उपदान	-	-
इवेंट और प्रदर्शनी परियोजना	130,664	2,001
कुल	<u>135,426</u>	<u>5,497</u>

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/
 कमोडर राजीव अशोक(अव.)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन:07693956

हस्ता/
 श्री एम आई माईटी
 निदेशक
 डीआईएन:0820500

हस्ता/
 श्री संजीव कुमार राय
 कंपनी सचिव
 एम सं0,AS52998

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम लिमिटेड
31- 03.2023को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 15 व्यापार स्टॉक में सामग्री सूचियों में परिवर्तन

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
इति स्टॉक	4,413	3,338
आदि स्टॉक	3,338	2,890
कुल	-1,075	-448

टिप्पणी 16 कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	31.03.2023तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
विवरण		
मजदूरी और वेतन (बोनस सहित)	19,043	23,297
स्टॉफ कल्याण	615	2,346
भविष्य निधि के लिए अंशदान प्रभार सहित	1,115	1,875
कुल	20,773	27,518

टिप्पणी 17 वित्तीय लागत

विवरण	31.03.2023 तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
कार्य पूंजी ऋण पर ब्याज	1,400	16,137
कार्यशील पूंजी ऋण पर दंड ब्याज	177	6,426
कुल	1,577	22,563

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/ कमोडर राजीव अशोक(अव.) प्रबंध निदेशक डीआईएन:07693956	हस्ता/ श्री एम आई माईटी निदेशक डीआईएन:0820500	हस्ता/ श्री संजीव कुमार राय कंपनी सचिव एम सं0,AS52998
---	--	--

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
31.03.2023को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग की टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी 18 अन्य व्यय
विवरण

	31.03.2023तक (रु. 000 में)	31.03.2022तक (रु .000 में)
विज्ञापन व्यय	49	188
प्रशासनिक व्यय	47	76
लेखा व्यय	-	40
आंतरिक लेखा व्यय	35	-
लेखा परीक्षको के पारिश्रमिक	161	-
बैंक प्रभार	43	33
बोर्ड बैठक का व्यय	-	2
पुस्तकें और पत्रिकाएं	11	7
परामर्श प्रभार	24	4
विद्युत व्यय	570	749
प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	458	-
इवेन्ट एवं प्रदर्शनी	121,766	1,811
भाड़ा और परिवहन	162	172
इंधन लागत (कोल, एलपीजी, डीजल)	196	312
जी एस टी फीज	236	7
बीमा	29	36
साक्षात्कार व्यय	26	10
मजदूरी व्यय	118	64
विधिक खर्च	110	399
बैठक एवं सम्मेलन	28	8
विविध व्यय	55	40
कार्यालय व्यय	154	139
पेकिंग सामग्री	493	10
डाक एवं कोरियर	58	24
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	336	255
प्रसंस्करण व्यय	-	128
प्रोफेशनल व्यय	157	290
दर एवं कर	111	-
नवीकरण फीस	3	16
किराया	3,338	2,114
मरम्मत और रखरखाव	159	149
आर ओ सी व्यय	68	4,237

कमीशन व्यय	-	-
स्टॉल व्यय	491	103
यात्रा व्यय	1,330	839
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	66	53
यात्रा और भत्ता	20	91
वाहन का रखरखाव	117	470
अन्य व्यय	1,393	1,405
वाहन किराया प्रभार	197	-
कुल	<u>132,618</u>	<u>14,281</u>

कृते उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विवणन निगम।

हस्ता/
कमोडर राजीव अशोक(अव.)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07693956

हस्ता/
श्री एम आई माईटी
निदेशक
डीआईएन:0820500

हस्ता/
श्री संजीव कुमार राय
कंपनी सचिव
एम सं0,AS52998

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 तक की बैलेंस शीट(जारी)

विवरण	31.03.2023तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रू .000 में)
-------	-------------------------------	-------------------------------

टिप्पणी 19 वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक का किया गया भुगतान

(क) उपदान	13,683	-
(ख) छुट्टी रियायत	7,235	-
(ग) वेट देय	225	-
(घ) आरक्षित एवं अधिशेष	3,852	-
कुल	<u>24,995</u>	-

टिप्पणी 20 असाधारण सामग्री	31.03.2023तक (रू. 000 में)	31.03.2022तक (रू .000 में)
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

(क) पूर्व अवधि समायोजन	1,125	380
------------------------	-------	-----

टिप्पणी 21 असाधारण सामग्री

क) पिछले वर्षों की वैधानिक लेखापरीक्षा फीस	43.2
ख) वैधानिक लेखापरीक्षा फीस चालू वर्ष	94.4
ग) चालू वर्ष कर लेखापरीक्षा शुल्क	23.6

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
2022-23 2021-22

विवरण	(रू .000 में)	(रू .000 में)	(रू .000 में)	(रू .000 में)
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह वर्ष के दौरान निवल लाभ जोड़े:	42,794		-46,314	
अवमूल्यन	918		890	
ग्रेच्युटी का प्रावधान	-10,947		1,220	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	-712		380	
खड़ाब स्टॉक व्यवस्था	-		-7	
अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ	60		-	
ब्याज भूगतान	1,577		22,563	
प्राप्त ब्याज	-4,620		3,379	
बड़े परिवर्तन करने से पहले प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	-24,070		-30,648	
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	-1,075		-449	
देनदारों में कमी/(कमी)/(वृद्धि)	45,794		-11,183	
अग्रिमों में (कमी)/(वृद्धि)	3,649		13,156	
अग्रिमों में (कमी)/(वृद्धि)	-1,439		-654	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में(कमी)/(वृद्धि)	210,138		-13,720	
व्यापार उधार दाताओं में(कमी)/(वृद्धि)	318,348		60,752	
आरक्षित एवं अधिशेष(कमी)/(वृद्धि)	-381,815		-2,932	
वर्तमान देयताओं में (कमी)/(वृद्धि)				
प्रचालन गतिविधियों से निवल	217,669		20,324	

नकदी प्रवाह क))				
निवेशक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		217,669		20,324
नियत परिसंपत्तियों की खरीद				
चल रहे पूजी गत कार्यों में वृद्धि				
प्राप्त ब्याज	-715		160	
पूजी कार्यवृद्धि में प्रगति-	4,620		-	
	-58,184		3,379	
			-60,752	
निवेशक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)				
फाइनेंस गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
दीर्घकालीन ऋण उधार लेना		-		
ब्याज की भूगतान		54,280		-57,534
फाइनेंस गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)				
	-20,000		-152,300	
	-		282,300	
	-1,577		-22,563	
		-21,577		107,437
वर्ष के दौरान कुल अंतर्वाह				
जोड़ेंनकद में शुरुआत की अवधि :				
अवधि के अंत में नकद		141,813		70,227
		284,899		214,672
		426,712		284,899

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी
31-03- 2023 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां

टिप्पणी: 19

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

- वित्तीय विवरण को कंपनी द्वारा संगत रूप से ग्रहण किए गए अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत (लेखा मानक) नियम 2006 (कंपनी लेखा मानक) कंपनी एक्ट 2013, नियम 2016 एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में तैयार किया गया है।
- कंपनी ने प्रतिस्थित आय एवं व्यय बढोत्तरी के आधाप पर व्यापारिक प्रणाली की अनुसरण करते हैं।
- जब कि लेखांकन नीतियाँ विशेष रूप से सुसंगत है और आम तौर पर लेखा नितियों के साथ स्वीकृत है।

ख) आकलन का प्रयोग:

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे प्राक्कलन करने और अनुमान लगाने अपेक्षित होते हैं जिनका वित्तीय विवरण की तारीख की परिसंपत्तियों के सूचित शेष और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की सूचित राशियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेक और युक्ति संगत है। वास्तविक परिणाम और आकलनों के मध्य अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात होता है/परिणाम को मूर्त रूप दिया जाता है।

ग) नियत परिसंपत्तियाः(सम्पत्ति,परयोजना और सामग्री)

1. सम्पत्ति,संयंत्र और सामग्री उपकरण को संचित हानियाँ यदि कोई हो, शुद्ध अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त रूप में एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रभावित होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।
2. सेवानिवृत्ति या संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर होनेवाले लाभ और हानि को लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
3. संपत्ति,संयंत्र और उपकरण (यदि कोई हो) जो तुलन पत्र की तिथि को इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें “प्रगति में पूंजीगत कार्य” के रूप में प्रकट किया जाता है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास प्रो-राटा आधार पर प्रदान किया जाता है।हालांकि रुपए की लागत वाली संपत्ति खड़ीद के वर्ष में 5.000 या उससे कम का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।
5. फ्री होल्ड जमीन मूल्यहीन नहीं है।

6. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संपन्न और उपकरणों के मूल्यहास विधि की समीक्षा की जाती है और यदि उफयुक्त हो तो संभावित रूप समायोजित किया जाता है।
7. बैलेंस शीट के आंकड़ों में तीन लीजहोल्ड भूमि विवरण शामिल नहीं हैं जैसा कि नीचे बताया गया है क्योंकि स्वामित्व और शीर्षक विलेख नेरामेक के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है।

क) असम सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2009 को 2,30,400 वर्ग फुट पट्टे की भूमि सिलचर में की आवंटित की। उसी के आवंटन को असम सरकार, o/o महाप्रबंधक, जिला, उद्योग और वाणिज्य केंद्र, कछार द्वारा अपने पत्र (12/2/2018) द्वारा रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2020 को जीएमडीआई और सीसी द्वारा भूखंड का अधिग्रहण किया गया था।

ख) 30.03.2001 को मेघालय सरकार द्वारा आवंटित 4000 वर्ग मीटर भूमि बर्णीहाट में पट्टे पर आवंटित किया है।

ग) 05.09.1986 को त्रिपुरा सरकार द्वारा 3.64 हेक्टेयर नालकाटा में पट्टे पर भूमि आवंटित किया है।

घ) मूल्यहास :

अवमूल्यन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -II के भाग ग में यथा उल्लिखित उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर दिया गया है।

(ङ) परिसंपत्तियों की विरूपण:

किसी परिसंपत्ति को विकृति के रूप में उस समय समझा जाता है जब परिसंपत्तियों की वह क्षमता इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक होती है। विकृति हानि को उस वर्ष में लाभ- हानि लेखा में प्रभावित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की विकृत पर संपत्ति के रूप में पहचान की जाती है।

च) माल (इन्वेंटरी):

इन्वेंटरी का मूल्यांकन उनकी लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर जो भी निवेशों का मूल्यांकन लागत कम (फीफो पर) भारित औसत, जैसा भी मामला हो, और अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रदान करने के बाद शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जहां आवश्यक समझा जाता है। लागत पर माल को बिक्री के स्थान पर लाने के सभी शुल्क शामिल हैं। उपभोज्य भंडारके के स्टॉक का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

छ) राजस्व मान्यता:

माल की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व को रिटर्न और व्यापार छूट के शुद्ध रूप में मान्यता दी जाती, जब माल/सेवाओं के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक खरीदार को

हस्तांतरित किए जाते हैं, जो आम तौर पर रीजस्व ग्राहकों को माल की माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

अन्य आय जैसे ब्याज आय को सास्तविक/समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जबकी लाभांश (यदि कोई हो) को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया हो।

ज) कर्मचारी लाभ:

गैर छूट आधार पर प्रत्याशित दायित्व पर आधारित कर्मचारी के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष में संबंधित अवधि के लाभ एवं हानि के विवरण में खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

रोजगार के बाद लाभ:

परिभाषित अनुदान योजना:

पञ्च नियोजन और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा की है। निगम के कर्मचारी उपर्युक्त स्कीमों में कर्मचारी के कुल वेतन के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक नियत अंशदान करते हैं।

परिभाषित लाभ योजना:

उपदान/ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण: छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था लेखांकन मानक (ए एस) 15-कर्मचारियों के लाभ के शर्तानुसार किसी लिपिक द्वारा, वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

झ) कर्मचारी पृथक्करण लागत:

उन कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति को जिन्होंने कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प दिया है, विकल्प के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

ञ) प्रति शेयर कामाई

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात लाभ/हानि (असाधारण मद के कर पश्चात प्रभाव, यदि की हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला ईयरिंग की गणना कर के बाद लाभ/हानि को विभाजित करके (असाधारण आइटम कर के बाद के प्रभाव यदि कोई हो) को विभाजित करके लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों को व्यय या आय के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित साम्य शेयरों से संबंधित है, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए साम्य शेयरों की भारित औसत संख्या और साम्य शेयरों की संख्या जो सभी कमजोर संभाविक साम्य शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

ट) सरकारी अनुदान और रियायत

किसी व्यय मद से संबंधित सरकारी अनुदान या रियायत को इसकी प्राप्ति के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है। अचल संपत्तियों के संबंध में सरकारी अनुदान संबंधित अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत से कम कर दिया जाता है।

ठ) प्रस्तावित लाभांश

संशोधित लेखा मानक 4 तुलन पत्र तिथि के बाद होनेवाली आकस्मिकताओं और घटनाओं के अनुपालन में, साम्य शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन कर को देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। तुलन पत्र की तारीख और ऐसे घषित होने पर मान्यता दी जाएगी।

ड) उधार लागत:

वह उधार लागतें जो अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन अथवा निर्माण पर आरोप्य होती हैं, उनको इस प्रकार की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसमें इसके निर्दिष्ट प्रयोग अथवा बिक्री के लिए इसे तैयार कराने के लिए काफी समय लगता है। अन्य उधार लागतों को एक ऐसे खर्चे के रूप में माना जाता है जिसमें उनका व्यय किया जाता है।

ढ) आकस्मिक देयताएं:

आकस्मिक देयताएं ऐसे मौजूदा संभावित देयताओं के संबंध में बताई जाती हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है किंतु उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा घटित नहीं होने से की जाती है जोकि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में होती हैं।

ण) खंड रिपोर्टिंग:

कंपनी का एकल कारोबार है जिसे “उत्पाद आधारित कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन” के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कंपनी का कारोबार कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अंतर्गत जारी ए एस -17 में यथा परिभाषित भिन्न खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत नहीं आता है।

त) निवेश के लिए लेखांकन:

निवेश लागत पर किए जाते हैं। नियत जमा में निवेश पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के लिए लगाई जाने वाली उपयोग में लाई गई निधि को निरूपित करता है

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी

31.03 2023 तक के वित्तीय विवरण भाग की टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी: 20

वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

1. आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के प्रस्तुतीकरण से पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होने पर दोबारा समूहवद्ध किया गया है/द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
2. अदरक प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना करने के लिए निगम के पास 4000 वर्ग मीटर का एक अपना भूखंड है जो ई पी आई पी, बिर्नीहॉट में संख्या 12 पर स्थित है, जिसे मेघालय सरकार द्वारा अस्थाई रूप से आवंटित किया गया है और जिस का मूल्य शून्य लिया गया है।
3. कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निगम के पास कामरूप, असम में दिसपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत स्वयं की 1.54 बीघा जमीन है जिसे असम सरकार द्वारा 22,50,000/- रुपये की कुल कीमत पर आवंटित किया गया है। इस राशि का भुगतान 25 वर्ष के लिए भू राजस्व और करों की 28,210/की राशि के साथ मई 2011 में किया गया था।
4. काजू फैक्ट्री की स्थापना के लिए निगम के पास धुबरी जिला के मनकाचर में 6 बीघा 2 कट्टा और चार लाचा जमीन है जिसका मूल्य 2,03,932/- है।
5. निगम ने मानकाचर काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कर रहा है, जिसे एनएलसीपीआर के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से असम में "मनकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना" की परियोजना के लिए 248.34 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें से प्राप्त कुल राशि 203.19 हजार रुपये है। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण निर्माण पूरा नहीं हो सका और रुका हुआ है। तनाव बढ़ने के कारण बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए एनईसी से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, निर्माणाधीन संयंत्र का मूल्यांकन 24.02.2020 को किया गया था और पुनर्मूल्यांकन राशि 199.06 लाख रुपये थी। इसे वित्त वर्ष 2018-19 के खातों में 'पूर्व अवधि समायोजन' शीर्षक के तहत मान्यता दी गई है।
6. नेरामेक ने सीक्स माईल, गुवाहाटी में एक मार्केटिंग परिसर का निर्माण कर रहा है, जिसे उत्तर पूर्व परिषद(एन ई सी) द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। पत्र सं. दिनांक – 14/03/2017, एनईसी कार्यालय सह वाणिज्यिक भवन (ब्लॉक 1) के लिए बी+जी+5 और अतिथि गृह (ब्लॉक 2) के लिए जी+3 के प्रावधान के साथ 6040.00 वर्ग मीटर। के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, मेसर्स डिजाईनर्स गिल्ड को दिनांक- 06/11/2017 को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नियुक्त किया गया था। साईत की व्यवसायिक व्यवहार्यता और अनुमेय एफ.ए.आर. कार्यालय सह वाणिज्यिक भवन के लिए बी+जी+7 और अतिथि गृह बी+जी+5

के प्रावधान के साथ, 6835.45 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र को 31/01/2018 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक-28/03/2018 को जीएमडीए/जीएमसी प्राधिकरणों को निर्माण की अनुमति आवश्यक प्राप्त करने के लिए रखा गया था। फिलहाल भवन के चरण-1 का निर्माण जनवरी 2023 को पूरा हुआ।

31-03-2023 की स्थिति

परियोजना का नाम	सीक्स माइल, गुवाहाटी में नेरामेक लिमिटेड के विपणन परिसर का निर्माण
परियोजना लागत	रु. 12.89 करोड़
वित्त पोषित	उत्तर पूर्वी परिषद, शीलांग
कार्यान्वयन एजेंसी	नेरामेक लिमिटेड
परियोजना प्रबंधन सलाहकार	मे. हिंदूस्थान प्रीफव लि.(एस पी एल)
वास्तुकार सलाहकार	मे. दिजाइनारस गील्ड
निर्मित क्षेत्र	3923 स्को,मि.
कार्य के दायरे में मंजिलें	ब्लॉक-1 (बी+जी+4) ब्लॉक-2 (बी+जी+1)
अनुबंध प्रारंभ तिथि	07.09.2020
अनुबंध पूर्ण होने की तिथि	06.03.2022
स्वीकृत समय की विस्तार	20.12.2022
मंजूरीकृत रकम	12.89
उपयोग की गई राशि	पूरी राशि
दोष दायित्व के विरुद्ध रोकी गई राशि (हैंडओवर की तारीख से 1 वर्ष तक)	रु.65.04 लाख

7. वर्ष के लिए कोई कर देनदारी नहीं बनाई गई है क्योंकि अर्जित शुद्ध लाभ को वित्त वर्ष 2021-22 के घाटे के साथ समायोजित कर दिया गया है
8. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत है, तो जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है।
9. व्यापार प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल राज्य बीज निगम लिमिटेड से प्राप्तियां शामिल हैं। आदेश संदर्भ संख्या 920/WBSSC दिनांक 31.10.2011 के अनुसार 1500.76 लाख टन प्रमाणित गेहूं बीज की आपूर्ति के लिए 496.97 लाख, 7 साल बाद भी राशि का निपटारा होना बाकी है और मामला मुकदमेबाजी के तहत है और प्राप्य के विरुद्ध राशि की प्राप्ति में तिरूपति एग्रो सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को देय रकम 446.47 की राशि संदिग्ध है।
10. बकाया ऋण पर 28.23 करोड़ रुपये के बढ़े खाते में डालने वाले ब्याज और 32.22 करोड़ रुपये (30.09.2021 तक की गणना) का गैर-निधि आधारित समर्थन "पूँजी अनुदान-गैर-निधि आधारित समर्थन" के तहत पोस्टिंग के माध्यम से इस खातों में प्रभावी किया गया है। आरक्षित एवं अधिशेष"।
11. 31.03.2021 को भारत सरकार के 28.23 रुपये के बकाया ऋण पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की राशि खातों की किताबों में 33.99 करोड़ दर्ज की गई है। हालाँकि, पुनरुद्धार पैकेज के तहत 32.33 रुपये की राशि को बढ़े खाते में डालने की मंजूरी दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रुपये का अंतर आया। यह अंतर ब्याज के आंकड़े के गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ है। 1.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज राशि को माफ करने की अनुमति देने के लिए डोनर मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
12. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यशील पूँजी ऋण का पुनर्भुगतान, नेरामेक ने 2,15,76,548/- रुपये का कार्यशील पूँजी ऋण ब्याज सहित चुकाया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डोनर मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

13. मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए नेरामेक द्वारा 16 बीघे का एक भूखंड 30 साल की अवधि के लिए 0.06 पैसे प्रति वर्गफुट प्रति माह के किराए पर पट्टे पर लिया गया था। यह पट्टा जनवरी 2009 के दौरान जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र, सिलचर कछार, असम के बीच निष्पादित किया गया था। जिला उद्योग और वाणिज्य विभाग, कछार ने अपने पत्र सी एडीआईसी(1/ए)67/2014-15 दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से नेरामेक से पिछले 9 वर्षों से उपयोग न होने के कारण 36.46 लाख रुपये के बकाया किराए के भुगतान के साथ भूमि के भूखंड का कब्जा सौंपने का अनुरोध किया। फरवरी 2018 को उक्त भूमि के भूखंडों को जनवरी 2020 में जीएम, डीआईएंडसीसी, काछार द्वारा ले लिया गया था। कंपनी ने निगम की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर अधिकारियों से राशि की छूट के लिए भी अनुरोध किया था। लेकिन संबंधित प्राधिकारी द्वारा बकाया किराया माफ करने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और राशि अभी भी भुगतान के लिए लंबित है।

14. वैट का बकाया रु. 224.807/- है, जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई। इसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

15. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरक्षित और अधिशेष के तहत 38,52,000/- रुपये की बिक्री सब्सिडी लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

16. अल्पावधि ऋण और अग्रिम के तहत 'अन्य' शीर्षक के तहत रिपोर्ट की गई राशि के विवरण के बारे में

खुलासा

क्र.सं.	विवरण	रकम(रु.)
1	असम ऊर्जा विकास एजेंसी	27,046.00
2	भुगतान की गई राशि विरोध (आयकर)	5,717,915.00
3	कानूनी शुल्क पर आर.सी	107,492.00
4	प्राप्य अनुदान	12,144,534.00
5	देनदार के लिए प्रावधान	8,933,049.00
6	अन्य प्राप्य	631,404.67
7	विविध लेनदार अग्रिम	8,794,320.16

	कूल	36,355,761.00
--	-----	---------------

17. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निगम के प्रबंध निदेशक को वेतन और भत्ते के रूप में 28,04,532/- रुपये की राशि दी गई।

18. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जीएस रोड शाखा, गुवाहाटी को 15,99,237/- रुपये की एक बैंक गारंटी जारी की है, जो कि टर्म डिपॉजिट नंबर 555801GL000322 दिनांक 31.12.2022 को गिरवी रखी गई है। 23,98,856/- दिनांक 02.01.2023 को चेक संख्या 069674 के माध्यम से असम के कामरूप जिले के सत्र न्यायालय में लंबित मेसर्स हार्वेल अगुआ प्राइवेट लिमिटेड मामले के खिलाफ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कामरूप मेट्रो गुवाहाटी को जमा किया गया।

19. आकस्मिक देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया है
(रु.000 में)

देनदार	दावो का गई राशि	रूपबंधित देयताएं	आकस्मिक देयताएं
सौभाग्य एडवर्टाइजिंग, कोलकाता	1,990.00	1,262.00	728.00
मे.हर्वेल अगुवा प्रा.लि.	3534	1224	2310
मे, आर एंड जेड डिस्ट्रीबूटर	2324	0	2324
रत्नागिरी इम्पेक्स प्रा..लि.	41492	18725	22767
एआईडीसी (मेमो नंबर सीएडीआईसी (1/ए) 67/2014 - 15 दिनांक 10.01.2020 के माध्यम से एआईडीसी द्वारा प्लॉट वापसी	3645.81	3645.81	
कूल	49340	21211	28129

20. पूर्व अवधि की वस्तुएँ

लाभ एवं हानि खाते को निम्नलिखित मदों से डेबिट/क्रेडिट किया गया है:

विवरण	डेबिट	क्रेडिट
आडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लि.	34,195.00	-
भातीय वनिमान पत्तन प्राधिकरण(जमा)	1,01,377.00	-
शंकर नाथ(स्थापना दिवस, अगरतला)	5,560.00	-

विजली बील(सचिवीय स्टॉल, अगरतला)	5,256.00	-
बैंक चार्जस	43,344.85	-
बैंक व्याज		18,954.00
डाइनाटेक	3,950.00	
अग्रीम (विजय शर्मा)	12,000.00	
डीजी प्रिंटर्स	6,596.00	
क्षेत्रय कार्यालय (चिक्कीम)(सीएल)	1,298.00	
क्षेत्रय कार्यालय दिल्ली हाट कार्ड(एससी)	1,992.00	
क्षेत्रीय कार्यालय असम(सीएल)1,35,572.00	1,35,572.00	
क्षेत्रीय कार्यालय ए.पी(विक्री पर अग्रीम)	885.00	
अनुदान सीक्स माईल भवन परियोजना	32,17,124.00	
पुनरुद्धार अनुदान		2,28,4027.00
एस बी आई अगरतला शाखा	10,816.00	
पांजाव नेशनल बैंक- 1907002100013327		6,000.00

21. भारत सरकार ने 16 अगस्त, 2021 को नेरामेक के लिए 17,00 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की। पैकेज में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

क. फंड आधारित समर्थन: 17.00 करोड़ रुपये का ताजा निवेश, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान 2 किश्तों में अनुदान जारी किया जाएगा, मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 2/3: 1/3 के अनुपात में:

शीर्ष	रु. कड़ोरो में
रेगुलर कर्मचारियों के लिए वीआरएस के लिए धनराशि	4.96
कार्यशील पूंजी समर्थन	6.36
संचालन का समर्थन करना	2.20
कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम ई-कॉमर्स पोर्टल	2.23
अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियाँ	1.25
कूल	17.00

ख. गैर-आधारित समर्थन:

शीर्ष	रु. कड़ोरो में
31.03.2021 को भारत सरकार के बकाया ऋण का कंपनी के इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	28.23
भारत सरकार के बकाया ऋण पर 30.09.2021 तक गणना की गई ब्याज और दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते में डालना	32.22
कूल	60.45

ग. बकाया दीर्घकालिक उधारों को इक्विटी में बदलने के लिए निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये किया गया।

22. पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन:

क्र. सं.	विवरण	खर्च(रु.) कड़ोरो में	टिप्पणी
1.	31.05.2022 को 20 नियमित कर्मचारियों को वी.आर.एस	5.44	1. अन्य वैधानिक बकाया, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण भुगतान के लिए प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियों के मद से 0.40 करोड़ रुपये। 2. नेरामेक के अपने स्रोत से 0.04 करोड़ रुपये।
2.	कार्यशील पूंजी समर्थन	2.00	1.वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लिए गए भारत सरकार के कार्यशील पूंजी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए रु. 2.00 करोड़।
3.	संचालन का समर्थन करना	2.20	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खातों में संचित घाटे के लिए समायोजन किया

4.	कंप्यूटर और ईआरपी सिस्टम ई-कॉमर्स पोर्टल	0.64	जाएगा। ईआरपी मॉड्यूल स्थापना के लिए 1. 0.28 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए। 2. मिस सिस्टम के विकास के लिए 0.07 रुपये 3. विकास के लिए 0.29 रुपये
5.	अन्य वैधानिक बकाया, प्रतिबद्ध और वर्तमान देनदारियाँ	1.12	1.रु.0.41 करोड़ एमएसी फीस 2. टीआईडीसी, त्रिपुरा को 0.31 करोड़ रुपये का अतिदेय किराया भुगतान 3. नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण भुगतान के लिए 0.40 करोड़ रुपये।

. गैर-आधारित समर्थन:

1.	31.03.2021 को भारत सरकार का बकाया ऋण ओएस 28.23 करोड़ रुपये 26.11.2021 को 1000/- रुपये अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है।	28.23	
2.	30.09.2021 तक 32.33 करोड़ रुपये का ब्याज और दंडात्मक ब्याज 'पूँजी अनुदान-गैर-निधि आधारित समर्थन' प्रमुख के तहत आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया गया है।	32.33	
3.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(6) और 61(1)(ए) के तहत कंपनी की	60.00	

	अधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ से संशोधित होकर 60.00 करोड़ हो गई।		
--	--	--	--

23. अनुसूची III-अनुपात के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं

विवरण	मीटर	भाजक	यूओएम	2022-23	टिप्पणी
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियाँ	टाइम्स	0.97	मध्यम
डेबिट इक्विटी अनुपात	कुल डेबिट	शेयरधारकों की इक्विटी	टाइम्स	1.70	मध्यम
डेबिट सेवा कवरेज अनुपात	डेबिट सेवा के लिए कमाई उपलब्ध है	ऋण सेवाएँ	टाइम्स	2.10	अनुकूल
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	प्रतिशत	11.93%	मध्यम
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत सूची	टाइम्स	4.89	अनुकूल
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत खाता प्राप्य	टाइम्स	0.014	प्रतिकूल
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	टाइम्स	1.04	प्रतिकूल
शुद्ध पूंजी कारोबार	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	टाइम्स	-60.00	प्रतिकूल
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	प्रतिशत	4.24%	मध्यम
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले कमाई	लगाई गई पूंजी	प्रतिशत	5.46%	मध्यम
निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	प्रतिशत	nil	

- 1 कर के बाद शुद्ध लाभ+मूल्यहास+ब्याज(आय)
- 2 ब्याज+मूलधन भुगतान
- 3 (इन्वेंट्री खोलना+इन्वेंट्री बंद करना)/2
- 4 (शुरुआती व्यापार प्राप्य+समापन व्यापार प्राप्य)/2
- 5 (प्रारंभिक व्यापार देय + समापन व्यापार देय)/2
- 6 वर्तमान परिसंपत्तियाँ-वर्तमान देनदारियाँ
- 7 मूर्त निवल मूल्य+कुल ऋण
- 8 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया

24. सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 6,64,652 रुपये (पिछले वर्ष 14,661,865 रुपये) की राशि के रूप में एएस-15 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रदान किया गया है।

लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रकटीकरण:

31.03.23 को समाप्त अवधि का पी एवं एल के
के विवरण में मान्य व्यय

क्र	नियोक्ता व्यय के घटक	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	वर्तमान सेवा लागत	1,20,949	449235
2	ब्याज लागत	8,57,719	779643
3	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0	0
4	कटौती लागत/क्रेडिट	0	0
5	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	0	0
6	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	0	0
7	अज्ञात पिछली सेवा लागत-(गैर निहित)	0	0
8	शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	(81,345)	1420923
9	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	8,97,323	2649801

ख.	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है- 31.03.2023	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	वास्तविक लाभ भुगतान	1,48,94,536	1430065
2	वास्तविक योगदान		

शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई- 31 मार्च 2023

क्र.	वित्तपोषित स्थिति	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,64,652	14661865
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
3	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(6,64,652)	(14661865)
4	बैलेंस शीट परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0	0
5	पिछली सेवा लागत का हिसाब न किया गया	0	0
6	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है	(664652)	(14661865)
		0	0
1	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध संपत्ति/(देयता) को मान्यता दी गई	(4661865)	(13442129)
2	नियोक्ता का विस्तार	897323	2649801
3	लाभ का भुगतान किया गया	14894536	1430065
4	शुद्ध अधिग्रहण/व्यावसायिक संयोजन	0	0
5	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध संपत्ति/(देयता)।	(664652)	(14661865)

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्व और संपत्ति के उचित मूल्य का समाधान

क्र	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	अवधि की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	14661865	13442129
2	वर्तमान सेवा लागत	120949	449235
3	ब्याज लागत	857719	779643
4	कटौती लागत/(क्रेडिट)	0	0
5	निपटान लागत/(क्रेडिट)	0	0
6	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	0	0
7	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	0	0
8	अधिग्रहण	0	0
9	बीमांकिक(लाभ)/हानि	(81345)	1420923
10	लाभ का भुगतान किया गया	(14894536)	(1430065)
11	अवधि की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	664652	14661865

क्र	परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	अवधि की शुरुआत में संपत्ति की योजना बनाएं	0	0
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0	0
3	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0	0
4	वास्तविक कंपनी का योगदान	0	0
5	फंड ट्रांसफर	0	0
6	कर्मचारी योगदान	0	0
7	लाभ का भुगतान किया गया	0	0
8	अंतिम अवधि में संपत्ति की योजना बनाएं	0	0
9	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0	0

25. सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 583973 रुपये (पिछले वर्ष 743923 रुपये) की राशि के रूप में ए एस 15 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रदान किया गया है।

लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रकटीकरण:

**31.03.23 को समाप्त अवधि का पी एवं एल के
के विवरण में मान्य व्यय**

	नियोक्ता व्यय के घटक	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	वर्तमान सेवा लागत	232128	244799
2	ब्याज लागत	457427	431504
3	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	0	0
4	कटौती लागत/क्रेडिट	0	0
5	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	0	0
6	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	0	0
7	अज्ञात पिछली सेवा लागत-(गैर निहित)	0	0
8	शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	(337389)	57976
9	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	7587451	734279

ख.	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है- 31.03.2023	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	वास्तविक लाभ भुगतान	7587451	354744
2	वास्तविक योगदान	0	0

शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई- 31 मार्च 2023

	वित्तपोषित स्थिति	राशि	राशि
---	-------------------	------	------

		2022-2023	2021-2022
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	583973	7819258
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
3	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष/(घाटा)	(583973)	(7819258)
4	बैलेंस शीट परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	0	0
5	पिछली सेवा लागत का हिसाब न किया गया	0	0
6	शुद्ध संपत्ति/(देयता) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है	(583973)	(7819258)
		0	0
1	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध पत्ति/(देयता) को मान्यता दी गई	(7819258)	(7439723)
2	नियोक्ता का विस्तार	352166	734279
3	लाभ का भुगतान किया गया	7587451	354744
4	शुद्ध अधिग्रहण/व्यावसायिक संयोजन	0	0
5	अवधि की शुरुआत में बैलेंस शीट में शुद्ध पत्ति/(देयता)।	(583973)	(7819258)

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्व और संपत्ति के उचित मूल्य का समाधान

क	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन	राशि 2022-2023	राशि 2021-2022
1	अवधि की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	7819258	7439723
2	वर्तमान सेवा लागत	232128	244799
3	ब्याज लागत	457427	431504
4	कटौती लागत/(क्रेडिट)	0	0
5	निपटान लागत/(क्रेडिट)	0	0
6	पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	0	0
7	पिछली सेवा लागत-(गैर निहित लाभ)	0	0
8	अधिग्रहण	0	0
5	निकासी दर	2.00%	वार्षिक